विषय सूची

क्र.सं.		पृष्ठ
1.	सार्वजनिक क्रय में भ्रष्टाचार से मुकाबला ***कामेश्वर चौधरी****, पूर्व भंडार नियंत्रक, पूमरे एवं उत्तर रेल*	02
2.	सफाई संविदा - गलतियाँ जो हम प्राय: करते हैं और उन्हें दूर करने के तरीके ***मो. जावेद अख्तर,*** *उप मुसताधि/इंजी* ***महेश कुमार,*** *उप मुसताधि/भंडार*	11
3.	भंडार संविदा के तहत सामग्रियों की प्राप्ति ***महेश कुमार,*** *उप मुसताधि/भंडार*	19
4.	माल तथा पार्सल कार्यालय में 'क्या करें' और 'क्या न करें' ***शिखा श्रीवास्तव,*** *उप मुसताधि/यातायात*	23
5.	चयन : 'क्या करें' एवं 'क्या न करें' ***अभिषेक कुमार,*** *उप मुसताधि/लेखा*	26
6.	मानवता ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है ***प्रमोद यादव,*** *मुसतानि/भंडार*	29
7.	केस अध्ययन (यातायात)	30
8.	केस अध्ययन (लेखा एवं कार्मिक)	34
9.	केस अध्ययन (अभियंत्रण)	42
10.	केस अध्ययन (भंडार, चिकित्सा एवं सुरक्षा)	46
11.	केस अध्ययन (विद्युत, यॉंत्रिक तथा संकेत एवं दूरसंचार)	58
12.	महत्वपूर्ण प्रणाली सुधार पत्र	60

CONTENTS

Sl.No.		Page No.
1.	Combating Corruption In Public Procurement ***Kameshwar Choudhary****, Ex- COS, ECR & NR*	02
2.	Misconduct By The Officers Performing Quasi-judicial Duties ***Ghanshyam Bansal****, G.M. (Administration) DFCCIL* *Ex- Director Vigilance (E-II), Railway Board*	07
3.	DAR action flow charts for CVC and non-CVC cases ***S.P. S. Yadav,*** *Dy CVO/Elect.*	09
4.	Cleaning contract - mistakes we often commit and ways to avert them ***Md. Jawaid Akhtar,*** *Dy CVO/Engg.* ***Mahesh Kumar,*** *Dy CVO/Stores*	11
5.	Receiving materials against stores contract ***Mahesh Kumar,*** *Dy CVO/Stores*	19
6.	Dos and Don'ts in Goods & Parcel office ***Shikha Srivastava,*** *Dy CVO/Traffic*	23
7.	Selections : Dos and Don'ts ***Abhishek Kumar,*** *Dy CVO/Accounts*	26
8.	Case Studies (Traffic)	30
9.	Case Studies (Accounts & Personnel)	34
10.	Case Studies (Engineering)	42
11.	Case Studies (Stores, Medical & Security)	46
12.	Case Studies (Electrical, Mechinical and S&T)	58
13.	Important System Improvement Letters	60

सार्वजनिक क्रय में भ्रष्टाचार से मुकाबला

- **कामेश्वर चौधरी**
पूर्व भंडार नियंत्रक, पूमरे एवं उत्तर रेल

''भ्रष्टाचार एक ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाओं की लंबाई अपरिमेय है, वे हर जगह फैली हुई हैं और वहाँ से टपकती ओस की बूंदों ने ही प्राधिकारियों की कुछ कुर्सियों और स्टूलों को संदूषित किया है।''

- **जॉन फ्लेचर,** 'द ऑनेस्ट मैंस फार्चून' में

सार्वजनिक मामलों में भ्रष्टाचार कोई नई घटना नहीं है। यह उतना ही पुराना है जितनी वर्तमान सभ्यता, जिसमें सत्तासीन व्यक्ति अपने तरह से अधिकारों का उपयोग, कुप्रयोग और दुरुपयोग करते रहे हैं। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास ने इसे वैश्विक और अधिक समावेशी बना दिया है। नैतिक मूल्यों में एवं कारोबार के संचालन में तीव्र बदलाव हुआ है। दैनिक जीवन में धन के प्रभुत्व के चलते समाज में किसी ईमानदार उद्यमी के प्रति आदर का भाव समाप्त हो गया है। समाज में आय और संपत्ति की बढ़ती खाई और आर्थिक न्याय के कारण भी मानव मूल्यों का संकट गहराता जा रहा है।

पहले भी भारत, अस्सी के दशक के मध्य में रक्षा मंत्रालय द्वारा कुख्यात बोफोर्स और होवित्जर खरीद सौदे के मुद्दे पर संसद में मचे घमासान और निर्वाचित सरकार के सत्ता से बेदखल होने का साक्षी रहा है। किसानों के बीच उर्वरकों के वितरण के लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) द्वारा यूरिया खरीद में कुख्यात यूरिया घोटाले ने 1995-96 के दौरान देश में सनसनी फैला दी थी। सीआईएफ आधार पर सीआईएस देश से कुल 38 मिलियन यूएस डॉलर (लगभग रु. 133 करोड़) की लागत से 190 यूएस डॉलर प्रति एमटी की दर से 2,00,000 एम.टी. यूरिया (बैग बंद) के लिए मेसर्स कार्सन लिमिटेड, अंकारा, टर्की (भारतीय एजेंट : मेसर्स साई कृष्णा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड) को ठेका दिया गया था। यूरिया कभी भारत नहीं पहुँचा, भले ही ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया था।

अनुसंधान जोरों पर थी लेकिन अंतिम नतीजे के रूप में लोगों को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ और न ही कोई सीख मिली।

Combating Corruption In Public Procurement

- Kameshwar Choudhary
Ex.COS, ECR & NR

" Corruption is a tree, whose branches are of immeasurable length, they spread everywhere and dew that drops from thence have infected some chairs and stools of authority"

-John Fletcher in 'The Honest Man's Fortune'

Corruption in public affairs is not a new phenomenon. It is as old as living civilization, wherein persons in power have been using, abusing and misusing authority in their own ways. Liberalisation of economy and augmentation of information and communication technologies have made it global and more inclusive. Moral values and conduct of business have undergone drastic change. There has been a collapse of sense of respect for an honest player in society, due to predominance of wealth in daily life. The crisis of human value has been deepening owing to an increasing gap of income and wealth in society and also for want of economic justice.

India has witnessed in past, rocking of parliament and ouster of elected Govt on the issue of infamous Boffors and Howitzer deals in procurement by Defence Ministry during mid- Eighties. The infamous Urea Scam for procurement of Urea for distribution of fertilizers amongst farmers by National Fertilizers Ltd (NFL) during 1995-96 had made sensation in the country. The contract was placed on M/s Karsan Ltd, Ankara, Turkey (Indian Agent: M/s Sai Krishna Impex Pvt Ltd) for 200,000 MT of Urea (Bagged) @US $ 190 per MT on CIF basis from CIS country at a total cost of US$38 million (approx. Rs133 crore). Urea never reached India , though full payment was released to the contractor.

The investigations were in full swing but nothing is known to public as final outcome and lessons learnt.

दिल्ली में 2010 में कॉमन वेल्थ गेम्स के आयोजन के दौरान उपकरणों, टाइम मशीनों की खरीद व विविध निर्माण पर लोगों ने विभिन्न मोर्चों पर काफी हो हल्ला मचाया। इस संबंध में सरकार की खरीद प्रणाली के अध्ययन के लिए भारत सरकार द्वारा श्री विनोद ढाल के नेतृत्व में एक सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई थी। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 2011 में सार्वजनिक खरीद बिल का मसौदा प्रस्तावित किया गया। बहरहाल बिल, कभी प्रकाश में नहीं आया और 25वीं लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति के साथ कालातीत हो गया। दूरसंचार विभाग द्वारा 2 जी स्पेक्ट्रम और कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन जिसका निर्णय भारत सरकार के शीर्षस्थ स्तर पर लिया गया था के हालिया मामलों को भारत सरकार के संवैधानिक निरीक्षण प्राधिकार सीएजी द्वारा उठाया गया। इन घटनाओं ने कई राजनैतिक नेताओं, व्यवसायिक हस्तियों और नौकरशाहों को कटघरे में खड़ा किया है। देश की सिविल सोसायटी एवं नागरिकों ने देश के सार्वजनिक प्रशासन में अपना विश्वास खो दिया है।

सार्वजनिक खरीद विशेष ध्यान देने योग्य एक बड़ा क्षेत्र है क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सरकार नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सभी व्यय सामग्रियों, सेवाओं, निर्माण एवं परामर्शी सेवाओं का क्रय सार्वजनिक धन से करने में होते हैं। इस कार्य प्रणाली पर देश के न्यायालयों द्वारा गहरा आक्षेप किया गया है।

विभिन्न अध्ययनों और रिपोर्टों से पता चला है कि भारत संघ के केंद्रीय सरकार द्वारा खरीद के माध्यम से जीडीपी का लगभग 15 से 20% तथा वार्षिक बजट व्यय का लगभग 34 से 40% तक खर्च किया जाता है। यह राशि इतनी बड़ी है कि अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर इसका प्रभाव पड़ता है। भारतीय रेल एक वर्ष में रु. 30,000 करोड़ से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय करती है। अन्य बड़े संगठन जैसे रक्षा, डाक, दूरसंचार, अर्द्धसैनिक बल, ऑल इंडिया रेडियो, टी.वी. केन्द्रों का योगदान बजट में आधे से अधिक है। सी.पी.डब्ल्यू.डी., सीमा सड़क और राजमार्ग अपने परियोजनाओं के अनुरक्षण तथा परिसंपत्ति विकास के लिए सरकार के बजटीय व्यय को और बढ़ाते हैं।

खरीद का प्रभाव इतना गहरा है कि इसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है जिसमें वे सार्वजनिक पेशेवरों से ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं। खरीद का प्रबंधन करने वाले सरकारी संगठनों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। खरीद में ईमानदारी के लिए प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्राधिकारियों की जवाबदेही और

During the organization of Common Wealth Games in 2010 at Delhi, much hue and cry was created by public at various corners on procurement of overlay equipments, time machines and various construction sites. It was in this context that one man committee headed by Shree Vinod Dhall was appointed by GOI, to study procurement system of Govt. Based on the recommendation of the Committee, a draft Public Procurement Bill was proposed in 2011. The Bill has however, not seen light of the day and has lapsed with expiry of the tenure of 25th Parliament. Recent cases of allocation of 2G spectrum by Deptt of Telecom and Coal block by Ministry of Coal decided at the apex level in Govt of India, was raised by CAG - the constitutional oversight authority of Govt of India. These events have put many political leaders, business magnates and bureaucrats in docks. Civil Society and citizens of the country have lost faith in administration of public affairs in the country.

Public Procurement is the major area of focus, as all expenditures of central government, state, local self govt and govt controlled Public Sector Enterprises are engaged in procurement of goods, works, services and consultancy services at the cost of public money. The function has been attacked badly by Courts of Law in the country.

Various studies and reports have revealed that India has been spending about 15%-20% of GDP and about 34-40% of annual expenditure budget by way of procurement by Central Government of Union of India. The amount is so huge that it impacts every facet of economy. Indian Railways procure more than Rs.30,000 cr worth materials in a year. Other major organisations such as Defence, Post, Telecom, Health, Para military forces, AIR and TV centres are contributing more than half the budget. CPWD, Border Road and Highways add to budgetary expenditure of Govt for their projects of maintenance and development of assets.

The impact of procurement is so profound that it has attracted public attention demanding probity of public professionals. The role of Govt organisations handling procurement is of prime importance. Probity in procurement calls for transparency of

संगठनों की विश्वसनीयता अपेक्षित है। कार्यक्षमता से समझौता किए बिना अपने धन के सर्वोत्तम मूल्य पर वस्तुओं की आपूर्ति के उद्देश्य को पूरा करना खरीद अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस व्यवसाय की पहचान की कमी, समुचित प्रशिक्षण और प्रक्रिया के मानक प्रारूप के अभाव ने, भ्रष्टाचार की दागदार छवि और गैर सुपुर्दगी के कारण इस कार्य को सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पृश्य बना दिया है। खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह समझे और उसका अध्ययन किए बिना काफी हो-हल्ला मचाया गया है। यहाँ तक कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के आवेग में 1991 के दौरान किए गए खरीद का विकेन्द्रीकरण भारत सरकार के स्वयं के अध्ययन और विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं के विपरीत था, जिसने खरीद के सुदृढ़ीकरण और सुधार के सुझाव दिये थे।

बहरहाल, सार्वजनिक सरोकार के अन्य क्षेत्रों की तरह खरीद में भी भ्रष्टाचार से इन्कार नहीं किया जा सकता। वैसे समाज अथवा संगठन में जहाँ ढीली-ढाली प्रक्रिया और उत्तरदायित्व का अभाव विद्यमान हो वहाँ यह अपरिहार्य हो जाता है। जब सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय के अवसर बढ़ते हैं तब भ्रष्टाचार का प्रभाव अधिक होने की संभावना होती है। बहरहाल, प्रणाली में अंतर्विष्ट समुचित उद्घाटन प्रणाली द्वारा इसे निष्प्रभावी किया जा सकता है।

प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रक्रिया में विलंब निर्भय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। सिंगापुर में एक देश के रूप में भ्रष्टाचार के उद्घाटन की सशक्त प्रणाली है। इसने इस छोटे देश को न्यूनतम भ्रष्ट देश के मानचित्र पर शीर्ष पर ला दिया है।

यदि आपूर्तिकर्त्ता समुदाय खरीद प्रक्रिया में साफ-सुथरी भागीदारी और स्वस्थ्य प्रतियोगिता का प्रदर्शन करें तो क्या स्थायी भ्रष्टाचार हो सकता है? अधिकांश अवसरों पर, संविदाकारों की व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता, संविदा प्राप्त करने की होड़ और उत्पादक संघ के रूप में बोली लगाने का उनका आचरण ही है जो भ्रष्टाचार को प्रेरित करने के वातावरण निर्माण के लिए उत्तरदायी है।

14 सितंबर 2005 को लागू भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौता ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए विधिक और राजनैतिक ढांचा उपलब्ध कराया है। भारत 2011 में यू.एन.सी.ए.सी. का भागीदार बना। इसका अनुच्छेद 9 सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में क्रय के कार्य का उल्लेख करता है। भारतीय सार्वजनिक खरीद बिल 2011 भी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार व परिपत्रित किया गया था। यद्यपि इस दिशा में प्रगति धीमी रही लेकिन इस दिशा में किए गए प्रयास सार्वजनिक संस्थाओं में खरीद को पिछली सीट पर लाने में सरकार

process, accountability of authorities,and credibility of organisations. The objectives of delivery of objects at the best Value for Money, without compromising efficiency are major challenge for procurement officials. Lack of recognition of this profession, proper training, standard model of operation has made this function as untouchable in public arena due to tarnished image for corruption and non delivery. Much hue and cry have been made without full understanding of procurement process and study thereof. Even decentralization of procurement made during 1991 on the wave of liberalization of Indian economy was contrary to Govt ‘s own study and recommendations of various committee who suggested for strenghthening and improvement of procurement.

Corruption can however, not be ruled out in procurement as also in other areas of public affairs. It is inevitable in a society or organization where loose process and lack of accountability exist. Corruption is likely to impact more when the opportunity of expenditure in public regime grows. However, it can be tamed by proper Exposure system in- built in the system.

Delay in administrative and judicial process gives rise to fearless corruption. Singapore as a country has robust system of exposure for corruption. This has put the small country on top on the map of least corrupt states.

Can there be sustainable corruption if supplying community displays clean participation and healthy competition in procurement process? Most of the time , it is the business rivalry of contractors, their race to bag the contract and their behavior of bidding in cartel that are responsible for creating environment conducive to corruption.

United Nation Convention against Corruption which came in force on 14th Dec 2005 provided legal and political framework to combat corruption. India became party to UNCAC in 2011. Article - 9 of it refers to the function of procurement in management of public finance. Indian public procurement Bill-2011 was also drafted and circulated by Ministry of Finance, GOI. Though there has been slow progress in this direction, but efforts made in this direction shows

की विवशता प्रदर्शित करती है। बहरहाल, प्रणाली योजना, मानक प्रबंधन प्रक्रिया और कार्य निष्पादन मूल्यांकन तंत्र की जरूरतों को अभी भी सुव्यवस्थित किया जाना अपेक्षित है।

अवसर की सुलभता और बर्ताव में गैर भेदभाव समय की मांग है। प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और व्यवहार गैर स्वच्छाचारिता बड़ी अपेक्षाएं हैं। खरीद के लिए प्रतियोगिता अतिमहत्वपूर्ण है। लेकिन बोलीदाताओं की साँठ-गाँठ और व्यावसायिक संघ के रूप में काम करना तथा बाजार के खिलाड़ियों के प्रभुत्व के लिए खरीद में व्यवसायिक बुद्धि और प्रभावशाली रणनीति की आवश्यकता है। ईमानदारी के लिए भ्रष्टाचार और हितों के संघर्ष रहित साफ-सुथरी खरीद की जरूरत है। इसके लिए सत्यनिष्ठा के साथ लेन-देन में नैतिक मानदण्डों का पालन भी आवश्यक है। अर्थव्यवस्था और प्रतियोगिता से समझौता किए बिना खरीद में कार्यकुशलता आवश्यक है।

केन्द्र सरकार के संगठनों में भारतीय रेल और डी.जी.एस. एंड डी. पूर्ण रूप से तैयार कोड और मैनुअल, स्वतंत्र रूप से संगठित तकनीकी प्रशासन (ए एच एस पी- मुहरबंद विवरण रखने वाले प्राधिकारी) तथा संवर्ग आधारित पेशेवर शक्ति के कारण भ्रष्टाचार के पैमाने पर यह अत्यल्प सुभेद्य है। यह बहुत से सरकारी संगठनों के लिए लागू नहीं होता है। यहाँ तक कि रेलों में, प्रत्येक क्षेत्रीय रेल और उत्पादन इकाइयों के पास मानक बोली दस्तावेज के स्थान पर अलग-अलग बोली दस्तावेज है यद्यपि कि संविदा को शासित करने वाली आई आर एस शर्तें और जी.सी.सी. एक समान हैं। विभिन्न क्रय संगठनों में आयातित उपकरणों और अवयवों के प्रबंधन की पद्धति अलग-अलग है। यही कारण है कि कार्य प्रबंधन हेतु एक अच्छी प्रणाली की रूपरेखा बनाने, उन्हें स्पष्ट कोड से लैस करने, सूचना प्रणाली तैयार करने और उनकी मानवीय क्षमता बढ़ाने की जरूरत है।

भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के लिए प्रक्रिया के गति सिद्धांत को समझने में निम्नलिखित छोटा गणितीय समीकरण सहायक हो सकता है।

C = k. [O/E—(S+L)]

जहाँ, C - का अर्थ है भ्रष्टाचार

O - अवसर

E - उद्घाटन

compulsion of Govt in bringing procurement on rear seat in public institutions. However, need of system design, standard operating process and performance assessment mechanism are still required to be placed in position .

Access of opportunity and non discrimination in treatment is the call of the day. The transparency of process and non arbitrariness in dealings are major expectations. Competition is the key to procurement. But collusions and cartel of Bidders and dominance of market players require professional acumen and brilliant strategy. In procurement the probity requires clean procurement bereft of corruption and conflicts of interests. It also requires ethical standards of dealings with high integrity. Efficiency in procurement is required without compromising economy and competition.

Amongst the central government organisations in India, Railways and DGS&D have been the least vulnerable to corruption scale because of well drafted Codes and Manual, independently organized technical authorities (AHSP-Authority Holding Sealed Particulars) and experienced cadre based professional manpower. The same does not hold good for many other govt organisations. Even in Railways, each zonal Railway and Production Units have different Bidding documents instead of Standard Bidding Document, though IRS conditions and GCC governing contracts are same. The methodology of handling imported equipments and components are different in different procurement organisations. This is why, there is a need to design a good system, equip them with clear codes, build infosystem and enhance their human capability to handle the tasks.

In order to combat corruption, following small mathematical equation can be of help to understand dynamics of operation.

C = k.[O/E—(S+L)]

Where, C stands for corruption

O - opportunity

E - Exposure

S - मानक प्रणाली

L - नेतृत्व

k - भ्रष्टाचार गुणांक

अर्थव्यवस्था में अवसर और भ्रष्टाचार के गुणांक हमेशा रहेंगे चाहे उनमें विविधता हो या निश्चलता। जो महत्वपूर्ण है वह है एक सुदृढ़ अनावरण तंत्र, एक मानक खरीद विधि प्रणाली का निर्माण तथा प्रशिक्षण एवं अभिप्रेरण के द्वारा नेतृत्व का विकास।

खरीद प्रणाली का तात्पर्य है व्यापक कोड, स्पष्ट दिशा-निर्देश, मानक बोली दस्तावेज, सुनियोजित सूचना प्रणाली तथा उपयुक्त परिवाद निवारण प्रणाली के साथ-साथ समुचित कार्य निष्पादन मूल्यांकन तंत्र। रेलवे, डीजीएसएंडडी और केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा लागू किए गए इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया ने मानवीय दखल की कई बुराइयों को समाप्त करने में सहायता की है।

खरीद में शामिल किसी संगठन में नेतृत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समुचित निर्देश, मार्गदर्शन, उत्तरदायित्व और प्रक्रिया का मानकीकरण नेतृत्व के पहल और भागीदारी पर निर्भर करता है। बहरहाल, केवल नेतृत्व भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर सकता क्योंकि खरीद न केवल आंतरिक जानकारी और सूचनाओं के आधार पर बहुत से क्षेत्रों में बँटा हुआ कार्य है बल्कि बाहरी तत्वों के सहयोग से भी पूरा होता है। अत: एक प्रणाली का निर्माण, संगठन की रूपरेखा बनाना, परिचालिनिक प्रक्रियाओं और दस्तावेजों का मानकीकरण, सम्पूर्ण इलेक्ट्रानिक खरीद प्रणाली को लागू करना, नियमित प्रशिक्षण और भागीदारों की दखल से भ्रष्टाचार को कम करने और सार्वजनिक खरीद में ईमानदारी बनाये रखने में सहायता मिलेगी।

दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह,

एक से मांगो हजारों से मिलती है;

और सबसे महंगी चीज है सहयोग,

हजारों से मांगों एक से मिलता है।

S - System standard

L - Leadership

k - coefficient of corruption

The opportunity in economy and coefficient of corruption shall remain whether they vary or are stagnant. What is required to be concerned is build a robust Exposure mechanism, a system of standard procurement model and development of leadership by training and motivation.

The system of procurement means comprehensive codes, clear guidelines, standard Bidding Documents, well designed information system and proper performance assessment mechanism with appropriate Grievance redressal system. Electronic Tendering implemented by Railways, DGS&D, and central govt deptts have helped in eliminating many ills of human interface.

Leadership plays an important role in an organization involved in procurement. Appropriate direction, guidance, accountability and process standardization depend upon initiative and involvement of leaders. However, leaders alone may not eradicate corruption as procurement is a multidisciplinary distributed function based on knowledge and informations not only internal but also replete with externalities. Hence, devising a system, designing organization, standardizing operating procedure and documents, implementing complete electronic procurement system, regular training and interface of stakeholders will help in minimizing corruption and maintaining probity in public procurement.

IN RACE BETWEEN LION & DEER MANY A TIMES THE DEER WINS BECAUSE LION RUNS FOR FOOD BUT DEER RUNS FOR LIFE. PURPOSE IS MORE IMPORTANT THAN NEED.

Misconduct By The Officers Performing Quasi-judicial Duties

- Ghanshyam Bansal
General Manager (Administration) DFCCIL
Ex- Directior Vigilance (E-II), Railway Board

The general perception is that the officers performing quasi-judicial duties are completely immune from any disciplinary action simply by virtue of the term 'judicial' associated with the duties. The perception is only partially true and there is a probability that some of such duties may end up in trouble if not handled properly. The aim of this Article is not to create panic among the officers or to establish supremacy of any particular organisation. The actual aim is to create awareness among the officers discharging the duties while acting as 'Arbitrator' or 'Disciplinary Authority'.

Literally speaking, quasi means 'not exactly'. Therefore, an authority is considered quasi-judicial when it has only some of the attributes of judicial function. Obviously, these functions stand somewhere between judicial and administrative functions. It is nearer to an administrative function in terms of discretionary element but nearer to judicial one in terms of procedure and impartiality. Some of the better-known quasi-judicial authorities are CIC, Consumer Forums, Human Rights Commission, Railway Claims Tribunals, Tax Appellate Tribunals, Banking Ombudsman, IT commissioner, IRDA etc.

The perception regarding immunity is not totally unfounded and baseless. It derives its strength from the notion that every award /punishment is liable to be challenged/appealed in the court/ higher authority. However, this is not sufficient for imparting absolute immunity. It is true that correctness of the decision or its legality doesn't attract any attention as the remedy is available in the form of appeal. But what to do when the prima facie material is available indicating undue favour to a particular party or recklessness and negligence on the part of the authority? These actions can be scrutinised by the competent authority and if found substantiated, action can be initiated against the officer under Service Conduct Rules.

Most of us are not convinced. However, there appears to be no reason to believe that authorities performing quasi-judicial duties are totally immune, when the judges performing pure ' judicial' functions can be questioned for their action and 'Impeachment' motion can be initiated for their misconduct. Moreover, there is a judicial backing for the above postulation. Hon'ble Supreme Court gave a path-breaking and historical judgment in the case of K.K Dhawan versus UOI which involved similar situation of an income Tax Officer performing quasi-judicial duties of 'Assessment of Tax'. Disciplinary proceedings were started against the officer under Rule-14 of CCS (CCA) Rules – 1965 and he was charged for making 'assessments' in an **irregular** manner, with undue **haste** and with a view to confer undue **favour** upon the assesses. The officer pleaded that the 'assessment' can always be challenged with higher authority and if such action is taken in every case of 'wrong assessment', it will jeopardize the exercise of judicial function and the immunity attached to the officers exercising quasi-judicial powers would be lost.

In the judgment, Hon'ble Supreme Court mentioned that *'it is one of the cardinal principles of administration of justice that it must be free from bias of any kind. The officer who exercise judicial or quasi-judicial powers acts negligently or recklessly or in order to confer undue favour on a person* ***is not acting as a judge****. In the present case, this Court is not concerned with the correctness or legality of the decision of the officer but with his conduct in discharge of his duties as an officer. The legality of the orders with reference to the nine assessments may be questioned in appeal or revision under the Act.'* After detailed deliberation, the Court held that a misconduct can be considered in the following conditions even against the authority performing quasi-judicial duties:-

(a) Where the officer had acted in a manner as would reflect on his reputation for integrity or good faith;
(b) If there is prima-facie material to show recklessness or misconduct in the discharge of duty;
(c) If he has acted in a manner which is unbecoming of a government servant;
(d) If he had acted negligently or that he omitted the prescribed conditions which are essential for the exercise of statutory powers;
(e) If he had acted in order to unduly favour a party;
(f) If he had been actuated by corrupt motive however small the bribe may be.

It was also mentioned in the judgment that the above catalogue is not exhaustive and each case will depend upon the facts associated with it.

The above judgment on the issue was not a stand –alone judgment. In fact, it was deliberated, modified and again restored in the subsequent two judgments of Supreme Court. It will, therefore, be pertinent to discuss the subsequent cases also in the same sequence i.e. Z.B. Nagarkar Vs Union of India (1995) and Duli Chand Vs Union of India (1998).

Case of Z.B. Nagarkar Vs Union of India: Shri Nagarkar was a Commissioner of Central Excise in Nagpur. He had passed an adjudication order in 1995 which dealt with some omissions and commissions of a factory manufacturing HDPE sacks. He ordered confiscation of the seized goods, imposed fines and demanded duty also. But he did not impose any penalty under Rule 173Q of the Central Excise Act for availing inadmissible credit of Additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975. That omission brought him into trouble and he was taken-up under the Conduct Rules. His appeal in the lower Courts failed, probably because of the previous Judgment in the case of K.K. Dhawan versus UOI. He approached Supreme Court for vacation of the charge-sheet. Hon'ble Supreme Court took notice of other judgments including the judgment of K.K. Dhawan Vs UOI and concluded that initiation of disciplinary proceedings against an officer cannot take place on vague or indefinite information. The Hon'ble Court also observed that *"If every error of law were to constitute a charge of misconduct, it would impinge upon the independent functioning of quasi-judicial officers".*

The court repeatedly pointed out that if there was any error or illegality in the order passed by the officer, available judicial remedies should be pursued to correct the error. Consequently, Shri Nagarkar was held free of blame and this judgment was cited in many subsequent cases settled in the lower Courts in which officers were acquitted.

Case of Duli Chand Vs Union of India: It was a similar case in which Shri Duli Chand was charge-sheeted by the Government based on similar facts but acquitted by the Tribunal and the High Court citing the case of Nagarkar. Union of India approached the 'Appex Court' and the case was deliberated third time on the similar issue. In a total reversal and path-breaking

judgment, Hon'ble Supreme Court rejected the applicability of Nagarkar case observing that, "*Nagarkar case was contrary to the views expressed in K.K. Dhawan case and it does not correctly represent the law. The decision in K. Dhawan case being that of a larger bench, would prevail".* Accordingly, the orders of Tribunal and High Court were set-aside and Shri Duli Chand was held guilty in the case.

Therefore, it is now settled issue that any public servant acting as arbitrator/Disciplinary Authority is liable for disciplinary action if he is found acting negligently or recklessly or wrongly favouring a party. As far as Indian Railway is concerned, a letter was issued from Railway Board, based on the above judgment, vide letter No. 99/V-1/CVC/1/9 dated 13.07.99 mentioning that Government is not precluded from taking disciplinary action for violation of 'Service Conduct Rules' even with regard to exercise of quasi-judicial powers. It was reiterated by the CVC through their Circular No. 39/11/07 dated 01.11.2007

In a nutshell, even the judiciary is not above the law and the charges of corruption or misappropriation have been labeled against them also. Therefore, the Govt. Servants performing the quasi-judicial duties should be careful while dealing such cases and they should not consider themselves absolutely immune for their conduct in the process. The provisions of Service Conduct Rules are still applicable to them as the quasi-judicial duties have been assigned to them by virtue of being in the official position. Nevertheless, it is a very sensitive issue which needs to be tackled with adequate maturity and professionalism from both sides. A lot of faith is associated with the judicial and quasi-judicial authorities and this faith gets a jolt when disciplinary proceedings are initiated against any such authority.

Courtesy: Magazine 'Chetna Ahwaan' published by Railway Board Vigilance in 2013.

INTEGRITY IS DOING THE RIGHT THING WHEN NO ONE IS WATCHING.

✶

WHATEVER YOU DECIDE TO DO... BE SURE IT MAKES YOU HAPPY!

DAR ACTION FLOW CHARTS FOR CVC AND NON-CVC CASES

S.P.S. Yadav, Dy.CVO (Elect)

Minor Penalty cases
Non-gaz. Staff (non-CVC cases)

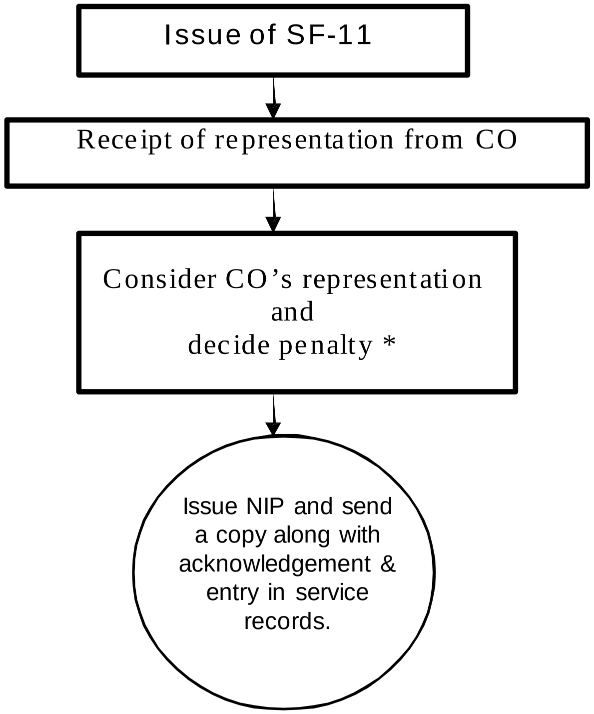

* Even if the Disc. Authority differs with Vigilance advice, he can pass speaking orders and issue NIP. No consultation with Vigilance is required. Vigilance can seek revision by referring the case to Revising Authority, if considered necessary.

Minor Penalty cases
Non-gaz. Staff (CVC/ composite cases)

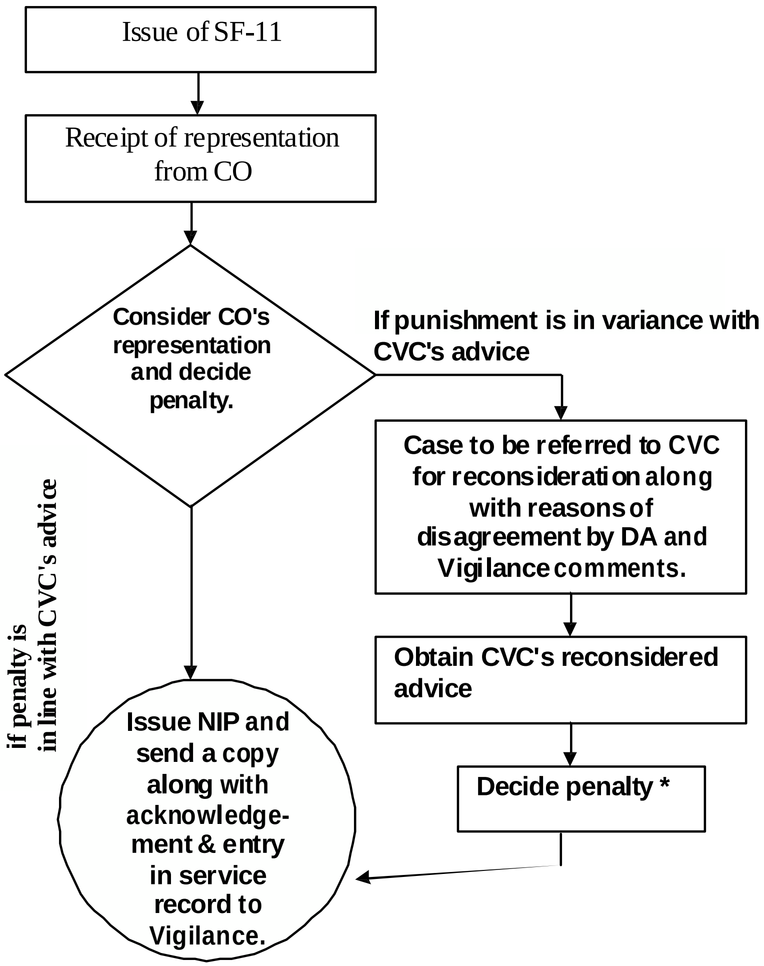

* If DA still differs with reconsidered advice of CVC, he can pass speaking orders and issue NIP. A copy of NIP along with remarks of disagreement to be sent to Vigilance for sending the same to CVC.

Major penalty cases - Non-Gaz. Staff (non-CVC cases)

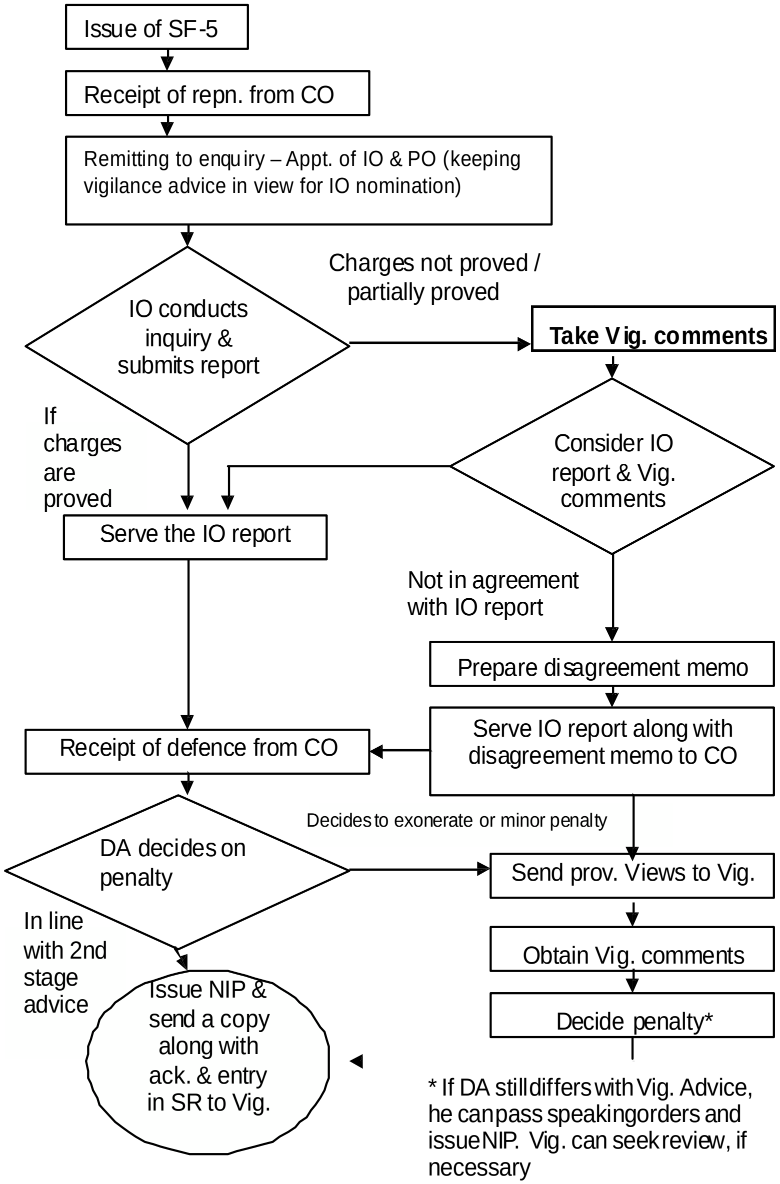

Major penalty cases Non-Gaz. Staff (CVC / Composite cases)

Major penalty cases Non-Gaz. Staff (CVC / Composite cases)

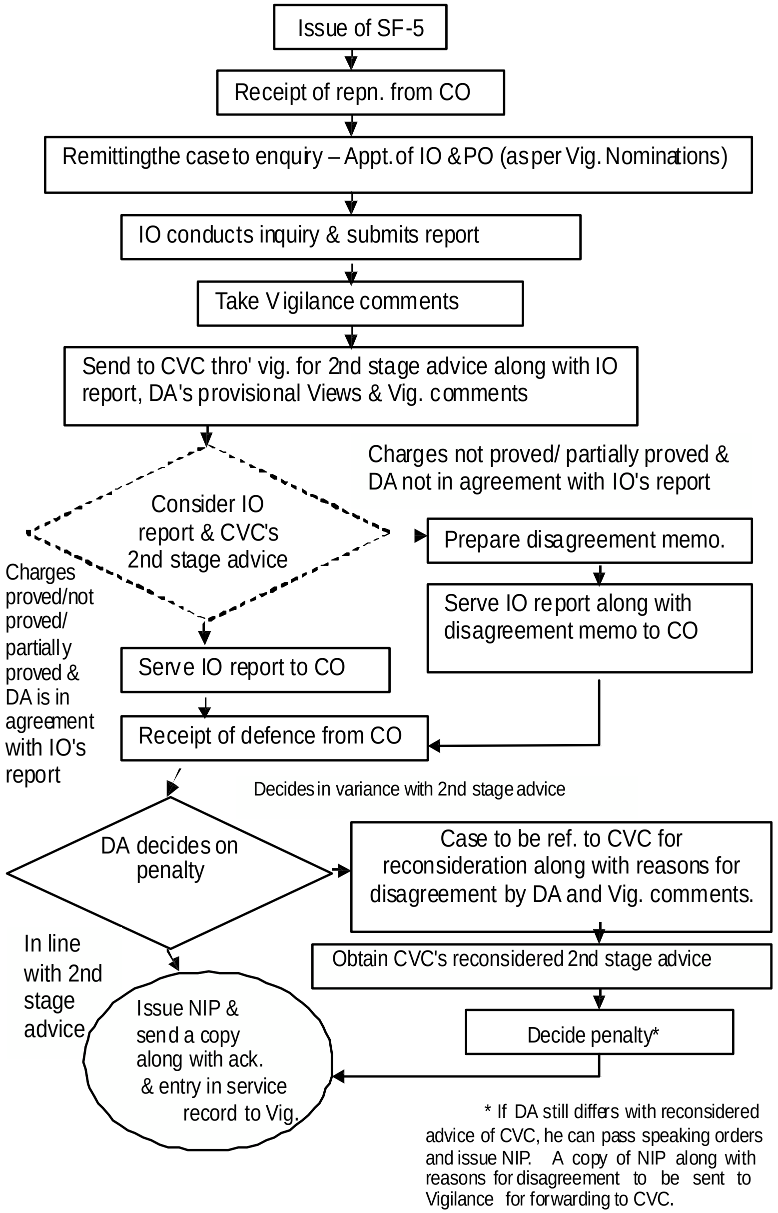

सफाई संविदा – गलतियाँ जो हम प्राय: करते हैं और उन्हें दूर करने के तरीके

- **मो. जावेद अख्तर,** उप मुसताधि/इंजी
- **महेश कुमार,** उप मुसताधि/भंडार

अस्वास्थ्यकर कार्यक्षेत्र संगठन के कर्मचारियों और ग्राहकों पर बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए हाल के दिनों में सफाई पर काफी जोर दिया गया है। स्टेशनों, कार्यालयों और कॉलोनियों से संबंधित सफाई गतिविधियों का रेल के द्वारा अधिकांश रूप से निजीकरण कर दिया गया है। फलस्वरुप सफाई संविदा से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ जैसे:- प्राक्कलन बनाना, निविदा की प्रक्रिया करना, सफाई कार्य का निष्पादन करना और अन्तत: संवेदक को भुगतान करना जैसे कार्यों से हम संबद्ध हैं। सतर्कता विभाग के थ्रस्ट एरिया जाँच में से एक सफाई संविदा की जाँच भी है। इस लेख में सतर्कता विभाग द्वारा पूर्व में अन्वेषित मामलों के आधार पर सफाई संविदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया है ताकि हम यह समझ पाएँ कि विभिन्न पदों पर कार्य करने के दौरान क्या-क्या गलतियाँ हो सकती हैं और यह पता कर पाएँ इन गलतियों को कैसे दूर किया जा सकता है।

सही प्राक्कलन तैयार करना- एक सतर्कता मामले के अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि किसी स्टेशन से संबंधित सफाई संविदा के लिए प्राक्कलन बनाते समय पिछली संविदा से कुल क्षेत्रफल लिया गया। प्राक्कलन मिसिल में क्षेत्रफल माप से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध नहीं था। जिस पूर्व संविदा के मिसिल को संदर्भित किया गया था, उस मिसिल में भी क्षेत्रफल माप से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध नहीं था। अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि प्राक्कलन में जो क्षेत्रफल लिया गया है वह बहुत बढ़ाया हुआ था। दोनों प्राक्कलनों को बनाने के समय के बीच लगभग 3 साल का अन्तराल था और इस दौरान कुछ संरचनाएँ जोड़ी गईं थीं, कुछ परित्यक्त की गई थीं और कुछ संरचनाओं की सतह के प्रकार भी परिवर्तित हुए थे, जिसके कारण उन क्षेत्रफल के सतह की सफाई प्रक्रिया पूर्व प्राक्कलन की अपेक्षा बदलना आवश्यक हो गया था। कार्य का निष्पादन बढ़ाये गये क्षेत्रफल पर प्रमाणित किया गया तथा उसी के अनुसार भुगतान भी किया गया। अत: प्राक्कलन बनाते समय हमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिए:-

(i) जिन स्थानों एवं संरचनाओं के लिए हम सफाई संविदा करने जा रहे हैं उन्हें क्षेत्रफल एवं प्रकृति दोनों हीं के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करना

Cleaning Contract - mistakes we often commit and ways to avert them

- Md Jawaid Akhtar, Dy CVO/Engg
- Mahesh Kumar, Dy CVO/Stores

Unhygienic work place has debilitating effect on the employees as well as customers of the organisation. Lots of emphasis has, therefore, been laid in recent times on cleanliness. Cleanliness activities pertaining to stations, offices and colonies have almost been privatized by Railways. As a result, we are involved in various activities pertaining to cleaning contract like estimating, tendering, execution and finally making payment to the contractor. For vigilance also, check on cleaning contract is one of the thrust area checks. In this article, few aspects pertaining to cleaning contracts with reference to vigilance cases investigated in the past have been discussed, so as to get an idea about mistakes committed while working in different capacities and to find out that how such mistakes can be avoided.

Preparing correct estimate - During investigation of a vigilance case, it was found that while preparing the estimate for a cleaning contract pertaining to a station, total area in the estimate was taken from the last contract. No details for measurement of area were available in the estimate file. When the earlier file was referred to, it also did not contain any such detail of measurement of area. It came up during investigation that the area considered in the estimate was highly inflated. During the intervening period of preparation of both the estimates, there was a time gap of approximately three years and in this period few more structures were added, few abandoned and nature of floor area of some of the structures were also changed which necessitated adopting different mode of cleanliness than in the earlier estimate. Execution of work was certified for the inflated area and payment made for the same also. So, while preparing estimate, we must do the followings -

(i) Define the places/structures for which we are going to have a cleaning contract, both in terms of area and nature. Areas for

चाहिए। प्रत्येक प्रकृति की सतह जैसे टाईल्स, मोजैक, ट्रैक, नालियाँ, आदि की माप अलग-अलग अवश्य दर्ज करनी चाहिए। इसी तरह, सफाई गतिविधियों जैसे:- मैन्युअल, याँत्रीकृत, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, आदि को भी हर प्रकार की सतह के लिए परिभाषित करने की आवश्यकता है। एक संविदा में, प्लेटफार्म के बिटुमन सतह को धुलाई के लिए माना गया था, जबकि इसपर केवल झाड़ू लगाने की आवश्यकता थी।

(ii) विशेष रुप से क्षेत्रफल मापन के प्रयोजन के लिए सही रेलकर्मियों को मनोनीत करें जिसमें विशेषत: एक इंजीनियरिंग विभाग से और दूसरा कार्यकारी विभाग से हो, ताकि स्टेशन प्रबंधक/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक जो कार्य के निष्पादन और बिल बनाने/अग्रसारित करने का कार्य करें, उन्हें क्षेत्रवार सफाई गतिविधियों और भुगतान एवं कटौती, अगर जरूरी है तो, की जानकारी हो सके।

(iii) वाणिज्य/परिचालन विभाग द्वारा की जानेवाली संविदा कार्य में रेलवे कॉलोनी को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में ड्यूटी पर रहनेवाले स्टेशन मास्टर द्वारा कॉलोनी की स्वच्छता गतिविधियों को प्रमाणित किया जाना होगा।

(iv) अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत की गई मापी को क्रास चेक करें और क्रॉस-चेक करने का अभिलेख रखना न भूलें।

(v) पूर्व के कार्य और दूसरे अन्य समान कार्य के अन्तिम स्वीकृत दर पर विचार करते समय संपूर्ण संविदा मूल्य पर विचार करने की बजाय, संविदा में वर्णित विभिन्न गतिविधियों एवं उसके अलग-अलग अन्तिम स्वीकृत दर पर विचार करें। वर्तमान संविदा में सभी गतिविधियाँ पूर्व की संविदा के समान नहीं हो सकती। इसके अलावा, अगर गतिविधियाँ समान हैं भी तो हो सकता है कि प्रत्येक गतिविधि के सापेक्ष कार्यक्षेत्र समान न हों।

(vi) अंतिम स्वीकृत दर को पता करने के कार्य में स्वयं शामिल हों। ऐसे अवसरों की कमी नहीं रही है जहाँ संवेदकों के द्वारा अन्य क्षेत्रीय रेल से उच्चतर अंतिम स्वीकृत दर उपलब्ध कराए गए जबकि उसी क्षेत्रीय मुख्यालय तथा मंडल मुख्यालय में काफी कम अन्तिम स्वीकृत दर उपलब्ध थे।

each category of surface i.e. tiled, mosaic, tracks, drainages, etc must be measured separately. Similarly, activities of cleaning viz. manual, mechanized, sweeping, mopping, etc for each category of area need to be defined also. For example - bituminous surface of platform was considered for washing in a contract whereas it required only sweeping.

(ii) Nominate right officials for the purpose of area measurement especially one from Engineering department and another from the Executive department so that SM/CHI who are involved in execution of the work and preparing /forwarding the bill may also know exact location wise cleaning activity for payment and any deduction, if required.

(iii) No Railway colony should be included in the scope of work of the contract being dealt by commercial/operating department as station master on duty will have to certify cleanliness activity of the colony in that case.

(iv) Do not forget to cross check the measurements put up by the subordinate officials and do keep a record for the cross check made.

(v) While considering the LAR for the earlier work and other similar works, do consider the LAR separately for different activities involved in the cleaning contract rather than considering the contract value. In your contract, all the activities may not be same as in other similar contracts and moreover if the activities are same then proportionate areas for each activity may not be same.

(vi) Involve yourself in arranging LARs. Do not depend upon the contractors for LARs. There has been no dearth of instances where the contractors provided the highest three LARs of other zonal Railways whereas much lower LARs were available in the same zone and division.

(vii) अन्तिम स्वीकृत दर ही अनन्तिम आँकड़ा नहीं है जहाँ कि उचित दर प्राप्त करने की आपकी कोशिश को विराम लग जाता है। सामग्रियों तथा श्रम के विद्यमान बाजार दर, खासकर वैसी परिस्थिति में जहाँ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के संदर्भ में सरकारी नीतियों में बदलाव हुआ हो, को ध्यान में रखकर प्रत्येक गतिविधि की निर्दिष्ट लागत की विवेचना करें तथा अन्त में अपने विवके का इस्तेमाल करना न भूलें।

(viii) प्रत्येक पाली में वर्णित हरेक गतिविधि की औचित्यता और इन गतिविधियों की बारम्बारता की जाँच अवश्य करें। उदाहरण के लिए कार्यालय भवन से प्रतिदिन तीन पाली में मकड़ी के जाल को हटाने जैसे कार्य की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

(ix) सफाई के लिए सामग्री आपूर्ति का मद, कार्य-अनुसूची में अलग से नहीं होना चाहिए बल्कि सामग्री अनुमोदन के लिए निर्दिष्ट विनिर्देश के साथ यार्डस्टिक के अनुसार सफाई गतिविधियों के मद में सफाई सामग्री की आपूर्ति सम्मिलित होनी चाहिए। सफाई के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की सूची बनाई जानी चाहिए तथा उनका अधिकृत रेल अधिकारी द्वारा अनुमोदन कराना चाहिए।

(x) कमरे के लिए फ्रेशनर, हीट (बाइगोन), ओडोनील, नेप्थलीन, तरल साबुन नुवन, फूराडॉन, चूहा मारने वाला मॉर्टिन, आदि जैसी सामग्रियाँ सफाई कार्य के लिए आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक स्टेशन पर उपलब्ध इम्प्रेस्ट से इन सामग्रियों का उपयोग आवश्यकतानुसार करना चाहिए।

संविदा की शर्तों का निर्धारण-

संविदा की शर्तें एवं नियम संविदा को निर्णित करने और कार्य के निष्पादन में निर्णायक होते हैं। किसी खेल की तरह ही हम निविदा के निर्णय में या कार्य के निष्पादन करने के समय किसी भी स्तर पर निविदा शर्तों को परिवर्तित या नए सिरे से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए नियम व शर्तें बनाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए:-

(i) संविदा के नियम और शर्तें समझाने योग्य, स्पष्ट और असंदिग्ध होना चाहिए। यह इतना कठिन नहीं होना चाहिए ताकि इसका अनुपालन दोनों

(vii) LAR is not the ultimate data where all your responsibilities end for venturing for reasonable rates. Arrange prevailing market rates of stores and labour especially where there has been any change in government policies pertaining to minimum wages act, analyse input cost on each activity and finally apply your mind.

(viii) Must examine the rationale of each activity and frequency of activities in each shift. For example - cobweb removal from the office buildings daily in each of the three shifts has no relevance.

(ix) Separate schedule items for materials to be supplied for cleaning should not be made rather schedule of cleaning activity should be made including the required cleaning materials as per yard stick fixed with specified specification. Material to be used for cleaning purpose should be separately listed out and approved by railway authority.

(x) Materials like Room freshner, Hit (Baygon), Odonil, Nepthalin, Soap liquid Nuvan, Furadon, Morten rat Killing, etc should not be included in materials to be supplied for cleaning activity. These materials may be used as per requirement from Imprest available at every station.

Framing the Conditions of Contract-

Terms and conditions of the contract set the rule for its finalisation and execution. Similar to a game we cannot redefine and change it later on at any stage of finalization or execution. So, keep following things in mind while framing the terms and conditions-

(i) Terms and conditions of the contract need to be explicable, explicit and unambiguous. It should not be so stringent that

पार्टियों के लिए संभव नहीं हो और निविदा खुलने के बाद संविदा को निर्णित करने में या कार्य का निष्पादन करने के लिए, इन शर्तों में छूट देने की आवश्यकता पड़े।

(ii) कभी-कभी किसी विशेष फर्म को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कठिन एवं विशिष्ट नियम तथा शर्तें शामिल की जाती हैं। ऐसे अभ्यास से बचें, क्योंकि यह परिवाद को आकर्षित करेगा और आपको समस्या में डाल सकता है।

(iii) संविदा शर्तों में अतिरेकता से बचें। एक सफाई संविदा में यह वर्णित था कि चालक को कब रिपोर्ट करना था, उसका पोशाक कैसा होना चाहिए था, उसे मोबाइल फोन अवश्य दिया जाना चाहिए था, गाड़ी की हालत कैसी होनी चाहिए थी, आदि-आदि। लेकिन संविदा में गाड़ी का कोई प्रावधान नहीं था। ये सभी शर्तें दूसरी निविदा शर्तों से लेकर 'कट एवं पेस्ट' करने का परिणाम थीं।

(iv) यँत्रीकृत सफाई के लिए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए आवश्यक मशीनों की संख्या, विनिर्देश, इनका कोडल लाइफ एवं मशीन का ब्रांड, इनकी अनुमानित लागत, आदि को परिभाषित करना चाहिए। विशेष ब्रांड के मशीन उपलब्ध कराने का प्रावधान न करें, बल्कि तीन-चार प्रकार के ब्रांड का विकल्प सुझावें। एक मामले के अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि संविदा में चार प्रकार की मशीनों का प्रावधान था, लेकिन मशीन का विनिर्देश, पूरा विवरण, उसकी कीमत और कोडल लाइफ परिभाषित नहीं थे। पिछले जिस संविदा के मूल्य के आधार पर इस संविदा का प्राक्कलित लागत निकाला गया था, उस संविदा में पाँच प्रकार की मशीनें दी गई थीं और उनका विस्तृत विवरण भी उपलब्ध था।

(v) सफाई संविदा में मशीनों के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज को प्रस्ताव के साथ देने की शर्तें दी जाती हैं, लेकिन यह परिभाषित नहीं किया जाता है कि यदि प्रस्ताव देने वाला फर्म उन दस्तावेजों को नहीं देता है या अलग प्रकार की मशीनों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराता है या समतुल्य लेकिन कम लागत वाले मशीन का दस्तावेज देता है तो ऐसे प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की जायेगी।

compliance of the same by either of the parties is not possible and after the opening of tender and award of the contract we need to relax it for the purpose of finalization of the contract or for execution.

(ii) Sometimes stringent and specific terms and conditions are introduced with a view to favour a particular firm. Abstain from such practice, it will attract complaint and may land you in trouble.

(iii) Avoid redundancy in the contract condition. In a cleaning contract, it was mentioned that when the driver was to report, how should he dress, he must be provided with a mobile phone, the condition of the vehicle should be such, *et al*. But there was no provision for any vehicle in the contract. All these were result of 'cut and paste' from other tender conditions.

(iv) For mechanized cleaning, define the number of machines required for different types of activities, specification and make of the machine, its codal life, its approximate cost, etc. Do not ask for providing machine of any particular make rather provide option for three-four different makes. While investigating a case, it was noted that provision for four types of machines was made in the contract and details of the machines in terms of specification, their cost and codal life were not defined. Estimated cost of the contract was arrived at on the basis of contract value of the last contract in which provision for five types of machines was there and details of machines were also available.

(v) In cleaning contracts, the condition for providing documents for ownership of the machines along with offer is included but it is not defined that in case the offering firm does not provide these documents or provides documents for different machines or similar machine of much lower cost then what course of action will be taken on such offers.

(vi) यदि मशीन का कोडल लाइफ छः महीना है और ऐसी एक समय पर दो मशीनें संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए आवश्यक है तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फर्म कम-से-कम ऐसी दो मशीनों के स्वामित्व का दस्तावेज अपने ऑफर के साथ उपलब्ध कराता है।

(vii) निविदा समिति को यह भी जाँच करना चाहिए कि संवेदक/प्रस्तावक द्वारा किस अवधि के मशीनों का स्वामित्व दस्तावेज दिया गया है। जिस मशीन का कोडल लाईफ छः महीना है उस मशीन के लिए निविदा खुलने की तिथि से पाँच वर्ष पूर्व के स्वामित्व का दस्तावेज देना प्रासंगिक नहीं है।

(viii) प्रस्ताव के साथ एक बार मशीनों के स्वामित्व का दस्तावेज प्रदान कर देने से संपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। सम्पूर्ण संविदा अवधि के दौरान किसी विशेष प्रकार के मशीनों की कितनी संख्या की आवश्यकता है, उसका अनुमान लगाना चाहिए और इसके बाद संविदा निष्पादन के दौरान भी इन मशीनों के स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए संवेदक को कहना चाहिए।

(ix) संविदा शर्तों में विशेष रूप से यह वर्णित करने की आवश्यकता है कि प्रस्तावकों द्वारा दी गई मशीनों का स्वामित्व संबंधी दस्तावेज का कौन-सा पहलू निविदा समिति द्वारा जाँचा जायेगा। संविदा शर्तों में इसका प्रावधान प्रस्तावकों को ऐसे दस्तावेज प्रदान करने के लिए सचेत करेगा और इस आधार पर किसी प्रस्ताव को मंजूर करने या अस्वीकार करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। सतर्कता अन्वेषण के दौरान यह देखा गया है कि निविदा समिति द्वारा यह पहलू नहीं देखा जाता है।

(x) मशीनों को चलाने के लिए बिजली एवं जल की आपूर्ति का वर्णन होना चाहिए। इसका वित्तीय निहितार्थ है।

(xi) संविदा में निर्दिष्ट होना चाहिए कि संवेदक को सफाई सामग्रियों एवं मशीनों के रखने के लिए जगह की व्यवस्था खुद करनी होगी या इसके लिए उन्हें रेल के द्वारा जगह उपलब्ध कराई जाएगी।

(xii) यँत्रीकृत सफाई के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जायेगा उसके लिए वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध का प्रावधान रखना चाहिए। नामित रेलकर्मियों द्वारा उपकरणों की नियमित जाँच के लिए निविदा शर्त में प्रावधान करना चाहिए। मशीनों के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध की जाँच के अभिलेख को भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज बनाया जाना चाहिए।

(vi) If codal life of a machine is 6 months and 2 numbers of such machines are estimated to be required at a time for the whole area, then it should be ensured that the firm provides ownership documents for at least 2 such machines with the offer.

(vii) The tender committee also needs to examine that of which period the ownership document of machines has been provided by the contractor/offerer. For a machine whose codal life is 6 months, provision of ownership documents five years prior to the date of tender opening has no relevance.

(viii) Provision of document for ownership of machines once along with the offer will not serve the whole purpose. Estimate how many numbers of machines of a particular type are required during the whole contract period and then make provision for asking the contractor to provide ownership documents for machines during the execution of the contract also.

(ix) It needs to be mentioned specifically in the contract condition that what aspects for ownership of machines by the offerer will be examined by the TC. Provision of this condition in the contract condition will make the offerer cautious in providing suitable document for ownership and will ensure transparency in considering or passing over an offer on this ground. During vigilance investigations, it has been seen that this aspect goes unnoticed by the tender committee.

(x) Do mention the source of power for operation of the machines & supply of water. It has got financial implication.

(xi) Specify in the contract that whether the contractor has to make his own space arrangement for keeping inventories like cleaning materials and machines or you intend to provide space for the same.

(xii) Keep provision for AMC of the equipments to be used for mechanized cleaning. In the tender condition itself make provision for routine check of equipments by nominated officials. Records of check on the aspect of AMC of machines to be made part of document required for payment.

(xiii) संविदा में प्रत्येक सफाई सामग्री के लिए उसकी मात्रा, गुणवत्ता एवं विनिर्देशन तथा प्रत्येक सामग्री की कितनी मात्रा एक समय में संवेदक को रखना है, यह निर्धारित किया जाना चाहिए। सामान्यीकृत प्रावधान यथा- 'सफाई सामग्रियों की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए ताकि उचित सफाई तथा स्वच्छता रखी जा सके', नहीं किया जाना चाहिए।

(xiv) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 'समरूप कार्य' का अनुमोदन सक्षम पदाधिकारी द्वारा लिया गया है। संविदा शर्त में सही 'पात्रता शर्त्त' का मानदंड वर्णित करना चाहिए।

कार्य का निष्पादन एवं भुगतान-

(i) सतर्कता जाँच एवं अन्वेषण के दौरान यह देखा गया है कि पर्यवेक्षक (स्टेशन अधीक्षक या मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक), जिन्होंने सफाई कार्य करवाया है, वे संविदा करार में वर्णित प्रावधानों से अवगत नहीं हैं। यहाँ तक कि संविदा करार की एक प्रति भी उन्होंने अपने पास नहीं रखी थी। संबंधित पर्यवेक्षक को संविदा करार की एक प्रति उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। नियमित निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा अवश्य यह जायजा लिया जाना चाहिए कि संबंधित पर्यवेक्षक संविदा की शर्तों और नियमों से अवगत हैं या नहीं।

(ii) संविदा की शर्तों एवं नियमों के अनुसार सफाई सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच घरेलू या बाहरी एजेन्सी के द्वारा करने का प्रावधान रखना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस संदर्भ में नामित अधिकारियों द्वारा जाँच किया जाता है और उचित अभिलेख तैयार किया जाता है।

(iii) कार्य के प्रतिदिन के निष्पादन को दर्ज करने के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले दस्तावेज परिभाषित किए जाने चाहिए। इन दस्तावेजों के मानक फार्म को संविदा दस्तावेज का हिस्सा बनाना चाहिए। कार्य की प्रतिदिन के निष्पादन के लिए इन दस्तावेजों या अभिलेखों पर कौन और कब हस्ताक्षर करेगा इसको भी निविदा शर्त में विशेष रूप से वर्णित करना चाहिए। एक मामले के अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि माह के अंत में प्रतिदिन कार्य निष्पादन का रपट भरा जाता था और वो भी संवेदक के प्रतिनिधि के द्वारा!

(xiii) Define provision of each cleaning material for the contract in terms of their quantity, quality, and specification and how much inventory the contractor has to maintain at a particular time. Do not keep generalized provisions like - "cleaning materials provided should be of such quality so as to maintain proper cleanliness and hygiene".

(xiv) Ensure that for 'similar work', approval of competent authority has been taken. Mention the correct 'Eligibility Criteria' in the contract condition.

Execution of the work and payment -

(i) It has been observed during vigilance checks and investigations that the supervisors (SS or CHI) who have to get the work executed are not aware of the provisions in the contract agreement. They didn't have even a copy of the contract agreement. Arrange to provide a copy of the contract agreement to concerned supervisor. During routine inspections, officers must take a stock that whether the concerned supervisor is aware of the terms and conditions of the contract or not.

(ii) Keep provision for conducting quality check of the cleaning materials either in house or by an outside agency in the terms and conditions of the contract. Ensure that checks are conducted by nominated officials in this regard and proper records maintained.

(iii) Define the documents to be used for recording daily performance of the work. Standard form of these documents should be made part of the contract document. Mention specifically in the tender condition itself that who will sign on these records/documents for daily performance of the work and when. In a case, it was noted during investigation that daily performance report was filled up at the end of the month and that too by the representative of the contractor!

(iv) एक ही दस्तावेज पर सभी गतिविधियों के निष्पादन का रपट नहीं भरा जाना चाहिए। स्पष्टता के लिए, सामग्री की उपलब्धता के लिए, मशीनों के चालू एवं बंद होने और कर्मचारी की तैनाती के लिए अलग-अलग अभिलेख रखने चाहिए।

(v) जाँच के विभिन्न स्तरों को परिभाषित करना चाहिए। संविदा शर्तों में विस्तृत वर्णन करना चाहिए कि कौन रेलकर्मी संतोषप्रद कार्य निष्पादन की जाँच करेंगे और इन कर्मियों द्वारा की गयी जाँच को वर्णित करने के बाद बनाये जाने वाले रिपोर्ट के परिपत्र का प्रारुप भी वर्णित होना चाहिए। एक मामले के अन्वेषण के दौरान यह पाया गया था कि करार में न तो विनिर्दिष्ट निरीक्षण का प्रावधान था और न ही किसी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया।

(vi) प्रत्येक नहीं की जानेवाली गतिविधि के लिए दण्ड परिभाषित किया जाना चाहिए। जुर्माना राशि टोकन नहीं होना चाहिए बल्कि पर्याप्त होना चाहिए। संविदा में यह परिभाषित करना चाहिए कि गैर-प्रदर्शन की किन परिस्थितियों में संविदा समाप्त करना संभाव्य होगा।

(vii) संविदा में यह परिभाषित होना चाहिए कि किस रेलकर्मी के प्रमाणपत्र के आधार पर भुगतान किया जाएगा। चिकित्सा एवं वाणिज्य दोनों विभागों द्वारा सफाई संविदाएँ निर्णित की जाती हैं। निविदा दस्तावेज में प्राय: यह वर्णित रहता है कि प्रतिदिन का कार्य निष्पादन/प्रदर्शन रपट स्वास्थ्य निरीक्षक/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/उप स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन अधीक्षक/सहा.स्टेशन मास्टर/स्टेशन मास्टर द्वारा हस्ताक्षरित होगा। इस परिस्थिति में जो भी रेलकर्मी स्टेशन पर उपस्थित होते हैं वही प्रतिदिन के प्रदर्शन रपट पर हस्ताक्षर करते हैं। सतर्कता जाँच के दौरान उन्हें जब कार्य के गैर-प्रदर्शन के बारे में पूछा जाता है तो सभी कहते हैं कि 'यह पहलू उनके द्वारा नहीं देखा गया था' या 'मैंने सोचा कि अन्य कर्मी ने इस पहलू को अवश्य चेक किया होगा।' संविदा कार्य के लिए दो कर्मी यानी कि स्टेशन अधीक्षक और मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक समान रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराये जा सकते, जब तक कि यह संविदा में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

(iv) Do not record performance of all the activities on the same document. For the sake of clarity, records for material availability, functioning/breakdown of machines, deployment of staff should be made separately.

(v) Introduce different tiers of check. Elaborately mention in contract condition that which officials will perform checks. Describe the type of check to be performed by these officials and format of the reports to be submitted after checks also. While investigating a case, it was noted that neither the specific provision of test check was kept in agreement nor test check was done by any authority.

(vi) Define penalty for non-performance of each activity. Penalty amount should not be token rather it should be substantial. Define in the contract that under which circumstance of non-performance, the contract will be liable to be terminated.

(vii) Define in the contract itself that on whose certification, payment will be made. Cleaning contracts are finalized by both Medical and Commercial department. Very often it is mentioned in the tender document that - "daily performance report will be signed by the HI/CHI/Dy SS/SS/ASM/SM". Now whosoever is present on the station, he signs on the daily performance report. When asked about non-performance during vigilance investigation, they said that - "this aspect was not to be looked after by them" or "I thought that someone else must have already checked this aspect". For a contract, both the officials viz the SS and the CHI cannot be held equally responsible unless it has been defined categorically in the contract.

(viii) संवेदक के गैर प्रदर्शन या खराब प्रदर्शन का रिपोर्ट नियमित रूप से सभी संबंधितों को भेजने की प्रणाली बनानी चाहिए न कि केवल माँगे जाने पर ही उन्हें किसी को भेजा जाए। फर्म के प्रदर्शन के संदर्भ में अपने सहयोगी से बात करना चाहिए जिस फर्म को आप आदेश देने पर विचार कर रहे हैं।

(ix) भुगतान करते समय यह अवश्य जाँच करनी चाहिए कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा बिल पर हस्ताक्षर किया गया है या नहीं। बिल जाँच के दौरान मंडल लेखाकार सुनिश्चित करेंगे कि बिल के साथ प्रतिदिन का प्रदर्शन रपट लगाया गया है एवं दर तथा लगाये गये दण्ड संविदा प्रावधान के अनुसार हैं या नहीं। एक मामले के अन्वेषण के दौरान यह पाया गया था कि बिल पारित करने के समय संविदा प्रमाण पत्र कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, जबकि कम से कम वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी द्वारा यह कार्य किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त कुछ तथ्य सफाई संविदा के मामलों की सतर्कता जाँच व अन्वेषण के दौरान नोट किए गए हैं। संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराने हेतु इस लेख में अन्वेषित मामलों का संदर्भ दिया गया है ताकि संविदा के विभिन्न स्तरों पर उनके द्वारा किस प्रकार की गलतियाँ की जाती हैं इसका उन्हें पता चल सके। लेकिन एक क्षण के लिए हमें यह विचार करने की भी आवश्यकता है कि आखिर हमलोग गलती क्यों करते हैं? क्या हमें नियमों और कार्यपद्धति का ज्ञान नहीं है? नहीं, ऐसा निश्चय ही नहीं है। प्रायः बहुत बार हम गलतियाँ इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन पर विश्वास करते हैं जिनका इरादा स्पष्ट नहीं होता है, जिन्हें जानकारी नहीं है और जिनका बिगड़ने के लिए कुछ भी दाँव पर नहीं है। कभी-कभी हम जल्दबाजी में होते हैं और काम को मूल काम नहीं समझते हैं। लेकिन वास्तव में कोई भी गतिविधि गैर केन्द्रीय नहीं होती है, इसलिए हमें सौंपे गये कार्य को अपने दिल से करना चाहिए।

इस प्रकार, आन्तरिक सतर्कता के द्वारा और थोड़ी सावधानी बरतकर सतर्कता अन्वेषण के परिणामस्वरूप अनुशासन एवं अपील से संबंधित कार्रवाई को हम रोक सकते हैं और रेल राजस्व की क्षति होने से बचा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है, प्रोद्यौगिकी की सहायता लेने का, जो हमारी कार्य पद्धति में सुधार लाने में हमेशा से ही अत्यंत सहयोगी रहा है।

(viii) Make a system of reporting the non-performance/poor performance of the contractor to all concerned at regular interval instead of sending the performance report when asked for by somebody. Do talk to your counterpart regarding the performance of the firm on whom you are contemplating to place order.

(ix) While making payment, must check that the bill has been signed by competent authority. Divisional Accountants (DAs), while checking the bill should ensure that the bill is accompanied by daily performance report and rates as well as penalty imposed are as per the contract provision. During investigating a case, it was noted that while passing bill, contract certificate was signed by Jr Scale officer whereas minimum level should be Sr Scale officer.

These certain aspects have been noted during investigation of vigilance cases of cleaning contracts. References of cases investigated have been made in the article to apprise the officials concerned to have an idea that what types of mistakes may be committed by them during different stages of contract. But we need to ponder for a moment that after all why do we commit mistakes? Are we ignorant of the rules and procedures? No, certainly not! Even many a times we commit mistakes because we rely upon those whose intentions are not clear, who are ignorant and whose stakes are low. Sometimes, we are in haste and consider the work a non-core activity. But in reality no activity is non-core. So let us perform every activity entrusted to us from the core of our heart.

Thus, by exercising internal vigilance and remaining a little bit careful, inviting D&AR actions resulting out of vigilance investigation can be avoided and Railway revenue be saved. One more important aspect is of taking help of technology which has always been of great help in improving our lot.

भंडार संविदा के तहत सामग्रियों की प्राप्ति

- महेश कुमार
उपमुसताधि/भंडार

- सुनिश्चित कर लें कि आपने वह क्रयादेश प्राप्त कर लिया है, जिसके तहत सामग्रियों की आपूर्ति की जानी है।
- जैसे ही क्रयादेश प्राप्त होता है, इसमें दर्ज नियमों एवं शर्तों को देखें। यदि इसमें कोई भी विसंगति पाई जाती है तो इसके सुधार/संशोधन हेतु संबंधित कार्यालयी के संज्ञान में मामले को लाएँ।
- क्रयादेश में दर्ज नियम एवं शर्तों के अनुसार प्राप्त सामग्रियों की जाँच करें।
- यदि पार्सल वे बिल प्राप्त नहीं हुआ है तो सामग्रियों को पार्सल कार्यालय से क्षतिपूर्ति बंध-पत्र पर प्राप्त करें। पार्सल कार्यालय से सामग्रियों का खुला परिदान प्राप्त करें, ताकि मार्ग में क्षति की दशा में वाहक के ऊपर दावा दायर किया जा सके।
- यदि सामग्री रेल/पार्सल से बुक किया गया है और यह समय पर प्राप्त नहीं किया जा सका है तो ऐसी दशा में पार्सल वे बिल जारी होने के एक माह के अन्दर दावा दायर करना सुनिश्चित करें।
- यह जाँच लें कि सामग्री की आपूर्ति उसी प्रेषण के माध्यम से की गई है जैसा कि क्रयादेश में उल्लेखित है यथा रेल/सड़क/जल या हवाई मार्ग। सामग्री की प्राप्ति का माध्यम साथ ही वाहन संख्या तथा तिथि एवं समय अंकित करें। अगर क्रयादेश में अंकित प्रेषण का माध्यम वास्तविक प्रेषण के माध्यम से अलग है तो इसे अंकित करें।
- यदि सामग्री की आपूर्ति मूल उपकरण निर्माणकर्ता के प्राधिकृत व्यापारी के द्वारा किया जाना है तो क्रयादेश में सीधे सुपुर्दगी की धारा का उल्लेख होता है, जिसके अनुसार सामग्री मूल उपकरण निर्माणकर्ता के क्षेत्राधिकार से कन्साईनी के यहाँ सीधे भेजा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि सामग्री मूल उपकरण निर्माणकर्त्ता से सीधे प्राप्त हुई है।
- क्रयादेश में अंकित आपूर्ति की इकाई को देखें। अगर आपूर्ति की इकाई मैट्रिक टन, किलोग्राम, इत्यादि है, तो वजन लेना सुनिश्चित करें। अगर आपूर्ति की इकाई नग, लीटर, इत्यादि है एवं आपूर्ति मात्रा की गिनती तुरन्त करना कठिन हो तो ऐसी स्थिति में कार्टून/ ड्रम्स/जार की संख्या अवश्य अंकित करें जिसके अन्तर्गत सामग्री प्राप्त की गई है। सामग्री के साथ आये व्यक्ति से पावती लें।

Receiving materials against Stores Contract

- Mahesh Kumar,
Dy. CVO(S)

- Ensure that you have received the purchase order against which the material is to be supplied.
- Go through the terms and conditions of the purchase order at once you receive it. If you find any discrepancy, bring it to the notice of the concerned official for rectification/amendment.
- Examine the material received in reference to the terms and conditions of the PO.
- Collect materials by parcel on indemnity bond if PWB has not been received. Take Open Delivery of material from the parcel office so that claim on carrier can be lodged for damage in transit.
- For consignments booked by rail/parcel, ensure to lodge claim within one month from the date of RR/PWB if material has not been received.
- Check whether the material has been supplied as per the mode of dispatch mentioned in the purchase order i.e. by rail/road/ ship/air. Mention the mode of receipt of material including vehicle number and date and time of receipt of material. If the actual mode of dispatch is different from that mentioned in PO then record it.
- For materials to be supplied by authorized dealers of the OEMs, direct delivery clause from the premises of the OEM to the consignee end without routing through the dealer is mentioned in the PO. Ensure that the supply is being received directly from the OEM.
- See the unit of supply of the material in PO. If the unit of supply is in MT, Kg, etc. ensure to take weighment. If unit of supply is in numbers, ltrs, etc which makes it difficult to assess the quantity supplied immediately, do mention the number of cartoons/drums/ jars in which supply has been received. Take acknowledgement of the person accompanying the material.

- अगर सामग्री की आपूर्ति जार/ड्रम के द्वारा की गई हो तो क्रयादेश में अंकित इसकी क्षमता/प्रकार से मिलान करना चाहिए। जाँच करें कि जार/ड्रम प्रथम दृष्ट्या टूटा हुआ तो नहीं प्रतीत होता है।
- जाँच करें कि क्रयादेश में अंकित पैकिंग की स्थिति के अनुसार सामग्री की आपूर्ति की जा रही है अथवा नहीं। यह उस मद के लिए महत्वपूर्ण है जिसके परिवहन के दौरान टूटने की संभावना बनती है यथा सेफ्टी ग्लास, आदि। ऐसे मद के लिए क्रयादेश में पैकिंग धारा में विशेष प्रावधान अंकित होता है तथा पैकिंग का चार्ज सामग्री की कीमत में निहित रहता है।
- क्रयादेश में वर्णित सामग्रियों की आपूर्ति की शर्त्त, जैसे बेयरिंग की आपूर्ति मूल निर्माता के वास्तविक पैकिंग में हो, के अनुरूप ही मूल निर्माता के वास्तविक पैकिंग में सामग्री की प्राप्ति सुनिश्चित करें।
- यदि सामग्री पूर्व निरीक्षित हो तो यह सुनिश्चित करें कि आपूर्ति के साथ निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं संबंधित जाँच रपट अवश्य संलग्न हो। निरीक्षण प्राधिकारी जैसे राइट्स के द्वारा निरीक्षण प्रमाण पत्र के क्रेता की प्रति क्रेता को अग्रिम रूप से भेज दी जाती है। जाँच लें कि निरीक्षण प्रमाण पत्र के क्रेता की प्रति पहले ही प्राप्त कर ली गई है।
- आयातित भंडार के निरीक्षण एवं आपूर्ति के समय आयात दस्तावेजों की प्रस्तुति का तथ्य जैसे कस्टम पास बिल ऑफ इन्ट्री, बिल ऑफ लेडिग/एयर वे बिल, निर्माता द्वारा जारी सामग्री जाँच प्रमाण पत्र/गारन्टी प्रमाण-पत्र, उत्पादन करनेवाले देश से संबंधी प्रमाण पत्र, निर्माता का इनवॉइस, आदि जाँच लें। निरीक्षण प्राधिकारी को निरीक्षण प्रमाण-पत्र में यह पुष्टि करना होता है कि आयात से संबंधित दस्तावेजों की जाँच कर ली गई है। निरीक्षण प्रमाण-पत्र पर इस तरह की पुष्टि को अवश्य देखें।
- आयातित दस्तावेजों की प्रस्तुति से आयातित सामग्री की प्रामाणिकता का पता चलता है और इसके दर की उपयुक्तता साबित होती है। यदि क्रयादेश में निरीक्षण एवं आपूर्ति के समय आयातित दस्तावेजों की प्रस्तुति की शर्त्त का उल्लेख नहीं हो तो क्रय करनेवाले अधिकारी को क्रयादेश आशोधन हेतु लिखें।
- आपूर्ति की गई सामग्री पर अलग न होनेवाले निरीक्षण प्रतिकृति की उपलब्धता की जाँच करें और सुनिश्चित करें कि यह निरीक्षण प्रमाण पत्र पर उल्लेख के अनुरूप हो।

- If supplies have been made in jars/drums, match it with the capacity/type of jar/drum mentioned in the PO. Check whether any of the jars/drums seem to be broken or damaged prima facie.
- Check the packing condition mentioned in the PO and ensure that whether material being supplied has been packed accordingly or not. This is important for items like safety glass, etc. for whom there is chance of getting damaged in transportation. For such items special packing clause is mentioned in the PO for which charges are paid to the firm/ included in the cost of material.
- Conditions for supply of items like bearings in original packing of the OEM are mentioned in PO. Ensure that supplies have been made in original packing of the OEM.
- If the supply is pre-inspected, ensure that it is accompanied with inspection certificate and relevant test report. Inspecting agency like RITES sends purchaser's copy of IC in advance. Check that whether purchaser's copy of IC has been received by you earlier.
- For imported stores, condition for furnishing import documents like customs out passed Bill of Entry, Bill of Lading/Air Way Bill, Manufacturer's MTC/GC, Country of Origin Certificate and Manufacturer's Invoice are to be furnished at the time of inspection and supply. The inspecting official has to endorse in the IC that import documents have been examined. See this endorsement in the IC.
- Furnishing of import document for imported stores is to ensure genuineness of the material and its purchase at correct price. If condition for furnishing import documents at the time of inspection and supply is not mentioned in the PO, ask the purchase office for amendment.
- Check the non-detachable inspection facsimile available on the material supplied and ensure that it is as mentioned in the IC.

- कभी कभी प्रत्येक सामग्री विशेष पर निरीक्षण प्रतिकृति नहीं लगाई जाती है, बल्कि कुछ मामलों में यह देखा जाता है कि निरीक्षण प्रतिकृति उस पैकिंग/कार्टून पर लगाई गई है जिसमें सामग्री की आपूर्ति की गई है। यह अंकित करें कि आपूर्तित की गई सामग्री पर निरीक्षण प्रतिकृति कैसे एवं कहाँ लगाई गई है। ऐसा करना इसलिए उपयोगी होगा क्योंकि भविष्य में संयुक्त निरीक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि सामग्री के ऊपर निरीक्षण प्रतिकृति लगाई गई है तो यह ज्यादा समय तक नहीं भी टिक सकती है।
- कार्टून एवं पैकिंग पर लगाई गई निरीक्षण प्रतिकृति की कुछ मात्रा संबंधित मिसिल में अवश्य रखें। ऐसा करना इसलिए उपयोगी होगा क्योंकि भविष्य में सामग्री के संयुक्त निरीक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है।
- यदि आपूर्तित सामग्री की पूर्व में भी आपूर्ति की गई है तो इसका मिलान पूर्व में की गई आपूर्ति से करें। यदि किसी तरह का कोई अंतर पाया जाता है तो आपूर्ति की गई सामग्री के विवरण एवं विनिर्देश का मिलान पूर्व में की गई आपूर्ति के विवरण एवं विनिर्देश से करें।
- यह जाँच करें कि सामग्री पर निर्माता का नाम, सामग्री के निर्माण का माह एवं वर्ष क्रयादेश की धारा के अनुसार समुद्भरित है अथवा नहीं।
- समुद्भरण की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए जिससे सामग्री का संरचनात्मक स्थायित्व एवं इसकी उपयुक्तता प्रभावित न हो। लघु आकार के मदों जैसे रबर के गैस्केट, आदि पर समुद्भरण संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में क्रयादेश में उल्लेखित समुद्भरण संबंधी धारा की जाँच करें एवं उक्त धारा के अनुसार सामग्री समुद्भरित की गई है, ऐसा सुनिश्चित करें।
- यदि किसी सामग्री या इसके घटक पर किसी दूसरे प्रतिष्ठान का नाम अंकित हो तो उसे दर्ज करें और आपूर्तिकर्ता से लिखित रूप में इसका कारण पूछे।
- कुछ सामग्रियाँ ऐसी होती हैं जिनका जीवनकाल सीमित अवधि के लिए होता है। ऐसी सामग्रियों के आपूर्ति आदेश में यह देखें कि सामग्री के निर्माण की अवधि एवं उसके आपूर्ति की अवधि का उल्लेख है या नहीं। आपूर्ति आदेश के अनुसार सामग्री के निर्माण एवं आपूर्ति की अवधि का मिलान सुनिश्चित करें।
- यदि आपूर्ति तिथि समाप्त हो तो सामग्री का बिना अवधि विस्तार के लेखाकरण न करें।

- Sometimes inspection facsimile is not put on each individual item. Rather, in some cases, it has been seen that inspection facsimile is put on the packing/cartoon in which the material is supplied. Record it that how and where inspection facsimile was pasted and available along with the supply. This will be helpful in arranging joint inspection in future, if required, as the inspection facsimile pasted on the material may not last for long.
- Do keep a few inspection facsimile especially pasted on cartoons and packing in your case file. This will help in future if any joint inspection is required to be arranged for the material.
- If the item is not new, match it with the earlier supplies. If you find any difference with the earlier supplies, match the description and specification of the item supplied and item received earlier.
- Check that whether embossing of manufacturer's name, make, month and year of manufacture are available on the material as per the embossing clause of PO or not.
- Embossing is to be done on materials without affecting their structural stability and functional utility. Some items like gasket of rubbers, etc are so small that embossing on them is not possible. Under this circumstance, examine the provision of embossing clause in PO and see that the materials are embossed accordingly.
- If names of other firms are found embossed on the material or its component, then record it and ask the supplier of its reason to be given in writing.
- For shelf life items, see that whether the range of date of manufacturing and date of supply is mentioned in the PO or not and ensure that supply has been made accordingly.
- If delivery period has been over, then do not account for the material until extension of delivery period is granted by the purchase authority.

- यदि आपूर्ति की गयी सामग्री दोषयुक्त हो तो तुरन्त अस्वीकृति पत्र जारी करें और संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रतिष्ठान एवं निरीक्षण संस्था को बुलावा भेजें। प्रतिष्ठान को बिना संयुक्त निरीक्षण के दोष युक्त सामग्री का उठाव न करने दें।
- यदि अस्वीकृत सामग्री के बदले नई सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो नई सामग्री का निरीक्षण प्रमाण पत्र देखें। अस्वीकृत सामग्री को पहले के निरीक्षण प्रमाण पत्र पर जिस पर सामग्री अस्वीकृत हुई थी, स्वीकार न करें।
- निरीक्षण प्रमाण पत्र खास अवधि तक ही वैध होता है। सामान्यत: निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों तक ही सामग्री के प्रेषण के लिए वैध होता है। यह देखकर सुनिश्चित करें कि सामग्री का प्रेषण वैध तिथि के अन्दर किया गया है।
- अगर सामग्री को लघु/सूक्ष्म सुधार के साथ स्वीकार किया जा सकता है, तो ऐसे सुधार की अनुमति संयुक्त जाँच के उपरान्त ही देनी चाहिए। ऐसे केस में संयुक्त निरीक्षण में प्रावधान रखें कि सामग्री को लघु/सूक्ष्म सुधार के उपरान्त अंतिम रूप से तभी स्वीकार किया जाऐगा जब जाँच एजेन्सी के द्वारा सामग्री उपयोग हेतु सही प्रमाणित किया जाएगा।
- पूर्व निरीक्षित सामग्री को निरीक्षण हेतु कन्साईनी के पास समान्यत: नहीं भेजा जाना चाहिए। इससे सामग्री के स्वीकार करने में अनावश्यक विलम्ब होगा।
- यह देखें कि क्रयादेश के अनुसार फर्म ने वारंटी/गारन्टी प्रदान किया है।
- क्रयादेश में अगर किसी सामग्री के निरीक्षण के पहले इसके कच्चे माल का स्टेज निरीक्षण निहित है तो यह देखें कि स्टेज निरीक्षण हुआ है या नहीं तथा अगर स्टेज निरीक्षण हुआ है तो इससे संबंधित दस्तावेज निरीक्षण प्रमाण पत्र के साथ प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
- सामग्री प्राप्ति के तुरन्त बाद संबंधित सारे तथ्यों का विवरण नोट शीट पर अंकित करें और इसके उपरान्त संबंधित अधिकारी को सामग्री स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु मिसिल प्रस्तुत करें।
- संबंधित अधिकारी को सामग्री की जाँच स्वयं करनी चाहिए और कभी भी केवल अधीनस्थ कर्मी के नोट शीट पर अंकित तथ्यों के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए।

- If the material supplied is defective, then issue rejection advice immediately and call for joint inspection with the inspecting agency and the firm. Do not allow the firm to lift the rejected material prior to joint inspection.
- If fresh material is being supplied after rejection, do see that new IC has been issued for the fresh supply. Do not accept the material on IC issued earlier for which the material was rejected.
- Inspection certificates issued have got validity. Normally the validity of IC is for 30 days from the date of issue for dispatch of stores. Ensure to see that the material has been dispatched within this period.
- If the material can be accepted after minor rectification, then allow such rectification after joint inspection only. Do keep a provision in the joint inspection in this case that the material after rectification will be finally accepted after the nod of the inspecting agency that the material is fit for use.
- Do not send the pre-inspected supply for inspection by consignee. It will unnecessarily delay the acceptance of material.
- See that warranty/guarantee furnished by the firm is as per PO.
- If the clause of stage inspection of raw material is incorporated in purchase order of any material, then check whether stage inspection has been done or not and if stage inspection has been done then ensure to obtain related documents of stage inspection with inspection certificate.
- Immediately after material is received, enumerate all the above aspects on a note sheet and put up to the concerned officer for acceptance, rejection or otherwise.
- Officer concerned must examine the material himself and never record his decision only on the basis of the note sheet put up by the subordinate official.

माल तथा पार्सल कार्यालय में 'क्या करें' और 'क्या न करें'

- शिखा श्रीवास्तव

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (यातायात)

<u>माल यातायात</u>

'क्या करें'

- अपनी ड्यूटी प्रारंभ करने के पूर्व निजी धन घोषणा पंजिका में अपने निजी धन की घोषणा करें।
- प्रतिबंध पंजिका को सदैव अद्यतन रखें।
- सूचना पट्ट पर प्रतिबंध और स्वीकार्य कोटा प्रदर्शित करें।
- उचित अग्रेषण पत्र स्वीकार करें।
- प्रेषण की पैकिंग की स्थिति के संबंध में परीक्षण करें और किसी दोष के संबंध में प्रेषक से उचित टिप्पणी लिखवाएं।
- पार्टी का आवेदन यदि वह पूर्व स्टैकिंग चाहती है तो उसे सुनिश्चित करें।
- माल का सही वर्गीकरण सुनिश्चित करें।
- दूरी की सही गणना सुनिश्चित करें।
- रेलवे रसीद की ठीक-ठीक तैयारी और शीघ्र निर्गमन सुनिश्चित करें।
- अधिमात्य अनुसूची, युक्तिकरण योजना और अन्य आदेशों को अद्यतन रखें।
- कोटा और वरीयता पंजिका का ठीक-ठीक अनुरक्षण सुनिश्चित करें।
- वरीयता आदेशों और अधिमान्य अनुसूची के अनुसार माल डिब्बे आवंटित करें।
- माल डिब्बा पंजीकरण शुल्क के रूप में सही धन राशि प्रभारित करें और रेलवे रसीद का शीघ्र निर्गमन सुनिश्चित करें।
- वरीयता और माल डिब्बा पंजीकरण शुल्क पंजिका में माल डिब्बा पंजीकरण शुल्क की शीघ्र प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
- माल डिब्बा स्थानांतरण पंजिका में माल डिब्बों के स्थापन के समय का अभिलेख सुनिश्चित करें।
- उतराई समाप्ति का सही अंकन सुनिश्चित करें।
- अवप्रभार यदि कोई हो तो उसकी सही गणना एवं वसूली सुनिश्चित करें।

Do's and Don'ts in Goods & Parcel office

- Shikha Srivastava

Dy CVO (Traffic)

<u>Goods Traffic</u>

Do's

- Declare private cash in the private cash declaration register before starting the duty.
- Always keep the restriction register up-to-date.
- Exhibit the restriction and quota for acceptance on the notice board.
- Entertain a proper & correct filled forwarding note.
- Examine the consignment in respect of the packing condition and obtain appropriate remarks from the consignor in respect of any defects.
- Ensure party submits its application for stacking permission if sought.
- Ensure the correct classification of the Goods.
- Ensure correct calculation of distance.
- Ensure correct preparation and prompt issuance of the RR.
- Keep preferential schedules, rationalization scheme and other order up-to-date.
- Ensure correct maintenance of quota and priority register.
- Allot the wagons according to priority and preferential schedule.
- Charge the correct amount as wagon registration fee and ensure prompt issue of a money receipt.
- Ensure prompt entry of wagon registration fee in priority as well as WRF register.
- Ensure recording of time of placement of wagon in wagon transfer register.
- Ensure correct recording of unloading completion.
- Ensure correct calculation and realization of undercharge, if any.

- विलंबन शुल्क, स्थान शुल्क यदि कोई हो तो उसकी सही गणना एवं वसूली सुनिश्चित करें।
- लदान समाप्ति का सही अंकन सुनिश्चित करें।
- उतराई प्रारंभ करने के पूर्व सीलों की जांच पड़ताल कर लें।
- उचित प्रलेख सुनिश्चित करें।
- परिदान पुस्तिका में हस्ताक्षर प्राप्त कर लें।
- रेलवे रसीद को सावधानीपूर्वक जाँचे।
- रेलवे रसीद पर उचित पृष्ठांकन सुनिश्चित करें।
- यदि मालगोदाम में पीनल स्थान शुल्क/विलंब शुल्क लागू है तो उसकी समय से सूचना प्रदर्शित करें।
- संबंधित या वैकल्पिक तौल मशीन पर रेक का तौल सुनिश्चित करना।

'क्या न करें'

- निजी धन घोषणा पंजिका में निजी धन की घोषणा करना न भूले।
- घोषित निजी धन की सूचना में कोई बदलाव न करें।
- बिना उचित भाड़ा वसूल किए रेलवे रसीद जारी न करें।
- वरीयता और माल डिब्बा पंजीकरण पंजिका में धन रसीद की संख्या का अभिलेखन करने में विलंब न करें।
- माल डिब्बा स्थानांतरण पंजिका में समय अंकित करना न भूले।
- स्थापना समय लिखना न भूलें।
- दोषपूर्ण सील पाए गए डिब्बों के केस में रेलवे सुरक्षा बल को बुलाना न भूलें।
- माल डिब्बों के उतराई की समाप्ति पर मुक्त करने का समय लिखना न भूलें।
- सरकारी धन और निजी धन को एक साथ मिलाकर न रखें।
- सरकारी धन राशि का कॉउंटर पर खुले में न रखें।

पार्सल यातायात

'क्या करें'

- अपनी ड्यूटी प्रारंभ करने के पूर्व निजी धन घोषणा पुस्तिका में अपना निजी धन घोषित करें।

- Ensure correct calculation and realization of demurrage charge, wharfage charge if any.
- Ensure prompt recording and relaying of completion of loading.
- Examine the seal before commencement of unloading.
- Ensure proper documentation.
- Obtain the signature of party in Delivery book.
- Carefully check the RR.
- Ensure proper endorsement on the RR.
- Timely display of penal Wharfage & Demurrage if enforced in Goodshed.
- Ensure weighment of rake at the associate or the alternate weighbridge.

Don'ts

- Do not forget to declare private cash on the private cash register.
- Do not make alteration against the declared private cash.
- Don't issue RR without collecting the due fare.
- Do not delay in recording MR no. in priority and wagon registration register.
- Do not fail to record time in wagon transfer register.
- Do not fail to record placement time.
- Do not fail to call RPF staff in case of defectively sealed wagon.
- Do not fail to record release timing on completion of unloading.
- Don't keep Govt. Cash along with private cash.
- Don't keep Govt. Cash in open at the counter.

Parcel Traffic

Do's

- Declare private Cash in the private cash declaration register before starting the duty.

- उचित अग्रेषण पत्र सुनिश्चित करें।
- सुनिश्चित करें कि सभी पैकेजों पर निजी मार्का लगा है।
- सभी प्रभार लगाने के लिए पैकेजों की भौतिक तौल/माप करें।
- प्रेषक द्वारा प्रेषण के संबंध में गलत घोषणा का पता लगाए तथा सावधान रहें।
- सही रेलवे मार्किंग सुनिश्चित करें ।
- लादे गए पार्सल के लिए गार्ड से उसकी पावती ले लें।
- पार्सल के उतराई के समय गार्ड से पार्सल रवन्ने की गार्ड प्रति का संग्रह किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्षतिग्रस्त पार्सलों के संबंध में गार्ड की टिप्पणी प्राप्त कर लें और क्षतिग्रस्त और कम पैकेज की सूचना जारी करें।
- संबंधित सुपुर्दगी पुस्तिका में पार्सल रवन्नों की प्रविष्टि तुरंत करें।
- सुपुर्दगी के लिए प्रस्तुत रेलवे रसीद की मौलिकता की जाँच कर लें।
- जाँच कर लें कि सही भाड़ा संगणित है।
- अधिक तौल का पता लगाने के लिए प्रेषण को पुनः तौले।
- सुपुर्दगी के लिए रेलवे रसीद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पक्ष में उसका पृष्ठांकन सुनिश्चित करें।
- परिदान पुस्तिका में हस्ताक्षर सुनिश्चित करें ।

<u>'क्या न करें'</u>

- अग्रेषण पत्र में दिए गए घोषणा पर सदैव विश्वास न करें और संदेह होने पर प्रेषण की जाँच करना न भूलें।
- जब तक अग्रेषण पत्र पर प्रेषक अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा दोषपूर्ण पैकिंग के संबंध में टिप्पणी अंकित न कर दी जाए, तबतक यदि प्रेषण निर्धारित पैकिंग शर्त के अनुसार पैक न किया गया हो तो किसी भी प्रेषण को स्वीकार न करें।
- तौल से स्थूल वस्तुओं को बुक न करें और यदि उच्चतर भाड़ा प्राप्त हो तो माप द्वारा संगणना करने से न चूकें।
- पार्सल प्रेषण के लिए गार्ड का हस्ताक्षर प्राप्त करना न भूलें।
- सुपुर्दगी के पूर्व प्रेषण का पुनः परीक्षण, पुनः तौल, पुनः जाँच एवं पुनः प्रभारण करना न भूलें।

- Entertain a proper & correctly filled forwarding note.
- Ensure that all the packages have a private marka.
- Physically weigh or measure the packages to levy correct charges.
- Be alert to detect mis-declaration of consignment by the consigner.
- Ensure correct Railway marking.
- Obtain acknowledgment from the guard for parcels loaded under Guard Charge.
- Ensure guard portion of PW Bills are collected from the guard at the time of unloading of Parcels.
- Obtain remarks of guard in case of damaged parcels and issue DDM.
- Immediately make entry of p.way bill in the respective delivery Book
- Check the RR produced for delivery for its genuineness.
- Check that the correct fare in calculated.
- Reweigh the consignment to detect over weighment for realizing under charge.
- Ensure endorsement of RR in favour of the person presenting the same for delivery.
- Obtain the signature of party in delivery Book.

<u>Don'ts</u>

- Do not always rely on the declaration given in the forwarding note and do not fail to check the consignment when in doubt.
- Do not accept any consignment if not packed according to prescribed packing condition unless remarks in regard to defective packing condition are endorsed on forwarding note by the sender or his agent.
- Do not book bulky articles on basis of weight and don't fail to calculate charges on the basis of measurement, especially if given on higher charge.
- Do not forget to obtain signature of the guard for dispatch of parcels.
- Do not fail to re-examine, reweigh, recheck and recharge the consignment before delivery

चयन : क्या करें एवं क्या न करें

- **अभिषेक कुमार**
उपमुसताधि/लेखा

क्या करें

1. चयन की अधिसूचना जारी करने से पूर्व रिक्त पदों की गणना सही एवं अनुमोदित होनी चाहिए।
2. अधिसूचना में कोटिवार (अजा/अजजा/सा.) ब्रेकअप स्पष्ट होनी चाहिए।
3. अधिसूचना जारी करने वाले प्राधिकारी को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कार्मिक विभाग (आर.पी.सेल) से कोटिवार रिक्तियों की जाँच एवं विधिक्षण किया गया हो। यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि रिक्तियाँ पद-आधारित रोस्टर के अनुसार होनी चाहिए।
4. अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति-पूर्व तय अवधि की प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
5. योग्यता की शर्तों में यदि कोई परिवर्तन आवेदन प्राप्त करने या चयन शुरू करने के बाद किया जाता है तो परिवर्तित योग्यता के अनुसार सभी योग्य अभ्यर्थियों को यह मौका दिया जाना चाहिए।
6. रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देश के अनुसार ही चयन समिति का गठन किया जाना चाहिए।
7. रेलवे बोर्ड के अद्यतन निर्देश/दिशा-निर्देश की प्रति कार्मिक विभाग द्वारा चयन समिति के सदस्यों को नामांकन के समय ही उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
8. चयन समिति के सदस्य विशेषकर प्रश्न पत्र सेटर एवं मूल्यांकन करने वाले सदस्य प्रश्न पत्र सेट करने या मूल्यांकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें अद्यतन निर्देश/दिशा-निर्देश की प्रति प्राप्त हो गई है।
9. प्रश्न पत्र सेटर द्वारा समान एवं शीघ्र जाँच हेतु मॉडल उत्तर उपलब्ध करानी चाहिए।
10. लिखित परीक्षा के बाद जल्द से जल्द उत्तर पुस्तिका की कोडिंग करनी चाहिए।

Selections: Do’s & Don’ts

- Abhishek Kumar
Dy.CVO/A

Do’s

1. The number of vacancies should be correctly assessed and approved before issuing notification for selection.
2. Notification should clearly indicate category wise (SC/ST/UR) breakup.
3. Authority approving issue of notification must ensure that Personnel department (RP cell) has examined and vetted the community wise break up of vacancies. This is to ensure that vacancies are as per applicable Post based Roster.
4. Pre-promotional training of stipulated duration for SC/ST candidates should be ensured.
5. If a change is introduced in the condition of eligibility after the call for applications or after the selection has started ensure that opportunity is given to all candidates who may have become eligible according to the revised conditions of eligibility.
6. Selection committee should be constituted as per Railway Board’s guidelines.
7. Copy of latest Railway Board instructions/guidelines should be made available by the Personnel department to selection committee members at the time of nomination itself.
8. Members of selection committee especially question paper setter and evalautor should ensure that they have received latest instructions/guidelines before setting the paper or starting the evaluation work.
9. Paper setter should provide model answers for uniform and faster evaluation.
10. Answer sheets should be coded as soon as written test is over.

11. उत्तर पुस्तिका जो डमी नंबर/कोड के साथ एवं जो किसी भी दृश्य पहचान चिन्ह (जैसे जय, ओम आदि) के बिना हो केवल उसी की जाँच की जानी चाहिए।
12. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर में सुधार करने पर मूल्यांकन करना मना है। (आर.बी.ई 126/08), इस आशय का निर्देश प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पर मुद्रित होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सुधार : जैसे कि कटिंग, ओभरराईटिंग, मिटाना, बहुविकल्पीय प्रश्नों में एक को मिटाकर दूसरे पर निशान लगाना, किसी भी प्रकार से उत्तर बदलना।
13. उत्तर पुस्तिका की जाँच अमिट स्याही से की जानी चाहिए किसी भी परिस्थिति में पेंसिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
14. मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये अंक टॉप शीट पर टेबुल में दिये जाने चाहिए।
15. दशमलव में दिये जाने वाले अंक प्रथम दशमलव स्थान तक दिये जाने चाहिए एवं इसे पूर्ण अंक में नहीं बदलना चाहिए। कुल अंक को भी पूर्ण अंक में नहीं बदलना चाहिए।
16. मूल्यांकन में हुए दो माह से अधिक की देरी की जानकारी मंडल रेल प्रबंधक या विभागाध्यक्ष को देनी चाहिए, तीन माह से अधिक की देरी को महाप्रबंधक के व्यक्तिगत जानकारी में लानी चाहिए।
17. अंक शीट दर्शिका कोड नं. एवं प्राप्तांक हस्ताक्षर कर कार्मिक विभाग को देनी चाहिए।
18. मूल्यांकन किये हुए उत्तर पुस्तिका मॉडल उत्तर के साथ कार्मिक विभाग को हस्तगत कराना चाहिए।
19. लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित एवं व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए।
20. चयन समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सही चयन प्रक्रिया एवं स्थापना नियमों का पालन किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग के सदस्य की भूमिका बहुत संवेदनशील है।
21. सेवा विवरण आदि पर दिये जाने वाले अंक एसीआर ग्रेडिंग, पुरस्कार आदि के आधार पर होने चाहिए एवं यह विवरण भी चयन प्रोसिडिंग का हिस्सा होना चाहिए।

11. The answer sheets *with* dummy numbers/codes and those *without* any visible identification signs (like 'jai', 'om' etc) only should be evaluated.
12. Evaluation of corrected answers to objective questions is disallowed (RBE 126/08). Instructions to this effect should be printed on question paper as well as on the copies. Corrections to objective type questions include: Cutting; Overwriting; Erasing; Scoring off a ticked answer in mutiple-choice question and ticking another answer; modifying the answer in any way;
13. Evaluation of answer sheets should be in indelible ink and in no case should a lead pencil be used.
14. Marks awarded by the evaluator for each question should be tabulated on the top sheet.
15. Decimal marks whenever awarded should be correct to the first decimal and the same should not be rounded off. The total marks too should not be rounded off.
16. Delay in evaluation by more than two months should be brought to the notice of DRM or HOD. Delays of more than three months should be brought to the personal notice of the General Manager.
17. Marks sheet indicating code nos. and marks obtained duly signed should be given to the personnel branch.
18. Evaluated answer books alongwith model answer should be handed over to Personnel department.
19. Result of written examination should be declared and widely circulated.
20. Selection committee should ensure that the correct procedure and establishment rules have been followed. Role of member of Personnel Department is very critical in this regard.
21. Marks awarded for records of service etc should be based on details of ACR gradings,awards etc duly worked out and such detail should be part of selection proceedings.

22. तैयार किये गये मूल्यांकन तालिका पर चयन समिति के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए।

<u>क्या न करें</u>

1. चयन बोर्ड/समिति में ऐसे अधिकारी को नामित नहीं किया जाना चाहिए जिनका नाम सहमति/गुप्त सूची में हो।
2. चयन बोर्ड/समिति के गठन में परिवर्तन नहीं करना चाहिए जब तक कि यह अवश्यम्भावी न हो।
3. अधिसूचना जारी होने के बाद रिक्तियों में बदलाव नहीं करना चाहिए।
4. चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों विशेषकर लिखित परीक्षा, मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा एवं परिणाम जारी करने के मध्य विलम्ब नहीं होना चाहिए।
5. उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अनाधिकारिक तौर पर अन्य किसी से नहीं करानी चाहिए।
6. अंक प्रदान करने के लिए पेंसिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
7. अंक प्रदान करने के बाद किसी प्रकार का सुधार जैसे मिटाना, कटिंग, या ओभरराईटिंग नहीं किया जाना चाहिए।
8. मूल्यांकनकर्ता द्वारा एक बार दिये गये अंक में सुधार करने की अनुमति नहीं है। ऐसा अधिक अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के क्षेत्र में आ सकें, इसके लिये नहीं करना चाहिये। मूल्यांकन उत्तर के विषयवस्तु एवं सटिकता पर ही करना चाहिए।
9. आवश्यकता से अधिक प्रश्नों के हल करने पर अधिक वाले प्रश्नों पर अंक नहीं प्रदान किया जाना चाहिए।
10. चयन प्रक्रिया में किये गये हस्ताक्षर के साथ तिथि देना नहीं भूलना चाहिए।
11. टुकड़ों में पैनल की घोषणा नहीं करनी चाहिए।

बिना उत्साह के कभी किसी

उच्च लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती।

---

22. Ensure that the evaluation chart prepared is signed by all the members of the selection committee.

<u>Don'ts</u>

1. Do not nominate an officer in the Selection Board/Committees, if his name is borne on the agreed/secret list.
2. Do not change the constitution of the Selection Board/ Committee for a Selection except when unavoidable.
3. Vacancies should not be altered once the notification is issued.
4. Do not allow delays between various stages of Selection process, particularly between Written Test, evaluation of answer sheets, viva Voce and publication of result.
5. Do not have the evaluation of Answer Sheets done by someone else unofficially.
6. Do not use a lead pencil for allotting marks.
7. Don't do corrections in marks once given by erasing, cutting,overwriting etc.
8. Evaluator is not permitted to review their evaluation and to award marks keeping in mind the percentage of pass marks with a view to bringing more candidates into zone of viva-voce. Marking should be strictly as per content and correctness of answers.
9. Do not give marks for questions attempted in excess of the number of questions required to be answered.
10. Do not forget to date your signature in the selection proceedings.
11. Do not announce selection panels piecemeal, to the extent possible.

DO IT NOW.

SOMETIMES 'LATER'

BECOMES 'NEVER'.

मानवता ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है।

- **प्रमोद यादव,** मुसतानि/भंडार

मेरे गाँव में एक सज्जन रेल पथ निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। पूरा गाँव उन्हें मिस्पीटर बाबा के नाम से जानता था। रेल की नौकरी करते हुए अनैतिक तरीके से उन्होंने अपार सम्पत्ति अर्जित की। उनकी कुल अर्जित सम्पत्ति के रूप में 100 एकड़ जमीन एवं गाँव में महल जैसा आलीशान मकान था। पूरा परिवार आनन्दपूर्वक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। सन् 2012 ई. में मिस्पीटर बाबा खुद और उनका सारा परिवार भगवान से उनकी मृत्यु हेतु प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन मौत थी की उनकी ओर अग्रसर ही नहीं हो रही थी। शायद वे अपने हिस्से में लिखे कष्ट को पूरा नहीं भोग पाए थे।

बाबा के पुरखे गाँव के जमींदार थे, इस कारण बीमारी के दौरान उनसे अधिकांश ग्रामवासी मिलने आते परन्तु मिलने के उपरान्त यही कहते कि स्थिति देखने लायक नहीं रह गई है, भगवान उन्हें मृत्यु प्रदान करें। कौतुहलवश मैं भी उनके दर्शन के लिए गया तो पाया कि बाबा के पूरे शरीर में कीड़ा हो गया है। बदबू ऐसी आती थी कि नाक से हाथ न हटाया जाए। इस संबंध में बाबा के पौत्र से बात कर पूछा कि क्या इनका ईलाज ढंग से नहीं कराया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि क्या बताऊँ? हर दिन डाक्टर बदन को साफ कर दवाई लगाते हैं लेकिन पता नहीं कौन-सा मर्ज है कि ठीक होने की बजाए बढ़ता ही जा रहा है। पड़ोसियों ने कहा कि रात भर बाबा बचाओ! बचाओ! कर चिल्लाते हैं एवं बीच-बीच में होश आने पर अपने पौत्र को कहते हैं कि ''मुझे जहर की सूई क्यों नहीं दिला देते? इस कष्ट से तो अच्छा है कि ईश्वर मौत दे दे''।

गाँव के ही बुजुर्गों ने बताया कि एक बार इस गाँव में रेल दुर्घटना हुई थी। उस वक्त दुर्घटना के शिकार मृत एवं घायल यात्रियों के सभी सामान व पैसे बाबा ने छीनकर रख लिए थे। उसी पैसे से बाबा करोड़पति हो गए व गाँव में आलीशान मकान तथा जमीन खरीदी। मिस्पीटर बाबा भी इस अवस्था में अब इस तथ्य से इन्कार नहीं कर पाते हैं। वह कहते हैं कि- ''मैंने अपने जीवन में मानवता को छोड़कर दानवी प्रवृति अपनाई तथा इसी दानवी प्रवृत्ति का सहारा लेकर अपार धनोपार्जन की। मैंने केवल मृत, घायल और लाचार लोगों के साथ ही अमानवीय प्रवृत्ति नहीं अपनायी वरन् माता के समान रेल की भी बहुत सम्पत्ति चोरी की। परन्तु आज यह सम्पत्ति मेरे किसी काम की नहीं है''। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैंने वेद-पुराण का भी अध्ययन किया जिसमें स्पष्ट

रूप से वर्णित है कि- ''गरीब सताए तीन गये, रावण, कौरव, कंश''। परन्तु धन रूपी माया के मोह में मेरा यह वेद-पुराण ज्ञान भी काम न आया जिसका परिणाम मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। अत: मेरी यह सलाह है कि आप सभी इस तरह की गलती कदापि न करें। मिस्पीटर बाबा की मृत्यु मार्च-2013 में हुई। आज उनके सभी पौत्र बेरोजगार हैं, व बाबा के द्वारा अर्जित सम्पत्ति की बिक्री कर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं।

मानव पृथ्वी के सभी प्राणियों में सबसे अधिक सक्षम व समझदार है। उसे अपनी ऊर्जा प्राणियों के कल्याण में लगाना चाहिए। ऐन-केन प्रकार से अर्जित की गई सम्पत्ति मनुष्य का साथ कभी नहीं देती है जैसा कि इस कहानी से भी परिलक्षित है। इस संसार में रह जाता है केवल मानव द्वारा किया गया उसका कृत्य एवं यश। सच हीं कहा गया है- ''मानवता ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है''।

रिश्ता दिल में होना चाहिए शब्दों में नहीं
और
नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए दिल में नहीं।

❖

सफल होने के लिए अच्छे मित्रों की आवश्यकता होती है लेकिन सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है।

- चाणक्य

यातायात

- **एस.के. सिन्हा**, मुसतानि/यातायात
- **गोपाल कुमार**, मुसतानि/यातायात
- **के.एन. सहाय**, मुसतानि/यातायात
- **एस.एस.भी. प्रसाद**, मुसतानि/यातायात
- **अभय कुमार**, मुसतानि/यातायात
- **पंकज नयन**, मुसतानि/यातायात
- **एस.पी. पोद्दार**, मुसतानि/यातायात

1. रियायती पास के तहत बुक किए गए आरक्षित सीट में अनियमितता:

गुप्त स्रोत से सूचना प्राप्त हुई कि किसी ट्रेन में रेलवे सुविधा पास में प्रावधान शून्य राशि के आधार पर कई शायिकाएं ब्लॉक कर उन कनफर्म शायिकाओं पर अनियमित रूप से यात्रियों को यात्रा कराई जा रही है। उक्त ट्रेन के निर्दिष्ट कोच में एक निवारक जाँच के क्रम में पाया गया कि 26 शायिकाएं बेटिकट यात्रियों से भरे पड़े थे। बाद में, एक बेटिकट यात्री पॉवरकार में भी पाया गया। कोच कंडक्टर द्वारा ट्रेन वर्किंग चार्ट में उन शायिकाओं पर चार्ट नामित यात्रियों को 'टर्नड अप' चिन्हित कर दिया गया था। कुल 27 बेटिकट यात्रियों को जुर्माना लेकर नियमित किया गया और उनसे रेलवे को देय के रूप में कुल रु. 24680/- राशि की वसूली की गई। इन कोचों को संचालित करने वाले कोच कंडक्टर ने भी अपने सरकारी कैश में रु. 2990/- अधिक दिखलाया। संबंधित कर्मचारी के निलंबन के साथ दीर्घ आरोप दंड हेतु अनुशंसा की जा चुकी है तथा रियायती टिकटों के इस संदिग्ध कपटपूर्ण मामले में संलग्न नेक्सस (अंतर्संबंधों) का पता लगाने के लिए आगे की जाँच करायी जा रही है।

2. ट्रेन कंडक्टर के मिलीभगत से नकली टीटीई का ट्रेन में चलना :

स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर एक एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच पर ड्यूटी कर रहे टिकट जाँच कर्मचारी की डिकॉय जाँच की गई। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर, ड्यूटी पर ट्रेन कर्मचारी जो काले कोट में था, यात्रा आरंभ करने के स्टेशन से आरक्षण चार्ट लिए हुआ था और उसने

TRAFFIC

- **S.K.Sinha,** CVI/Traffic
- **Gopal Kumar,** CVI/Traffic
- **K.N.Sahay,** CVI/Traffic
- **S.S.V.Prasad,** CVI/Traffic
- **Abhay Kumar,** CVI/Traffic
- **Pankaj Nayan,** CVI/Traffic
- **S.P. Poddar,** CVI/Traffic

1. Irregularity in Reserved accommodation booked under Pass concession:

Source information was received that in a train several berths have been blocked on a Railway Privilege pass against zero amount and that irregular passengers are being carried on these confirmed berths. A preventive check was conducted in the said train in designated coaches and 26 berths were found occupied by without ticket passengers. Later one Without Ticket passenger was also found in power car. The coach conductor had marked 'turned up' in the train working chart against these berths for chart named passengers. Total 27 without ticket passengers were regularized with penalty and a sum of total ₹ 24680/- was realized as Railway due from them. The coach conductor manning these coaches also produced ₹ 2990/- excess in his Govt. Cash. The concerned staff has been recommended for suspension and further investigation is being carried to find the extent of nexus in suspected fraud of concession tickets in the case.

2. Fake TTE travelling with the connivance of Train conductor:

On the basis of source information a decoy check was conducted on the ticket checking staff manning sleeper coach of an Express Train. At station platform, on duty train staff, who was in black coat & having ex boarding chart, asked & accepted ₹ 400/- from 2 Decoy passengers for taking them

2 डिकॉय यात्रियों से दूसरे दर्जे के साधारण टिकट पर उन्हें कटिहार तक स्लीपर कोच में ले जाने के लिए रु. 400/- माँग कर ले लिया। हालांकि, जाँच के क्रम में यह पाया गया कि संबद्ध व्यक्ति एक नकली चल टिकट परीक्षक था और ट्रेन कंडक्टर के मिलीभगत से कार्य में संलग्न था। उसके पास ईएफटी किताब भी नहीं थी। यात्रियों से जबरन वसूली से लिए गए रु. 6645/- उसके कब्जे में थे। दोनों, नकली चल टिकट परीक्षक और कंडक्टर ने अपने बयान में स्वीकार किया कि वे एक-दूसरे को जानते हैं और एक साथ काम करते हैं। बाद में संयुक्त जाँच मेमो तैयार कर उस व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने हेतु जीआरपी के हवाले कर दिया गया। ट्रेन कंडक्टर पर भी बड़ी शास्ति कार्रवाई की जा रही है।

3. कोयले की रेक में ओवरलोडिंग :

कोयले के रेक की ओवरलोडिंग की पूर्व सूचना के आधार पर गोमो स्थित वे-ब्रीज पर एक निवारक जाँच की गई। जाँच के दौरान, पूर्व मध्य रेल के धनबाद मंडल के जारनडीन प्राइवेट साइडिंग (पीएसजेए) से लादे गए कोयले के 58 बीओएक्सएनएचएल की रेक जिसका लदान व्यासनगर, लखनऊ डिवीजन, उत्तर रेलवे के लिए हुआ था, का गोमो में फिर से भार लिया गया। पुनर्तौल के पश्चात् यह पाया गया कि गोमो वे-ब्रीज पर कुल भार 4708.20 टन था जबकि पीएसजेए पर इसका भार 4094.70 टन था। इस प्रकार 613.50 टन की अधिक लोडिंग पाया गया। उक्त जाँच के परिणामस्वरूप, रु. 2722419/- का अप्रभार उठाया गया। मनी रसीद द्वारा इसकी वसूली की गई। उक्त सतर्कता जाँच के न होने पर रेलवे को 'अप्रभार' के रूप में भारी राशि की हानि उठानी पड़ती।

4. वीपीयू और एसएलआर में भारी ओवरलोडिंग :

निवारक जाँच में एक ही ट्रेन के पार्सल लाने वाले सभी नियत स्थानों की पुनः तौल किया गया। कुल चार डिब्बों के पैकेज जिसमें दो लीज पर दिए गए एसएलआर तथा दो डिमांड वीपी थे का पुनः भार लिया गया। 23 टन के सीसी वाले वीपीयू में 10 एवं 6 टन तथा दोनों संयुक्त एसएलआर में लगभग 2 टन की अधिक लोडिंग ट्रेन में पायी गई। सभी

till KIR in Sleeper coach against II class General Ticket. However, during course of check it was found that the concerned person was a fake TTE & was working in connivance with the Train conductor. He was not having EFT & had ₹ 6645/- in his possession which he had acquired by extortion from passengers. Both the fake TTE & Conductor in their statement accepted of knowing each other & working together. Subsequently, Joint check memo was prepared & the person handed over to GRP along with FIR. Also, the conductor of Train has been taken up under Major Penalty action.

3. Overloading in Coal rake:

On basis of source information, a preventive check was conducted at GMO weigh bridge to detect overloading in Coal rake. During check a rake of 58 BOXNHL containing Coal loaded ex Jarandin Pvt. Siding (PSJA) of Dhanbad Division of E.C.Railway for Vyasnagar (VYN) of Lucknow Division of Northern Railway was reweighed at GMO. After reweighment, it was detected that the Net weight at GMO Weigh bridge was 4708.20 T whereas the same at PSJA was 4094.70 T. Thus, 613.50 T was detected as overloading. As a result of the said check ₹ 2722419/- was raised as undercharges and the same was realized vide Money receipt. In absence of the said Vigilance check Railway would have lost the heavy amount as undercharges.

4. Heavy overloading in VPU & SLRs:

A preventive check was conducted in a train for re-weighment of Parcel Spaces. Packages of total four compartments, in which two leased SLRs and two demand VPUs were got re-weighed. Excess loading of 10 & 6 tonnes in VPUs having CC of 23 tonnes and around 2 tonnes in both SLRs combined

चारों पार्सल को नियत स्थान में भारी ओवरलोडिंग से एक दिन में एक ट्रेन से रु. 8.28 लाख का कम प्रभार उठाया गया जो अभी तक के पार्सल यातायात में उच्चतम है। इसके अलावा, रु. 6448/- के विलंब शुल्क और स्थान शुल्क की उगाही की गई, परिणामस्वरूप इस निवारक जाँच में रु. 8.34 लाख की वसूली की गई। इस तरह के भारी ओवरलोडिंग से न केवल रेलवे राजस्व की हानि होती है, अपितु ट्रेन एवं यात्रियों की संरक्षा को भी खतरे में डालती है। आरंभिक रेलवे को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा पट्टे/डिमांड वाले पार्सल स्थान की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए सूचित किया जा चुका है।

5. पैन्ट्रीकार में अत्यधिक वसूली :

प्राप्त जानकारी के आधार पर, एक प्रीमियर ट्रेन के पैन्ट्रीकार कर्मचारियों पर डिकॉय जाँच की गई जिसमें डिकॉय पैसेंजर को एक स्लीपर कोच में बुक किया गया था। जब पैन्ट्रीकार का कर्मचारी उस कोच में पहुँचा तो डिकॉय पैसेंजर ने एक स्टैंडर्ड शाकाहारी थाली का मूल्य पूछा। पैन्ट्रीकार कर्मचारी ने रु. 90/- बताया और उसने एक शाकाहारी थाली का रु. 90/- लिया। रु. 50/- के मूल्य वाली स्टैंडर्ड शाकाहारी थाली की जगह, पैन्ट्रीकार कर्मचारी ने मेनू में पनीर डिश के साथ एक शाकाहारी थाली दिया और निर्धारित शाकाहारी थाली के अनुसार दही/मिठाई और पानी का ग्लास नहीं दिया। इन सारी चीजों के लिए वह बिना बिल दिए सभी यात्रियों से बिल दर के अनुसार प्रति भोजन रु. 40/- अतिरिक्त चार्ज कर रहा था । पैन्ट्रीकार में मेनू के अनुसार वेज थाली बनायी ही नहीं जाती थी एवं उसकी जगह अला-कार्ट भोजन था जो मानक अनुसार नहीं था। उक्त कर्मचारी भी बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के काम करता हुआ पाया गया और उसे वर्तमान नियम के अनुसार चार्ज किया गया। पैन्ट्रीकार ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।

was found in the train. The heavy overloading in all four parcel space led to raising of undercharge ₹ 8.28 Lacs from one train in a day which is highest till date in parcel traffic. Further, Demurrage Charge and Wharfage Charge of ₹ 6448/- was also realized, resulting a total of ₹ 8.34/- Lacs in this preventive check. Such heavy overloading not only causes loss of the Railway Revenue but also jeopardizes safety of train & passengers. Originating Railway has been advised for necessary follow up action and monitoring of lease/on demand parcel space.

5. Excess realization in Pantry Car:

Based on source information, a Decoy check was conducted on Pantry car staff of a premier train wherein Decoy Passenger was booked in a sleeper coach. When Pantry Car staff arrived in coach, Decoy passenger asked price of one standard Veg Thali. Pantry car staff replied ₹ 90/- and also demanded and accepted ₹ 90/- for one Veg. thali. Against the standard Veg. Thali priced at ₹ 50/-, the PC staff supplied one Veg. Meal with addition of a Paneer dish to the menu and not supplying curd/sweet and water glass as per stipulated Veg Thali. For this modification he was charging ₹ 40/- extra per meal at Alacarte rate from all passengers without issuing bills. The standard Veg. meal/thali had been phased out from available menu in favour of Alacarte meal, which too was not as per specification. The said staff was also found working without medical certificate and was charged as per extant rule. Penal action against Pantry car contractor has been recommended to CCM/E.C.Railway.

6. **तत्काल अवधि में अनियमितताएं एवं दलालों से संदिग्ध मिलीभगत:**

(क) अनुषंगी पीआरएस लोकेशन पर निवारक जाँच करने के दौरान 06 अवितरित तत्काल आरक्षित टिकट, आरक्षण कर्मचारी के काउंटर पर पाए गए। इसके सरकारी कैश में रु. 20,000/- आरंभिक कमी देखने के बाद सभी छह अवितरित टिकट, दावेदारों को उचित राशि वसूलने के पश्चात् सौंप दिए गए। कुल रु. 21890/- देय राशि के रूप में वसूला गया जिसके कारण उसके सरकारी कैश में रु. 1890/- अधिक पाया गया। ऐसे आरंभिक कमी और बाद में सरकारी कैश में अधिक राशि पाए जाने पर आरक्षण कर्मचारी की दलालों से संलिप्तता का संकेत मिलता है। संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध दीर्घशास्ति कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

(ख) एक निवारक जाँच के क्रम में यह पता लगा कि ड्यूटी पर आरक्षण लिपिक ने अपने सरकारी कैश के रूप में रु. 52725/- दिया जबकि डीटीसी के अनुसार राशि रु. 62225/- थी अर्थात् उसके सरकारी कैश में रु. 9500/- की कमी पायी गई। उक्त कर्मचारी के पास न तो जेसीआरटी उपलब्ध था और न कोई लेन-देन लंबित था। माँग पर्ची की जाँच के दौरान यह देखा गया कि छह माँग पर्ची ईसीआरसी के पास उपलब्धा नहीं थी, तथापि उसने आरक्षण टिकट बनाए थे। बिना माँग पर्ची के टिकट बनाया जाना भी यह दर्शाता है कि ड्यूटी पर आरक्षण लिपिक दलाली गतिविधि में संलग्न था। उस पर दीर्घशास्ति आरोप पत्र के तहत कार्रवाई की जा गई है।

(ग) निवारक जाँच के दौरान 4 अवितरित टिकटें (जेसीआरटी) ड्यूटी पर ईसीआरसी के कब्जे में पकड़ी गई, साथ ही उस कर्मचारी के सरकारी कैश में रु. 1000/- अधिक पाया गया। 4 जेसीआरटी में से केवल दो के दावेदार अपनी टिकट के दावे के लिए शिफ्ट की समाप्ति तक उपस्थित हो पाए। रु. 6020/- मूल्य के दो जेसीआरटी को निरस्त कर लौटायी गई राशि को भी विविध (सन्ड्री) कैश में जमा करा दिया गया। दलाली गतिविधियों में संलिप्तता के लिए कर्मचारी के विरुद्ध दीर्घशास्ति कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

6. **Irregularities in TATKAL period & suspected connivance with touts:**

(a) During preventive check conducted at Satellite PRS loacation 06 undelivered TATKAL JCRTs were detected at the counter of on duty ECRC. After an Initial shortage of ₹ 20,000/- in his Govt. Cash, all six undelivered tickets were handed over to claimants after realizing due amount. A total ₹ 21890/- was realized as due amount which caused ₹ 1890/- found excess in his Govt. Cash. Reservation staffs' involvement in touting activity due to such initial shortage & later excess in Govt. Cash cannot be ruled out. The staff concerned has been recommended Major Penalty action.

(b) In a preventive check conducted, it was detected that on duty ECRC produced ₹ 52725/- as his Govt. Cash whereas it was ₹ 62225/- as per DTC i.e. ₹ 9500/- found short in the Govt. Cash The staff had no available JCRTs with him or any pending transaction. During scrutiny of dealt requisition slips it was detected that six requisition slips were not available with the ECRC, however the JCRTs were generated by him. Generation of JCRTs without requisition slips also shows that the on duty ECRC was indulging in touting activity. He has been taken up under Major Penalty charge sheet.

(c) During preventive check 4 undelivered tickets (JCRTS) detected in possession of on duty ECRC along with ₹ 1000/- detected excess in Govt. Cash of the staff. Out of 4 JCRTs, claimant of only two turned up to claim their tickets till the end of the shift. Two JCRTs worth ₹ 6020/- were special cancelled and the refunded amount was also deposited in sundry cash. The staff has been recommended for Major penalty action for touting activity.

केस अध्ययन

लेखा एवं कार्मिक

- **अमूल कुमार सिंह**, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/लेखा
- **कुमार ज्ञानजीत**, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/लेखा
- **राहुल आनंद**, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/लेखा
- **संजय कुमार**, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/कार्मिक
- **हरेन्द्र सिंह**, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/कार्मिक

1. रेल आवास रहते हुए आवास भत्ता (HRA) पाना

एक मंडल में निवारक जाँच में पाया गया कि एक कर्मचारी को रेलवे आवास दिनांक 01.08.2005 से ही आवंटित था, परंतु संबंधित कर्मचारी द्वारा रेलवे आवास में रहने के बावजूद भी प्रत्येक महीना आवास भत्ता लिया जा रहा था। इस मामले में यह पाया गया कि संबंधित कर्मचारी द्वारा रेल आवास आवंटित होने के बाद लगातार 5 वर्ष 6 महीना तक आवास भत्ता लिया जाता रहा। इसके अलावा उनसे आवास किराया एवं अन्य वसूली भी नहीं की गई है।

पुनः इसी निवारक जाँच में यह पाया कि एक अन्य कर्मचारी को रेलवे आवास दिनांक 17.08.05 को आवंटित किया गया था और इसके पश्चात् उनके द्वारा आवास खाली करने हेतु आवेदन दिनांक 12.10.10 को संबंधित SSE/W को दिया गया। इस मामले में संबंधित कर्मचारी द्वारा रेल आवास दिनांक 17.08.05 से 19.10.10 तक अपने कब्जे में रखा गया, परंतु उनके द्वारा अगस्त 2008 से अक्टूबर 2009 तक लगातार आवास भत्ता लिया गया। इस मामले में तत्कालीन पे बिल लिपिक की भी संलिप्तता थी, क्योंकि इनके द्वारा प्रत्येक माह संबंधित कर्मचारी को वेतन में आवास भत्ता दिया जाता था, परंतु उनके द्वारा बीच-बीच में बिना किसी दस्तावेज/प्राधिकार के ही इनका आवास भत्ता बंद कर दिया गया और पुनः बिना किसी दस्तावेज/प्राधिकार के उनके वेतन में आवास भत्ता दिया जाने लगता। इस मामले में दोनों कर्मचारियों से अतिरिक्त लिये गये आवास भत्ता की वसूली (लगभग 1 लाख रुपये) तथा रेल आवास किराया की वसूली की गयी। साथ ही इस मामले में आवास भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ पे-बिल लिपिकों पर भी अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

CASE STUDIES

Accounts & Personnel

- **Amul Kumar Singh,** CVI(Accounts)
- **Kumar Gyanjeet,** CVI(Accounts)
- **Rahul Anand,** CVI(Accounts)
- **Sanjay kumar,** CVI(Personnel)
- **Harendra Singh,** CVI(Personnel)

1. Claiming HRA while retaining Railway Quarter

Preventive check in a division brought out that a railway employee who was alloted railway quarter on 01-08-2005 has also been taking HRA for 5 years and 6 months. During this period recovery of quarter rent and other charges were also not done from him.

In the same check it was also found that another employee was occupying a railway quarter from 17-08-2005 to 19-10-2010 but had claimed HRA for the period from August 2008 to October 2009. Investigation revealed connivance of concerned pay bill clerk also as it was observed that pay bill clerk used to stop HRA payment intermittently and restart payment of HRA again without any document or authority. Recovery of irregularly drawn HRA and quarter rent (nearly Rs. 1 lakhs) was done from the railway servants. In addition to this Discilplinary action against railway employees who claimed irregular HRA and concerned pay bill clerk has also been initiated.

2. आवास भत्ता (HRA) के भुगतान में अनियमितता

एक निवारक जाँच के क्रम में यह संज्ञान में आया कि एक रेलकर्मचारी रेलवे आवास आवंटित होने के बावजूद आवास भत्ता (HRA) का भुगतान प्राप्त कर रहा था। उसे छह महीने तक अनियमित रूप से आवास भत्ता का भुगतान किया जाता रहा। आश्चर्यजनक बात यह रही कि इस पूरी अवधि में कर्मचारी के वेतन से आवास-भाड़ा की कटौती की जा रही थी। इस तरह बिल-लिपिक ने आवास भत्ता का भुगतान भी किया और साथ ही आवास-भाड़ा की कटौती भी की। संबंधित कर्मचारी द्वारा यह भी तथ्य प्रशासन के संज्ञान में नहीं लाया गया। सतर्कता जाँच के उपरांत आवास भत्ता के अति-भुगतान की रिकवरी की गई। मामले में वेतन बिल से संबंधित कर्मचारियों एवं आवास भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।

3. एन.आई.पी. में दिये गये दण्ड का क्रियान्वयन न होने के संबंध में

एक मंडल में निवारक जाँच में पाया गया कि संबंधित विभाग द्वारा विभागीय डीएआर के अनुपालन में दो कर्मचारियों के विरुद्ध एनआईपी जारी किया गया जिसमें उन्हें समान वेतनमान में दो स्टेज नीचे तीन वर्षों का संचयी प्रभाव का दण्ड का प्रावधान किया गया। परन्तु जाँच में पाया गया कि उन कर्मचारियों का वेतन कम नहीं किया गया एवं दण्ड क्रियान्वित नहीं किया जा सका। इस केस में संबंधित विभाग द्वारा एनआईपी में दिये गये दण्ड का इन्द्राज संबंधित कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका में कर दिया गया एवं संबंधित कर्मचारियों के कैडर द्वारा भी सेवा पुस्तिका में वेतन कम करने का इन्द्राज कर दिया गया। इस केस में एक कर्मचारी के वेतन क्लर्क को एनआईपी की प्रति प्राप्त कराने के बाद भी दण्ड क्रियान्वित नहीं किया गया एवं दूसरे कर्मचारी के मामले में न तो विभाग द्वारा और न ही संबंधित कैडर द्वारा ही बिल क्लर्क को सूचित किया गया जिसके कारण दण्ड क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

जाँच के पश्चात जिम्मेदार कर्मचारी के विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।

4. वेतन एवं भत्तों के भुगतान में अनियमितता

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल के अंतर्गत एक लोको पायलट श्री 'X' को

2. Irregularity in payment of HRA

During a preventive check conducted in one of the divisions, it was observed that a railway staff was being paid HRA despite living in a Railway Quarter allotted in his name. He was paid HRA in irregular manner for six months. Surprisingly, quarter rent was also being recovered from him during the period. Bill passing clerk allowed payment of HRA and at the same time also deducted quarter rent. Staff concerned also did not bring this anomaly to the knowledge of administration. After vigilance check over payment of HRA amount was recovered. In the case Disciplinary action has been recommended against salary bill processing officials and concerned staff.

3. Non implementation of NIP

Preventive check in a division revealed that in a departmental DAR case NIP imposing a punishment of reduction of pay by two stages for three years with cumulative effect was issued against two railway employees. Investigation revealed that pay of the concerned railway employees was not reduced and thus the punishment was not implemented. In this case it was also found that entry of NIP in service record was done and even entry indicating pay reduction was also made in the service records. It came to notice that in case of one of the employees pay bill clerk had received the copy of NIP but did not effect it while in another case, neither the department nor the cadre section handed over copy of NIP to pay bill section as a result punishment could not be implemented.

After investigation disciplinary action against responsible staff has been recommended.

4. Irregularity in payment of pay & allowances

A complaint regarding irregular payment of pay and allowances

किए गए अनियमित वेतन व भत्तों के भुगतान से संबंधित एक परिवाद इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। इसकी जाँच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित कर्मचारी को सितम्बर-11 में जो वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया वह इसके द्वारा किए गए वास्तविक कार्य के अनुसार नहीं था। वह 11.8.11 से 24.8.11 तक अनुपस्थित था और इडुकेटर रजिस्टर व शेड नोटिस के अनुसार इस अवधि में कोई कार्य उनके द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था। परंतु वे इस अवधि का पूरा वेतन (रनिंग भत्ता सहित) पाये। इस कार्यालय को परिवाद प्राप्त होने से पहले ही कर्मचारी श्री 'X' रेल सेवा से निवृत्त हो चुका था। यह देखा गया कि क्रू लॉबी के कर्मचारी द्वारा लोको पायलट श्री 'X' के पक्ष में तैयार किये गये गलत पोस्टिंग बुक के आधार पर भुगतान किया गया। पोस्टिंग बुक तैयार करने का कार्य एक से अधिक स्टाफ द्वारा किया जाता था परंतु इनके बीच कार्य का निर्धारण नहीं था। इस यूनिट के पर्यवेक्षक द्वारा पोस्टिंग बुक जिसके आधार पर रनिंग कर्मचारियों को वेतन व भत्तों का भुगतान किया जाता है, को तैयार करने में लगे स्टाफ के लिए किसी प्रकार का ड्यूटी लिस्ट तैयार/जारी नहीं किया गया था।

इस मामले में, अनियमित भुगतान की वसूली नहीं की जा सकी, क्योंकि स्टाफ जो कि अनियमित भुगतान पाया वह रेल सेवा से निवृत्त हो चुका था। इस मामले में एक अराजपत्रित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।

5. शक्ति नियंत्रक/क्रू-कंट्रोलर के चयन में अनियमितता

एक परिवाद में परिवादी द्वारा यह आरोप लगाया कि एक मंडल में लोको पायलटों से लोको निरीक्षक के पद पर पदोन्नति में अनियमितता हुई है। इसमें चयनित सभी उम्मीदवार लगभग 1997/1998 से मंडल के नियंत्रक कक्ष में कार्य कर रहे हैं। नियंत्रक कक्ष में ही कार्य करते हुए सभी की पदोन्नति सहायक लोको पायलट से लोको पायलट मालगाड़ी में तथा ड्राफ्टैड शक्ति नियंत्रक में हुई। परिवादी द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि लोको निरीक्षक के पद पर अंतिम रूप से चयनित सभी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं थे क्योंकि इनका ड्राफ्टैड शक्ति नियंत्रक बनाया जाना ही गलत था।

इस केस के जाँच में पाया गया कि मंडल में लोको निरीक्षक के चयन में RBE No. 51/2009 के निर्देशों का पालन किया गया है तथा इस चयन

to a Loco Pilot 'X' under a division of ECR was received in this office. During investigation of the same it was found that payment of pay and allowances for the month of Sept-11 as done to 'X' was not as per his actual duty. He was absent for the period from 11.8.11 to 24.8.11 and no duty was performed by him during this period as per educator register as well as shed notice. However, he was paid full salary including running allowance for the period. By the time the complaint was received 'X' had already retired from Railway service. It was observed that payment of ALPs was processed by the officials of the crew lobby by preparing wrong posting book in favour of 'X'. The work of preparing posting book was being carried out by more than one staff and but there was no demarcation of duties between these staff. There was no duty list issued/made by the In-charge of this unit for the work of preparing posting book of running staffs on the basis of which pay and allowances was processed.

In this case, recovery of irregular payment could not be done as the said staff who received the irregular payment had already retired from railway service. Disciplinary proceeding against a NG staff has been recommended in the case.

5. Irregularity in selection of power/crew controller

In a complaint it was alleged that irregularity occurred in a division in promotion from Loco Pilots to Loco Inspectors. All the selected candidates were working in divisional control office from 1997/98 onwards. While working in control they were promoted from Assistant Loco Pilots to Loco Piolts/Goods and later to drafted crew controllers. Complainant alleged that all the candidates selected as Loco Inspectors were not eligible for this selection as their drafting into crew controllers was wrong.

Investiagtion revealed that in selection of Loco Inspectors instructions of RBE 51/2009 were followed and there was no

में कोई अनियमितता नहीं थी। परन्तु, इसके पूर्व मंडल द्वारा शक्ति नियंत्रक/क्रू-नियंत्रक के पद पर कार्य करने हेतु एक अधिसूचना जारी किया गया था। जारी किये गये अधिसूचना के अनुसार इस पद के लिये अर्हक पात्रता चालक की कोटि में तीन वर्ष के कार्य का अनुभव था, परन्तु इस छान परीक्षा में वैसे उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया जिन्हें चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव नहीं था तथा उन्हीं अयोग्य लोको पायलटों को शक्ति/क्रू-नियंत्रक की छान परीक्षा में उत्तीर्ण भी घोषित किया गया। इस केस में यह पाया गया कि तदुपरांत लोको निरीक्षक के पद पर उत्तीर्ण सभी उम्मीदवार वही थे जिन्हें पूर्व में गलत ढंग से ड्राफ्टैड शक्ति नियंत्रक बनाया गया था। इस तरह यह तथ्य सामने आया कि यद्यपि लोको निरीक्षक के पद हेतु चयन में शक्ति/क्रू-नियंत्रक पात्र थे और उनका चयन भी हुआ परंतु, ये कर्मचारी अपने पूर्व पद अर्थात् शक्ति/क्रू-नियंत्रक बनने हेतु अपात्र थे। इस मामले में जिम्मेदार रेलकर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

हालांकि, परिवादी द्वारा एक परिवाद इस चयन के संबंध में माननीय न्यायालय CAT/Patna में भी दायर किया गया है तथा यह मामला अभी न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।

6. पात्रता से ऊँची श्रेणी का मानार्थ पास जारी किया जाना

एक परिवाद में परिवादी ने आरोप लगाया कि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात् रिक्लासिफिकेशन/अपग्रेडेसन का लाभ देने हेतु पैसे की माँग की गई साथ ही उनसे रुपया लेने के बाद प्रथम श्रेणी का मानार्थ विधवा पास जारी किया गया।

इस केस के जाँच में पाया गया कि संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी को रिक्लासिफिकेशन/अपग्रेडेसन का लाभ 22 वर्ष पूर्व ही दिनांक 15.01.88 को ही दिया जा चुका है और इस तथ्य की पुष्टि उनके सेवा पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टि से भी होती है, अत: आरोप गलत था। मानार्थ पास के जाँच में यह पाया गया कि संबंधित कर्मचारी सेवा काल में द्वितीय श्रेणी दर्जे के पास के ही हकदार थे। नियमानुसार संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी द्वितीय श्रेणी पास के ही पात्र होंगे। परंतु इस मामले में द्वितीय श्रेणी के बजाय प्रथम श्रेणी का मानार्थ विधवा पास जारी किया गया। इस प्रकार इस केस में परिवादी का मानार्थ पास संबंधित आरोप पुष्ट हुआ और पास जारी करने वाले कर्मचारी पर कार्यवाही की गई है।

irregularity in this selection. But, prior to selection of Loco Inspectors notification for post of power/crew controllers was issued by the division. As per this notification for the post of power/crew controllers three years of experience as Loco Pilots was essential. But, in this selection those candidates who didn’t have three years of experience as Loco Pilots were also allowed and finally empanelled too as controllers. It was found that subsequently all these wrongly drafted controllers got selected and promoted as Loco Inspectors. Responsible staff are being taken up under disciplinary proceedings.

Meanwhile, complainant has also filed a case in CAT/Patna on this selection. The case is subjudice under court.

6. Issue of complimentary pass of class higher than the entitlement

A complaint was recieved alleging demand of money for giving benefit of reclassification/upgradation to a retired railway servant. It was also informed that first class complimentary pass was issued to widow after taking money.

Investigation of the case indicated that the benefit of reclassification/upgradation to concerned railway servant was given way back on 15-01-1988 i..e nearly 22 years before and the same was also endorsed in the service record also. Thus, allegation in this regard was not true. Investigation into the matter related to issue of post retirement complimentary pass revealed that railway servant during his service period was entitled for second class pass. As per rule the railway servant after retirement was eligible for second class pass only. However, in this case the widow of the railway servant was issued first class pass. Thus, allegation with respect to irregularity in issue of post retirement pass was substantiated and discilplinary action against responsible employee was initiated.

7. रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा एडमिट कार्ड जारी करने में अनियमितता

इस कार्यालय को 'Y' पद के लिखित परीक्षा के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किए गए एडमिट कार्ड में अनियमितता के संबंध में एक परिवाद प्राप्त हुआ। इसकी जाँच के दौरान, यह पाया गया कि इस परीक्षा से संबंधित पूर्व परीक्षा कार्य बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया था और संबंधित एजेंसी द्वारा लिखित परीक्षा की पात्रता की प्रारंभिक जाँच किए बिना सभी अभ्यर्थियों को, समुदाय की परवाह किए बगैर, एडमिट कार्ड जारी किए गए। भर्ती केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए था । इस प्रकार, आवेदनों की छंटनी से संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड मैनुअल के पैरा 206 एवं पूर्व परीक्षा कार्य के लिए एजेंसी के साथ किये गये करार में उल्लिखित निर्देशों/अनुदेशों का पालन नहीं हुआ और एजेंसी द्वारा संवीक्षा किये बगैर सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। हालांकि रेलवे भर्ती बार्ड द्वारा संबंधित एजेंसी जो कि पूर्व-परीक्षा कार्य में सलंग्न था, को भुगतान नहीं किया गया। अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड को करार में निहित अनुदेशों का पालन नहीं किये जाने के लिए संबंधित एजेंसी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया।

रेलवे भर्ती बोर्ड मैनुअल के पैरा 206 में अस्वीकृत आवेदनों की जाँच की बात कही गयी है। लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने से पहले स्वीकृत आवेदनों की जाँच भी आवश्यक है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा यह देखने के लिए की बाहरी एजेंसी द्वारा अयोग्य उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है, नमूना जाँच किया जाना चाहिए। इसे देखते हुए, अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड को प्रणाली में सुधार लाने हेतु पत्र जारी किया गया है, ताकि इस प्रकार के नमूना जाँच के लिए उचित तंत्र विकसित एवं लागू किया जा सके।

8. रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के भर्ती में अभ्यर्थियों द्वारा अपनाये गये धोखाधड़ी का मामला

इस कार्यालय को आर.आर.सी/पटना द्वारा की जाने वाली भर्ती में एक अभ्यर्थी द्वारा धोखाधड़ी अपनाने से संबंधित एक परिवाद प्राप्त हुआ। इसकी जाँच के दौरान, यह पाया गया कि एक अभ्यर्थी श्री 'X' जोकि आर.आर.सी/पटना को रेलवे में भर्ती हेतु अपना आवेदन दिया था उसके द्वारा आर.आर.सी./विलासपुर को अपना दूसरा नाम 'Y' के रूप में भिन्न

7. Irregularity by RRB in issuance of admit cards

A complaint regarding irregularity by RRB in issuance of admit card of written examination for the post of 'Y' was received in this office. During investigation of the same, it was found that pre-examination work of this examination was done by the outside agency and Admit cards were issued by the said agency to all candidates, irrespective of the community, without preliminary check of eligibility for the written examination. The vacancies were notified for SC/ ST only. Thus, provisions/ instructions as contained in Para 206 of RRB Manual regarding Sorting of Applications and also incorporated in agreement executed for pre-examination work was not adhered to and admit cards were issued to all candidates by the agency without any scrutiny. However, no payment was made by RRB to the agency involved in the pre-examination work in question. The Chairman/RRB was asked to take necessary action against the agency for violation of provisions contained in agreement.

Para 206 of RRB manual prescribes check for rejected applications. There is a need to check accepted applications too prior to issue of admit card for written examination. Sample checks by RRB needs to be done to ensure that the outside agency is not issuing admit cards to ineligible candidates. In view of this, a system improvement letter has been issued to Chairman/RRB to devise and implement a suitable mechanism for such sample checks.

8. Fraudulent activity adopted by candidates in recruitment by RRC

A complaint regarding fraudulent activity adopted by candidates in recruitment by RRC/Patna was received in this office. During investigation of the same, it was found that a candidate 'X' who had submitted his application to RRC/Patna for recruitment in Railways had submitted his application to RRC/Bilaspur also

जन्मतिथि/शैक्षणिक दस्तावेज के साथ दिया गया है। जाँच के दौरान, आर.आर.सी./विलासपुर से 'Y' नाम के अभ्यर्थी का आवेदन एवं संलग्न दस्तावेज प्राप्त किया गया। अभ्यर्थी 'X' को आर.आर.सी/पटना में प्रमाणपत्रों की जाँच के दौरान विलासपुर से प्राप्त दस्तावेजों से सामना कराया गया। आर.आर.सी/पटना एवं आर.आर.सी./विलासपुर को दिये गये आवेदनों पर लगे फोटो समान थे। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा अलग नाम/जन्मतिथि एवं भिन्न शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर भिन्न आर.आर.सी. को रेलवे में भर्ती हेतु आवेदन दिया है। दोनों आर.आर.सी. को इस अभ्यर्थी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए सलाह दी गई है।

9. जाली दस्तावेज के आधार पर रेलवे में नौकरी लेना

(क) सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा के बाद भी एक रेलवे कर्मचारी श्री 'X' के सेवा में बने रहने से संबंधित एक परिवाद इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। जाँच के दौरान यह पाया गया कि स्रोत/दस्तावेज अर्थात् स्थानांतरण प्रमाणपत्र जिसके आधार पर श्री 'X' की सेवा पुस्तिका में उनकी जन्मतिथि 1.12.53 दर्ज है, वह संबंधित स्कूल द्वारा जारी नहीं किया गया था। इस बात का भी पता चला कि श्री 'X' की जन्मतिथि अन्य स्कूल में 1.8.47 दर्ज था जिसकी पुष्टि जाँच के दौरान संबंधित स्कूल द्वारा किया गया। इसे देखते हुए श्री 'X' जाली स्थानांतरण प्रमाणपत्र के आधार पर रेलवे में नौकरी पाने एवं यह तथ्य की उनके द्वारा एक अन्य स्कूल जहाँ उनकी जन्मतिथि 1.8.47 दर्ज है, पढ़ाई की है को छुपाने के लिए दोषी पाये गये। श्री 'X' के विरुद्ध पाये गये दुराचार के लिए दीर्घशास्ति अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है।

(ख) जाली शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर श्री 'Y' द्वारा रेलवे में नौकरी पाने से संबंधित एक परिवाद इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। जाँच के दौरान यह पाया गया कि स्रोत/दस्तावेज अर्थात् स्थानांतरण प्रमाणपत्र जिसके आधार पर श्री 'Y' की सेवापुस्तिका में उनकी जन्मतिथि 9.2.54 दर्ज है, वह संबंधित स्कूल द्वारा जारी नहीं किया गया था। श्री 'Y' जाली स्थानांतरण प्रमाणपत्र के आधार पर रेलवे में नौकरी पाने का दोषी पाये गये। श्री 'Y' के विरुद्ध पाये गये दुराचार के लिए दीर्घशास्ति अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है।

with different name 'Y' with different date of birth/set educational documents. During investigation the application of candidate naming 'Y' was collected from RRC/Bilaspur along with all other documents. The candidate named 'X' during his VOC at RRC/Patna was confronted on the basis of documents obtained from RRC/Bilaspur. Photograph on applications at RRC/Bilaspur and RRC/Patna were same. It was admitted by the candidate in question that he has applied for recruitment in railways at different RRCs using different name/date of birth and different set of educational documents. Both the RRCs were advised to take necessary action against the said candidate.

9. Getting job in Railway on fake document

(i) A complaint against a staff Shri 'X' regarding his continuance in service beyond age of superannuation was received in this office. During investigation, it was found that the source/document i.e. Transfer certificate on the basis of which the date of birth of Shri 'X' had been recorded in his Service Record as 01.12.1953 was not issued by the concerned school. It also came to notice that date of birth of Shri 'X' was recorded as 01.08.1947 in the record of another school which was also confirmed by the school during investigation. In view of the same, Shri 'X' was found responsible for getting his job in railway on the basis of Transfer Certificate which was not genuine and concealing the fact that he had studied at another school where his date of birth was recorded in admission register as 01.08.1947. A Major penalty disciplinary proceeding against Shri 'X' is recommended for misconduct found on his part.

(ii) A complaint against a staff Shri 'Y' alleging that his employment in railways is on the basis of fake educational certificate was received in this office. During investigation of the same, it was found that the source/document i.e. Transfer certificate on the basis of which the date of birth of Shri 'Y' was recorded in his Service Record as 09.02.1954 had not been issued by the concerned school. Shri 'Y' was found responsible for getting his job in railway on the basis of fake Transfer Certificate.A major penalty disciplinary proceeding against Shri 'Y' is recommended for misconduct found on his part.

10. रेलवे क्वॉटर का 34 वर्षों तक अनधिकृत कब्जा

एक मंडल में निवारक जाँच के दौरान यह प्रकाश में आया कि एक रेलवे क्वार्टर एक रेल कर्मचारी को आवंटित किया गया था। संबंधित रेलवे कर्मचारी रेल सेवा से वर्ष 1980 में ही सेवानिवृत्त हो गया, किन्तु उसका लड़का एवं उसका परिवार संबंधित रेलवे क्वार्टर में अनधिकृत रूप से सतर्कता जाँच की तिथि तक निवास करते रहे। संबंधित रेलवे क्वार्टर को 34 वर्षों तक सतर्कता विभाग के दखल के उपरांत ही अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराया जा सका।

जाँच के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि संबंधित कर्मचारी को उसके सेवानिवृत्ति के समय ही बगैर रेलवे क्वार्टर को खाली करवाए ही डी.सी.आर.जी एवं समापक राशि का भुगतान कर दिया गया था। जाँच के उपरांत इंजीनियरिंग विभाग के जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध रेलवे क्वार्टर के अनधिकृत कब्जे को 34 वर्षों के लंबे समय तक पता नहीं लगा पाने के कारण उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की सिफारिश की गई है। सतर्कता जाँच के उपरांत, मंडल द्वारा डैमेज रेन्ट की वसूली के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। मंडल को विभिन्न रेलवे कॉलोनियों में एक विशेष अभियान चलाकर रेलवे क्वार्टर के अनधिकृत कब्जे का पता लगाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।

11. मृत ग्रुप 'D' रेल कर्मचारी के आश्रित को एरियर भुगतान में अप्रत्याशित विलंब

एक मंडल में निवारक जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक मृत रेल कर्मचारी के आश्रित विधवा को वेतन एरियर का भुगतान विगत 11 वर्षों से लंबित है। वर्ष 2003 में वेतन-निर्धारण के बावजूद भुगतान आज तक नहीं हो पाया। जाँच में यह भी ज्ञात हुआ कि उस अवधि के पेड वाउचर नष्ट किये जा चुके हैं और इस वजह से भुगतान में और भी विलंब हो रही है। इस मामले में फील्ड कार्यालय द्वारा वेतन-विपत्र भुगतान हेतु मंडल कार्यालय को भेजा गया था। मंडल कार्यालय में उक्त मिसिल एवं बिल दोनों खो गये। अत: बिल पुन: तैयार करना था और इस कार्य में हर स्तर पर विलंब हुआ। जाँच उपरांत एरियर भुगतान हेतु बिल बनाने में हुए विलंब के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।

10. Unauthorised occupation of quarter for 34 years.

During a preventive-check conducted in one of the divisions, it was noticed that a Railway quarter was allotted to a Railway employee. The concerned Railway employee retired from the Railway service way back in the year 1980, but his son and his family members continued to occupy the Railway quarter unauthorisedly till the day of vigilance check. The said Railway quarter was vacated from the unauthorised occupation after a period of 34 years only after intervention of vigilance.

During the investigation, it also came to notice that DCRG and Settlement payment to the employee who was occupying the quarter was already paid at the time of his retirement without ensuring vacation of the Railway quarter. After investigation, D&AR action has been recommended against the responsible staff of Engineering department for not detecting the unauthorised occupation of the said quarter for such a long period of 34 years. After vigilance check action for recovery of damage rent has been initiated by the division. Division was also advised to launch a special drive in all the Railway colonies to detect the unauthorised occupation of Railway quarters.

11. Exceptional delay in payment of arrear of pay to dependant of expired Gr- 'D' Railway Servant

A preventive check conducted in one of the divisions revealed that payment of arrear pay to the dependent of a expired Railway employee is pending for last 11 years. Though pay fixation was done in 2003, the payment has still not been done. During investigation it also came to notice that original paid vouchers of the period was already destroyed and this is likely to delay arrear payment further. It was found that bill for payment was prepared by the field unit and sent to divisional office for vetting and payment. In the division the case file and bill was lost. Subsequently bill has to be prepared again and delay took place at every stage. After investigation, Disciplinary proceedings has been recommended against staff responsible for late preparation of bill for the arrear – payment.

12. रोकड़ प्रेषण में देरी

एक मंडल में स्टेशन 'X' के बुकिंग कार्यालय में रोकड़ प्रेषण में देरी से संबंधित एक निवारक जाँच किया गया था। जाँच के दौरान, 1.6.13 से 13.6.13 तक की अवधि का रोकड़ प्रेषण का जाँच किया गया था। जाँच के दौरान यह पाया गया कि स्टेशन 'X' की आय नियमित रूप से मंडल रोकड़ कार्यालय को निर्धारित गाड़ी के तिजोरी द्वारा नहीं प्रेषित किया जा रहा था और उसे सामान्य तौर पर 04-05 दिनों के लिए रोक लिया जाता था। इस संबंध में, बुकिंग पर्यवेक्षक का यह कहना कि रोकड़ थैला उपलब्ध नहीं था क्योंकि इसे दूसरे स्टेशन द्वारा रास्ते में प्रयोग कर लिया जाता था, सही नहीं पाया गया। इस अवधि में उपयोग में लाए गए रोकड़ थैलों की संख्या की जाँच के दौरान यह देखा गया कि सभी रोकड़ थैले नियमित अंतराल पर उपयोग में थे और इस अवधि के दौरान कम से कम दो बार अवश्य उपयोग में लाए गए थे। स्टेशन 'X' के बुकिंग पर्यवेक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गई।

**WHEN YOU COME OUT OF THE STORM
YOU WON'T BE THE SAME PERSON
THAT WALKED IN.
THAT'S WHAT THE STORM IS ALL ABOUT.**

✶

**NONE CAN DESTROY IRON BUT ITS OWN
RUST CAN, LIKEWISE NONE CAN DESTROY
A PERSON BUT HIS OWN MINDSET CAN!
OUR THOUGHTS CAN CHANGE OUR LIFE.**

RATAN TATA

12. Delay in remittance of cash

A preventive check was conducted at Booking office of Station 'X' in a division on the aspect of delay in Remittance of cash. During the check, cash remittance pertaining to the period of 1.6.13 to 13.6.13 was checked. During investigation, it was found that Station earnings of 'X' station had not been sent to Divisional cash office regularly by the scheduled train carrying the T/C safe and the same was retained for 04-05 days as a matter of routine. In this regard, the statement of the Booking Supervisor of said station that the cash bag was not available as the same was used by other stations on the way found not true. Scrutiny of number of cash bags used during the period in question revealed that they were in regular rotation and all cash bags were being used at least twice during the said period. Disciplinary proceedings against the Booking Supervisor of Station 'X' was recommended.

**ELIMINATE AS MUCH NEGATIVE
FROM YOUR LIFE AS YOU CAN.
FOCUS ON THE POSITIVES AND BE
THANKFUL FOR EVEN THE
SMALLEST BLESSINGS.**

✶

**IF YOU SALUTE YOUR DUTY, YOU NEED
NOT SALUTE ANYBODY. BUT IF YOU
POLLUTE YOUR DUTY, YOU NEED TO
SALUTE EVERYBODY.**

A.P.J. ABDUL KALAM

अभियंत्रण

- जेड. ए. मल्लिक,
सताधि/इंजी.

1.0 यार्ड में सीटीआर (एस) के कार्य हेतु प्रस्ताव, प्राक्कलन और निविदा अनुसूची बनाने में अनियमितताः-

शिकायती मामले के अन्वेषण के दौरान यह पाया गया था कि क्षेत्र के अधिकारियों से विस्तृत सत्यापन कराये बिना ही यार्ड के सीटीआर (एस) कार्य का प्रस्ताव पीडब्ल्यूपी में शामिल करने हेतु मण्डल द्वारा प्रस्तावित किया गया। यही नहीं, जो कार्य किया जाना था उसका विस्तृत प्राक्कलन एवं निविदा आमंत्रण के चरण पर कार्य स्थल से सत्यापन भी नहीं किया गया और तद्नुसार निविदा आमंत्रित कर दिया गया।

यद्यपि इंजीनियरिंग संहिता का पारा-703 और 720 निर्दिष्ट करता है कि विस्तृत प्राक्कलन उचित विवरण के साथ तैयार होना चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त, आईआरपीडब्ल्यूएम का पारा-304 भी निर्दिष्ट करता है कि सहायक इंजीनियर द्वारा रेलपथ नवीकरण प्रस्तावों को मण्डल इंजीनियर को भेजा जाना है। इसके अलावा, रेलवे बार्ड के पत्रांक 94/सीई-I/सीटी/4 दिनांक 17.10.02, द्वारा जारी सुधीर चन्द्रा समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा के पैरा 5.3.1 भी निर्दिष्ट करता है कि 'पूर्ण सावधानीपूर्वक संहिता में दी गयी मौजूदा प्रावधानों का पालन करते हुए, प्रशासनिक निर्देशों के असफल हुये बिना, विस्तृत क्षेत्र निरीक्षण के बाद तथा मृदा अन्वेषण के बाद ही निविदा अनुसूची तैयार किया जाना है, जहाँ तक संभव हो कार्यों के निष्पादन के दौरान किसी भी नये मद लाने की आवश्यकता का समापन करें।'

इस प्रकार, प्रस्ताव की शुरुआत, विस्तृत प्राक्कलन की तैयारी और निविदा आमंत्रण हेतु अनुसूची तैयार करने के प्रत्येक चरणों पर क्षेत्र से विस्तृत संग्रह होना चाहिए जो कि इस मामले में नहीं किया गया था।

इसके अलावा, यह भी पाया गया था कि पीडब्ल्यूपी में सम्मिलित करने हेतु कार्य के प्रस्ताव के पहले ही अधिकांश कार्य विभिन्न संविदा द्वारा निष्पादित किया जा चुका था जो कि इस सीटीआर 'एस' के कार्य

ENGINEERING

- Z.A. Mallick,
AVO (Engg)

1.0 Irregularity in preparation of Proposal, Estimate & Tender schedule for the work of CTR(S) in yard :-

During investigation of a complaint case it was found that a work of CTR(S) in yard was proposed for inclusion in PWP by a division, without verifying details from field officials. Further, at the stage of sanctioning of detailed estimate and calling of tender, the scope of work to be executed was also not verified from the site and tender was called accordingly.

However, Para- 703 & 720 of Engg code stipulates that detailed estimate should be prepared in sufficient details. In addition to above, para-304 of IRPWM also states that Track renewal proposals are submitted to the Divisional Engineer by the Assistant Engineer. Further, para.5.3.1 of recommendation of the committee of Sudhir Chandra report circulated vide Rly Bd. Letter no.94/CE-I/CT/4 dtd-17/10/02, also states that "Tender Schedule are to be prepared with utmost care, following all the existing provisions in the code and also Administrative instructions without fail, after detailed site inspection and soil investigation, wherever necessary, eliminating as far as possible the need for bringing any new items during execution of works".

Thus, at every stage i.e. initiation of proposal, preparation of detailed estimate & preparation of schedule for calling of tender, details from field should have been collected, which was not done in this case.

Moreover, it was also found that, most of the work of CTR(S) as proposed in the tender was executed through various contracts much before the work proposing for inclusion

में प्रस्तावित था। तत्कालिन मामलों में ऐसा मुख्य रूप से इसलिए हुआ क्योंकि यार्ड की सभी लाइनें विभिन्न संविदा में रेलपथ की अत्यावश्यक संरक्षा के आधार पर टुकड़ों पद्धति में यार्ड लाइनों का नवीकरण विभिन्न संविदा में किये जा रहे थे और मंडल स्तर पर ट्रैक डाईग्राम के साथ कोई उचित अभिलेख तैयार नहीं किये जा रहे थे। इसके अलावा, यार्ड लाईनों का ब्यौरा भी पीडब्ल्यूआई इकाई के सेक्शन रजिस्टर में भी दर्ज नहीं था।

मामले को मुख्य सतर्कता आयुक्त के प्रथम चरण के सलाह हेतु भेजा गया है, हालांकि इस संबंध में सतर्कता विभाग ने अपने पत्रांकः- पूमरे/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 15.04.14 द्वारा सिस्टम इम्प्रूवमेंट पत्र जारी करने हेतु सुझाव दिया है।

2.0 रेलवे स्टेशन पर सफाई संविदा के निष्पादन में अनियमितता

रेलवे स्टेशन से सफाई एवं कूड़ा को हटाने के बारे में एक निवारक जाँच के अन्वेषण के दौरान, पूर्व मध्य रेल के एक मण्डल में निम्नलिखित अनियमिततायें पायी गयीं:-

(i) प्रतिदिन सफाई गतिविधियों के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा सफाई सामग्रियों की प्राप्ति/निर्गत, सामग्रियों का अनुमोदन/पारित और शिफ्टवार लॉगबुक से संबंधित कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया। यद्यपि, ये पहले से ही संविदा करार में वर्णित था और सफाई सामग्रियों की आपूर्ति के लिए अलग से भुगतान की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त, लॉगबुक में दर्ज विस्तृत शिफ्टवार सफाई गतिविधियों के आधार पर सफाई गतिविधि के लिए भुगतान था।

(ii) यह भी पाया गया है कि प्रत्येक दिन के काम के लिए संपूर्ण मात्रा के लिए बिलों को तैयार किया गया था और नहीं की गयी गतिविधि या असंतोषजनक कार्य के लिए कोई कटौती नहीं किया गया था। यद्यपि, जाँच के दौरान पाया गया था कि स्टेशन परिसर में सफाई नहीं था और कुछ कमरों में प्रायः ताले लगे हुए रहते थे।

(iii) यह भी पाया गया है कि वाणिज्य विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा जाँच परीक्षण किये बिना बिलों को भेजा गया, चूँकि संविदा करार में जाँच परीक्षण जैसा प्रावधान वर्णित नहीं था। यहाँ तक कि, ऐसा ही वित्त विभाग द्वारा पारित भी कर दिया गया था। यद्यपि, रेलवे बोर्ड के पत्रांक 92/सीइ.I/सीटी/48 दिनांक 27.10.1992 यह निर्दिष्ट करता है कि किसी पदाधिकारी द्वारा दर्ज किये गये माप को उसके

in PWP. In the instant case, it mainly happened due to all the yard line were being renewed in piecemeal manner as per urgency on account of safety of track in different contract and no proper records including track diagram were being maintained at divisional office. Further, details of yard lines were not kept in section register even by the PWI Unit.

The case has been sent for 1st stage advice of CVC, however, in this regard a system improvement letter has been suggested by Vigilance organisation vide letter No. ECR/Vig/System Improvement/50 dated 15.04.2014

2.0 Irregularity in execution of cleaning contract at Railway Station:-

During the course of investigation of a preventive check regarding Cleaning and removal of garbage from Railway Station, in one of the division of ECR. Following irregularities have been found:

(i) No records were maintained by station manager for receipt and issue of cleaning materials, passing/approval of materials and log book containing shift wise day to day cleaning activities. However, these were already stipulated in the Contract Agreement and there was also separate payment for supply of cleaning materials. Further, payments for cleaning activities were based on log book, containing shift wise details of cleaning activity.

(ii) It is also found that bills were prepared for full quantity as per scope of work for each day & no any deduction were made for any activity either not done or unsatisfactory done. However, during joint check station area was found un-cleaned & some rooms were generally locked up.

(iii) It is also found that, (commercial) department sent bills without having any test check by higher authority, as in Contract Agreement provisions like test check was not mentioned. Further, the same was also passed by Finance Department. However, Railway board vide their letter No.92/CE.I/CT/48 dated-27.10.1992, which has

अगले उच्च पदाधिकारी द्वारा जाँच परीक्षण किया जाना चाहिए। इसे विसमुलेधि/निर्माण/पूमरे/ महेन्द्रूघाट द्वारा अपने पत्र सं.-एएफए/कॉन/एक्सपी/एमएचएक्स/ 05/ पार्ट-I परिपत्र दिनांक 16.02.05 में भी दुहराया गया है। इसके अलावा, *पत्रांक इसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 17.08.2012 द्वारा एक सिस्टम इम्प्रूवमेंट पत्र भी जारी किया जा चुका था, जिसमें यह स्पष्ट वर्णित है कि रेलवे बोर्ड सिविल इंजी. निदेशालय द्वारा निर्गत कार्य निविदा के निविदा और संविदा व्यवस्था के लिए जारी की गयी नीति पत्रों सभी विभागों पर समान रूप से लागू हैं और सामग्रियों की स्वीकृति, मॉप पुस्तिका में माप दर्ज करना, माप दर्ज करने का अधिकार, निर्दिष्ट स्तर पर जाँच परीक्षण एवं चालू/अन्तिम बिल के लिए मानक संविदा प्रमाणपत्र आदि को अवश्य सुनिश्चित होना चाहिए।*

(iv) इसके आगे, यह भी पाया गया है कि कुछ बिलें कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित थे एवं वित्त विभाग को पारित करने हेतु भेजे गये थे और वही बिल वित्त विभाग द्वारा पारित किया गया था। यद्यपि, बिल पारित करने के लिए अधिकारी का न्यूनतम स्तर वरिष्ठ वेतनमान होना चाहिए, जैसा इंजी. संहिता के फार्म-1338 जो संविदा प्रमाण पत्र के लिए प्रयुक्त होता है, स्पष्ट सूचित करता है कि प्रमाणपत्र कार्यपालक इंजीनियर द्वारा निर्गत होना चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त, इंजीनियरिंग संहिता के पारा-1346 जिसमें बिलों के अवलोकन से संबंधित सामान्य नियम है, निर्दिष्ट करता है कि *'भुगतान के बिल पेश करने वाले कार्यपालक इंजीनियर द्वारा स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि प्रत्येक विवरण सही और पूर्ण है और कि उसके भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी विद्यमान हैं।'*

मामला अन्वेषण के अन्तिम चरण में है। यद्यपि सभी मण्डलों को पायी गयी अनियमितता और उसके निवारक उपाय हेतु पत्रांक पूमरे/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 12.03.2014 द्वारा सुझाव दिया गया है। सफाई संविदा में जाँच परीक्षण के प्रावधान के लिए मानक निविदा दस्तावेज निर्गत करने हेतु मुख्य वाणिज्य प्रबंधक को भी सुझाव दिया गया है।

also been reiterated by FA& CAO/CON/ECR/MHX vide their letter No.FA/CON/XP/MHX/05/Pt-I Circular dated-16.02.05, states that measurement recorded by any authority should invariably be test checked by the next higher authority. Moreover, *a system Improvement letter No.ECR/VIG/System Improvement/50 dated-17.08.2012 was also issued earlier, wherein it is clearly mentioned that policy letters on tender & contract management of works tender issued by Civil Engg directorate of Rly board is equally applicable to all department and passing of materials, recording measurement in MB, Power to record measurement, Test check at stipulated level & Standard contract certificate for on account/final bill etc. must be ensured.*

(iv) Further, it is also found that, few bills were signed by Jr Scale officer & sent for passing to Finance Department and the same was also passed by Finance Department, However, minimum level of officers for passing the bill should have been Senior Scale level officer as form-1338 of Engg Code which is used for contract certificate clearly indicates that certificate should be issued by Executive Engineer. In addition to above, Para.1346 of Engg Code which is related with general rules to be observed for bills states that *"Executive Engineers submitting bill for payment should satisfy themselves that the same are correct and complete in every particular and that sufficient authority exists for their payment".*

The case is under final stage of investigation. However, all Divisions have been advised to abort irregularities noticed and to take corrective action vide letter No. ECR/Vig/System Improvement/50 dated 12.03.2014. CCM has also been advised to issue standard tender documents for cleaning contracts to make provision of test check.

3.0 कार्यों के निष्पादन में अनियमितता

एक शिकायती मामले के अन्वेषण के दौरान निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गयी थीं:-

(i) **'पूर्व ढालित गतिअवरोधक एवं सूचनापट्ट के प्रावधान'** के कार्य के निष्पादन में प्रबलित छड़ को संबंधित सहायक इंजीनियर द्वारा सभी पूर्व ढालित गतिअवरोधक ब्लाक के समापन के बाद पारित किया गया था, जबकि केवल प्रबलित गतिअवरोधक ब्लाक के निर्माण के लिए प्रबलित छड़ का प्रावधान था। अतिरिक्त 6 मैट्रिक टन प्रबलित छड़ सहायक इंजीनियर द्वारा पारित किया गया था, हालाँकि उसी सहायक इंजीनियर द्वारा परीक्षण जाँच कर सभी पूर्व ढालित गतिअवरोध ब्लाकों का भुगतान पहले ही किया जा चुका था। माप पुस्तिका में अगले बिल दर्ज करने के लिए आगे 6 मैट्रिक टन प्रबलित छड़ को ध्यान में भी रखा गया था। इन पूर्व ढालित गति अवरोधकों का निर्माण जिस ड्राईंग के अनुसार किया जा रहा था उसमें प्रबलित छड़ का विवरण दिया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी तकनीकी जाँच के दौरान जो वरीय सेक्शन इंजी. (ड्राईंग) जो तकनीकी जाँच किये थे, के द्वारा भी अवलोकित नहीं किया गया था और अन्त में बिल मण्डल द्वारा पारित कर दिया गया था। **इस प्रकार, 6.533 मैट्रिक टन ज्यादा प्रबलित छड़ का माप किया गया, परिणामस्वरूप रु. 2,51,768.65 का रेलवे को क्षति हुआ। मामला अन्वेषण के अन्तिम चरण में है।**

(ii) 'मानवरहित समपार के पहुँचमार्ग के रिग्रेडिंग' के कार्यों के निष्पादन में यह पाया गया था कि सड़क के निर्माण में किये गये सीमेंट कंक्रीट कार्य का भुगतान, अधिसंरचना कार्य के लिए सीमेंट कंक्रीट के विरुद्ध किया गया था। अधिसंरचना कार्य के लिए सीमेंट कंक्रीट का दर सड़क कार्य के लिए कंक्रीट दर से अधिक था। यद्यपि, दोनों मदें यानी अधिसंरचना कार्य के लिए सीमेंट कंक्रीट और सड़क कार्य के लिए सीमेंट कंक्रीट संविदा करार में विद्यमान था, लेकिन क्षेत्र के अधिकारी द्वारा वैरिएशन की प्रक्रिया के लिए कष्ट नहीं किया गया बल्कि उच्च दर के विरुद्ध माप पुस्तिका में दर्ज कर दिया गया। **इस प्रकार यहाँ रेलवे को नुकसान हुआ है।**
मामला अन्वेषण के अन्तिम चरण में है।

3.0 Irregularity in execution of works:-

During investigation of a complaint case following irregularities were found:-

(i) In execution of works for **"Provision of Precast speed breaker and information board"** steel reinforcement was passed by concerned AEN even after completion of casting of all Pre-cast speed breakers block wherein provision of steel reinforcement was only for construction of pre-cast speed breaker block. These extra 6.0 MT steel reinforcement was passed by AEN, however payment of all pre-cast speed breakers block was already made after test checked by same AEN. Further these 6.0 MT steel reinforcement was also taken into csideration for recording in MB for next bill. These Pre-cast speed breakers were being constructed as per drawing wherein reinforcement details was also available, but even during technical check it was not pointed out by SSE/Drg who made technical check and finally bill passed by division. **Thus excess measurement of 6.533 MT reinforcement steel were done, resulting loss of Rs 2,51,768.65 to the Railway. The case is under final stage of investigation.**

(ii) In execution of works for "Re-grading of approach road of un-manned L Cs" it was found that payment for CC work, which was executed for construction of road was also done against CC for superstructure work. The rate of CC for superstructure work was more than CC for road work. However, both the item i.e. CC for superstructure work & CC for road work was available in Contract Agreement but field official did not taken pain for processing of variation rather recorded in MB against same type of items but having higher rate. **Thus there is loss to railway**.
The case is under final stage of investigation.

भंडार, चिकित्सा एवं सुरक्षा

सिगनलिंग केबल को बिछाने में अनियमितताएँ

- **विकास कुमार**, मुसतानि/भंडार

एक मंडल इकाई में सिग्नलिंग केबल बिछाने के पहलू पर एक निवारक जाँच के दौरान यह देखा गया कि केबल को बिछाने में ठेके की शर्त्तों का अनुपालन नहीं किया गया। ठेके की शर्त्तों के अनुसार दो होम सिग्नलों के बीच केबल ईंट सहित बिछाना था जबकि अन्य स्थानों पर केबल बिछाने के संबंध में ठेका करार में यह स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था कि ऐसे स्थानों पर केबल ईंट सहित बिछाना है या ईंट रहित। ठेका करार में बिछाए जाने वाले केबल की मात्रा एवं उन्हें ईंट सहित एवं ईंट रहित बिछाने की दर का उल्लेख किया गया था।

जाँच की तिथि तक यह देखा गया कि दो होम सिग्नलों के बीच भी सिग्नलिंग केबल बिछाने का कार्य बिना ईंट के संपादित किया गया था। जाँच के बाद ऐसे कई स्थानों पर भी ईंट के साथ केबल बिछाने का कार्य संपादित किया गया जो दो होम सिग्नलों के अन्दर नहीं थे। ठेका निष्पादन से संबंधित कार्यालयी ईंट सहित/ईंट रहित केबल बिछाने के कारणों को स्पष्ट न कर सके। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के मौखिक निर्देश के आधार पर विभिन्न स्थानों पर ईंट सहित या ईंट रहित केबल बिछाने का कार्य संपादित किया गया।

अनुसंधान के दौरान यह देखा गया कि कार्य संपादन के अनुसार ही फर्म को भुगतान किया गया, अत: संबंधित कार्यालयी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। संविदा करार की शर्त्तों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर ईंट सहित/ईंट रहित केबल को नहीं बिछाए जाने एवं जाँच के पूर्व सभी स्थानों पर ईंट रहित केबल बिछाए जाने जबकि जाँच के बाद ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर ईंट सहित केबल बिछाए जाने का मामला मु.सं.दू.सं. अभियंता के संज्ञान में लाया गया है।

दर अनुसूची की निविदा के विरुद्ध एकमुश्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना

एक मंडल के सभी एक्सचेंजों को एसटीडी सुविधा के साथ 2 एमबी संबद्धीकरण प्रदान कर वर्तमान मुख्य इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को प्रतिस्थापित करने के संबंध में एक पीआईडीपीआईआर शिकायत के संबंध में अनुसंधान की

STORES, MEDICAL & SECURITY

Irregularities in laying of signalling cable

- Vikash Kumar, *CVI/S*

During a vigilance check conducted on the aspect of laying of signalling cable in a divisional unit, it was noted that laying of cables was not done as per contract provision. As defined in the contract, cables were to be laid with bricks in sections between Home to Home Signal. For other places in the section it was not specifically mentioned in the contract agreement that whether laying of cable was to be done with or without bricks. Rate and quantum for laying of cable with and without bricks was mentioned in the contract.

It was observed that till the date of check, laying of signalling cables was done without bricks even in the sections between Home to Home Signal. After the date of check, at majority of the places, cable laying was done with bricks even in the sections not between Home to Home Signal. The official involved with the execution of the work could not cite any reason for not laying the cables with or without bricks as defined in the contract. He said that laying of signalling cables with or without brick was done at different places as per the verbal advice of senior officials.

During investigation, it was noted that payment was made as per execution. Since payment was made as per execution, no action against the officials was taken but the issue of not laying the cables with or without bricks at different places as per the provisions of the contract agreement but at all places without brick prior to check and at most of the places with brick after check was brought to the notice of CSTE.

Accepting a lump sum offer against item rate schedule

A PIDPIR complaint pertaining to work for replacement of existing main electronic exchange of a division by providing 2 MB

गई। संविदा के अनुसार अन्य मदों के साथ पाँच विभिन्न तरह के कार्डों की आपूर्ति की जानी थी।

निविदा के अनुसार विभिन्न फर्मों को अनुसूची में वर्णित सभी मदों, जिसमें पाँच विभिन्न तरह के कार्ड भी शामिल थे, के लिए मदवार दर उद्धृत करना था। मेसर्स 'X' जिनका प्रस्ताव निम्नतम था, ने मदवार दर कोट करने के स्थान पर सभी मदों के लिए एकमुश्त दर कोट किया। उपरोक्त सभी पाँच कार्डों के निरीक्षण के प्रस्ताव के समय उपरोक्त फर्म ने ऐसे कार्डों को प्रस्तुत किया जिनमें विनिर्दिष्ट मात्रा से ज्यादा पोर्ट थे जबकि कार्डों की संख्या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम थी परन्तु प्रत्येक तरह के कार्डों में पोर्टों की कुल मात्रा या तो कुल विनिर्दिष्ट पोर्टों की मात्रा के बराबर थीं या उनसे अधिक थीं। कार्डों के उक्त सप्लाई को इस आधार पर पास एवं स्वीकार किया गया कि उक्त आपूर्तिकर्त्ता फर्म ने अंततः प्रत्येक कार्ड के लिए ज्यादा पोर्टों के सप्लाई का प्रस्ताव किया है एवं कार्डों की कम संख्या होने के कारण कार्ड पहले से कम स्थान घेरेंगे।

पोर्टों की ज्यादा या बराबर मात्रा वाले कार्डों की कम संख्या को स्वीकार करने से पूर्व कम पोर्टों वाले कार्ड के सापेक्ष ज्यादा पोर्टों वाले कार्ड के दर के संदर्भ में लागत का विश्लेषण नहीं किया गया। ज्यादा या समान पोर्ट वाले कार्डों की इस कम मात्रा को स्वीकार करना सही होता यदि कार्डों के दर पोर्टों की मात्रा के समान अनुपात में परिवर्तनशील पाए जाते एवं मद तकनीकी रूप से उपयुक्त होते।

आपूर्तिकर्त्ता फर्म ने अपने चालान में प्रत्येक कार्ड में मौजूद पोर्ट की मात्रा का उल्लेख नहीं किया। माप पुस्तक(एमबी) में संविदा की अनुसूची के अनुसार ही कार्डों का विवरण दर्शाया गया (सप्लाई के अनुसार नहीं) एवं कार्डों की मात्रा वही दर्शायी गयी जितनी वास्तव में सप्लाई की गयी अर्थात् संविदा व करार में दर्ज मात्रा से कम। परन्तु विपत्र में कुल मूल्य करार के मूल्य के बराबर दिखाया गया एवं वित्त विभाग के द्वारा करार के कुल मूल्य का भुगतान किया गया।

दर अनुसूची की निविदा के विरुद्ध एक फर्म का एकमुश्त प्रस्ताव स्वीकार करना तथा तदोपरांत मद के स्पेसीफिकेशन/गुणवत्ता परिवर्तन प्रतिभागी फर्मों की 'बराबरी की परिकल्पना' को नष्ट करते हैं। इस संबंध में मु.सं.दू.सं. अभियंता एवं विसमुलेधि को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है। संबंधित कर्मचारियों को भी आरोपित किया गया है।

connectivity to all exchanges with STD facility was investigated. 5 different types of cards were to be supplied along with other items as per the contract.

In the tender, the firms were to quote item-wise rate for all the items of the schedule including five types of cards. The lowest offerer M/s 'X' instead of quoting item wise rate, offered lump sum rate of all the stores items. At the time of offer for inspection, for all the five types of cards, the firm offered cards with more numbers of ports but lesser in quantity so that total number of ports for each type of card was equal or more than the total number of ports as per tender. The supply was passed and accepted on the ground that ultimately the firm offered more total number of ports for each type of card and lesser number of cards would also require less space.

Before accepting lesser number of cards with equal or more number of ports, any cost analysis was not done in respect of the price of cards with lesser number of ports vis-à-vis the price of cards with more number of ports. Acceptance of less number of cards with equal/more number of ports than ordered would have been correct if the price of cards varied in the same proportion as the number of ports besides the item being technically suitable also.

The firm in its challan did not mention the number of ports for each type of card. In the MB, description of cards was shown as per the schedule of the contract (and not as per supply) and quantity was shown as supplied actually i.e. less than the contract quantity. But amount shown in the MB was full contract value. Accordingly bill was also prepared and payment made by finance for the full contract value.

Further, accepting a lump-sum offer of a firm against tender with item rate schedule & subsequently change in specification/ quantity of items vitiates the concept of "level playing field" for the participating firms for which CSTE & FA&CAO have been requested to issue necessary guidelines. Officials concerned have also been taken up.

पुनर्चिकित्सा जाँच के मामलों में अनियमितता

- के.के. मिश्र, मुसतानि/सुरक्षा

प्रारंभिक चिकित्सा जाँच/ सावधिक चिकित्सा जाँच में अनियमितता/विलंब पर मंडल अस्पताल में निवारक जाँच के दौरान निम्न तथ्य उजागर हुए:-

(क) अनुकंपा पर आधारित नियुक्ति से संबंधित तीन अभ्यर्थियों की पुनर्चिकित्सा जाँच मंडल अस्पताल 'X' द्वारा किए जाने का आदेश मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा दिया गया। इन अभ्यर्थियों की प्रारंभिक चिकित्सा जाँच रेलवे अस्पताल धनबाद एवं रेलवे अस्पताल सोनपुर द्वारा की गयी थी। इन अभ्यर्थियों की प्रारंभिक चिकित्सा जाँच से संबंधित दस्तावेजों को एक माह के अंदर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। एक माह के बाद पुनर्चिकित्सा जाँच की तिथि चार दिनों की सूचना पर जिसमें शनिवार एवं रविवार भी शामिल थे, सुनिश्चित की गई। नि:संदेह इस अल्पावधि में अभ्यर्थियों को सूचना नहीं दी जा सकी तथा एक माह बाद पुन: चिकित्सा जाँच की तिथि सुनिश्चित की गई।

(ख) पुनर्चिकित्सा जाँच के डेढ़ माह बाद इन तीन अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी की चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही रिपोर्ट अस्पताल 'X' के द्वारा मुख्य चिकित्सा निदेशक को अग्रसारित की गई। अस्पताल 'X' द्वारा अन्य दो अभ्यर्थियों की चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही रिपोर्ट के मु.चि.नि. को संबोधित अग्रसारण पत्र पर अस्पताल कार्यालयी का हस्ताक्षर काटा हुआ पाया गया। अस्पताल 'X' द्वारा अन्य दो अभ्यर्थियों की पुनर्चिकित्सा जाँच रपट सतर्कता जाँच के दो दिन बाद मु.चि.नि. को भेज दी गई।

(ग) एक अन्य मामले में रोजगार सूचना सं. 'A' के तहत ग्रुप 'डी' नियुक्ति से संबंधित चार अभ्यर्थियों की पुनर्चिकित्सा जाँच के आदेश मु.चि.नि. /हाजीपुर द्वारा दिए गए। मंडल अस्पताल के संबंधित डीलर द्वारा मु.चि. नि./हाजीपुर के पुनर्चिकित्सा जाँच से संबंधित उक्त पत्र उसके द्वारा छ: माह बाद प्राप्त होना बताया गया।

(घ) सतर्कता जाँच के 15 दिनों के बाद एक अभ्यर्थी को फिट घोषित किया गया। सतर्कता जाँच के बाद दो अन्य अभ्यर्थियों को आडियामेट्री जाँच हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना एवं इकोकार्डियोग्राफी हेतु सेन्ट्रल अस्पताल, पटना भेजा गया। चौथे अभ्यर्थी के लिए, मंडल अस्पताल जिसके द्वारा प्रारंभिक चिकित्सा जाँच की गई थी से अभ्यर्थी की इको रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया।

Irregularity in conducting Re-medical Examination

- K K Mishra, CVI/Sec

Preventive check on the aspect of irregularity/delay in IME/ PME was conducted in a Divisional Hospital. Followings points were noted -

a. Medical re-examination of three candidates for CG appointment to be conducted by Divisional Hospital/ 'X' was ordered by CMD. IME for these candidates was conducted by Railway Hospital/ DHN and Railway Hospital/SEE. DHN and SEE were requested to send documents of IME of these candidates which were made available within a month. After more than 1 month, date of medical re-examination was fixed to be conducted on a notice of 4 days which included Saturday and Sunday also. Obviously on such short notice, candidates could not be informed and medical re-examination was re-fixed after one month.

b. Out of the three candidates, medical board proceedings of one candidate was forwarded by the hospital after one and half month of the date of medical re-examination. Proceedings of other two candidates were not sent to CMD without any reason. On the forwarding letter to CMD/HJP by the hospital 'X' for sending medical board report of other two candidates, the signature of official of the hospital was struck off. Report of medical re-examination of other two candidates were sent by the hospital 'X' to CMD after two days of vigilance check.

c. In another case, Medical re-examination of four candidates for appointment in Gr D under employment notice no. 'A' was ordered by CMD/HJP. The concerned dealer of divisional hospital stated that CMD's letter for re-medical examination was received by him after about 6 months.

d. After 15 days of vigilance check, one candidate was declared fit. Two other candidates were sent to AIIMS, Patna for Audimetry test and one candidate to CH/Patna for Echocardiography after vigilance check. For the fourth candidate, Divisional Hospital who conducted IME was requested to send Echo report of the candidate.

(ङ) प्रारंभिक चिकित्सा जाँच करने वाले अस्पताल के डीलर द्वारा जाहिर किया गया कि चौथे अभ्यर्थी की प्रारंभिक चिकित्सा जाँच की रिपोर्ट अस्पताल 'X' जिसको पुनर्चिकित्सा जाँच करना था, को भेजते समय शाखा के कार्यों की अधिकता के कारण इको रिपोर्ट नहीं भेजा जा सका। उक्त डीलर ने बताया कि जो भी रेकार्ड दस्तावेज के भारसाधक द्वारा उपलब्ध कराया गया वह उनके द्वारा भेज दिया गया। उसके द्वारा यह भी जाहिर किया गया कि अभ्यर्थी के इको रिपोर्ट भेजे जाने का पत्र उसके द्वारा डेढ़ माह पूर्व प्राप्त किया गया लेकिन मामला पुराना (2012 का) होने के कारण दस्तावेज सतर्कता कार्यालय में स्पष्टीकरण की तिथि पर भारसाधक द्वारा उपलब्ध कराया गया। दस्तावेज के भारसाधक ने डीलर द्वारा कोई कागजात नहीं माँगी जाने की बात कही। अत: दस्तावेज के भारसाधक एवं डीलर दोनों सत्य नहीं कह रहे थे।

(च) मु.चि.नि./हाजीपुर कार्यालय के रेकार्ड की जाँच में यह तथ्य सामने आया कि रोजगार सं. 'A' के तहत ग्रुप 'डी' नियुक्ति के मामले में मु.चि.नि./हाजीपुर द्वारा सभी मंडल अस्पतालों को पुनर्चिकित्सा जाँच के अभ्यर्थियों की प्रारंभिक चिकित्सा जाँच के कागजात भेजने का सुझाव जनवरी-13 में दिया गया। बाद में चार अनुस्मारक भेजे जाने के बाद प्रारंभिक चिकित्सा जाँच करने वाले एक अस्पताल द्वारा अंतत: नवम्बर-13 अर्थात 11 माह बाद दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। मु.चि.नि. के बार-बार अनुस्मारक के बाद भी प्रारंभिक चिकित्सा जाँच करने वाले अस्पताल द्वारा प्रारंभिक चिकित्सा जाँच के कागजात को भेजने में अनावश्यक विलंब किया गया।

(छ) अनुसंधान के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पुनर्चिकित्सा जाँच के मामलों में मंडल अस्पताल द्वारा कोई निगरानी नहीं की जाती है। यहाँ तक कि मु.चि.नि. कार्यालय भी अनुस्मारक भेजने के काफी बाद यथा 11 माह तक दस्तावेज भेजे जाने के इंतजार में रहा। यह तथ्य भी सामने आया कि पुनर्चिकित्सा जाँच करने वाले अस्पताल 'X' द्वारा पुनर्चिकित्सा जाँच की कार्यवाहियों के संबंध में भी कोई रेकार्ड नहीं रखा गया।

(ज) मामले के बार-बार अनावश्यक विलंब के लिए जबाबदेह कार्यालयी के विरुद्ध दीर्घ शास्ति दंड की अनुशंसा की गई है। मु.चि.नि./पू.म.रे./हाजीपुर से प्रारंभिक चिकित्सा जाँच/पुनर्चिकित्सा जाँच/सावधि चिकित्सा जाँच की प्रत्येक गतिविधियों के लिए समय-सीमा सुनिश्चित करने तथा

e. Dealer of the hospital conducting IME stated that earlier while sending the report of Initial Medical Examination of the fourth candidate to the hospital 'X' who had to conduct re-medical examination, he could not send the Echo report due to excess work of other section and whatever documents were made available to him by the custodian of the documents were sent to by him. He further stated that he got letter for sending Echo report of the candidate about one and half months back but the case being old (of 2012), the same could be made available to him by the custodian of document on the day of his clarification in vigilance office. The custodian of documents stated that no document was asked for from him by the dealer. Both the dealer and the custodian of documents, therefore, did not tell the truth.

f. From the examination of the records of CMD office/HJP, it revealed that in this case of appointment of Gr D against employment notice no. 'A', it was advised by CMD/HJP in Jan'13 to all divisional hospitals to send the documents of IME of the candidates for Medical re-examination. Further, more than four reminders were sent and the documents were finally made available by the one of the hospitals conducting IME in Nov'13 i.e. after long 11 months. Inordinate delay, therefore, took place in sending the documents of IME by the hospital conducting IME despite repeated reminders by CMD.

g. During investigation, it came to light that there is no monitoring of cases of Re-medical examination in divisional hospitals. Even CMD office kept on sending reminders for 11 long months for sending documents. It was also observed that no record was maintained in the hospital 'X' who conducted re-medical examination for movement of the files of re-medical examination.

h. Officials responsible have been taken up under major penalty for inordinately delaying the case again and again. CMD/ECR/HJP has been requested to issue an SIL for fixing time frame

मंडल अस्पताल, मु.चि.नि. कार्यालय एवं विभिन्न स्तर पर कार्यों की निगरानी हेतु व्यवस्था करने के लिए प्रणाली सुधार पत्र (एस.आई.एल.) जारी करने का अनुरोध किया गया है।

मेडिकल उपकरण की आपूर्ति एवं प्राप्ति में अनियमितता

- प्रमोद यादव, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/भंडार

एक अस्पताल में आपूर्तित की गयी मेडिकल उपकरण की गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता से संबंधित जाँच के क्रम में निम्न अनियमितताएँ पायी गईं :-

1. **हाई प्रेशर होरीजॉनटल स्टरलाइजर 20" x 44" क्षमता : 12 किलो वाट**- यह उपकरण भंडार नियंत्रक, पूमरे के क्रय आदेश के विरुद्ध फर्म 'X' के द्वारा आपूर्तित की गयी थी। जाँच के क्रम में यह प्रकाश में आया कि मशीन का Make एक प्लास्टिक स्टीकर पर 'X' मुद्रित कर मशीन के ऊपर चिपकाया गया था। एक बड़ा स्टील बोर्ड भी मशीन पर चिपकाया गया था, जिस पर मशीन को चलाने संबंधित संपूर्ण निर्देश के साथ-साथ मशीन की क्रम सं., इसका स्पेसीफिकेशन एवं अन्य विवरण उल्लेखित किया गया था। इस स्टीकर के निचले भाग में निर्माणकर्ता "Y" उल्लेखित था। अत: इस मशीन का निर्माणकर्ता फर्म 'X' नहीं था, जैसा कि क्रयादेश एवं निरीक्षण प्रमाण पत्र जो राईटस के द्वारा निर्गत किया गया था, में उल्लेखित था। इस आशय की पुष्टि आगे भी अन्वीक्षण के दौरान की गई।

स्वतंत्र गवाह के साथ फर्म मेर्सस 'X' के क्षेत्राधिकार में एक जाँच की गयी और यह पाया गया कि फर्म 'X' होरीजॉनटल स्टरलाइजर का निर्माणकर्ता नहीं है बल्कि यह वरटिक्ल स्टरलाइजर एवं अन्य मेडिकल उपकरण का निर्माणकर्त्ता है। यह उपकरण फर्म 'X' की उत्पादन सूची-पत्र में भी अंकित नहीं था। फर्म के कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र जाँच के क्रम में, फर्म के प्रतिनिधि ने कहा कि वे इस होरीजॉनटल स्टरलाइजर के निर्माणकर्ता नहीं है, परन्तु अगर क्रय आदेश उनके फर्म पर जारी किया गया तो यह सामग्री उपलब्ध करायी जा सकती है।

सामग्री की आपूर्ति के उपरान्त राईटस/कोलकत्ता के द्वारा प्रेषिती के क्षेत्राधिकार में सामग्री का निरीक्षण किया गया। राईटस के जाँच अभियंता ने यह नहीं देखा कि उपकरण पर निर्माणकर्ता के नाम 'X' के स्थान पर 'Y' अंकित है, जबकि क्रयादेश के अनुसार सामग्री 'X' के द्वारा आपूर्तित की जानी थी। क्रयादेश में भी कोई समुद्भरण संबंधी उपधारा वर्णित नहीं था। निरीक्षण प्रमाण

for different activities involved in IME/ Re-medical examination/ PME and monitoring of the same at various levels in divisional hospital and CMD Office.

IIRREGULARITY IN SUPPLY AND RECEIPT OF MEDICAL EQUIPMENT

- Pramod Yadav, CVI/S

During a check pertaining to quality and genuineness of medical equipments supplied at a hospital, following irregularities were noted:

1. **High Pressure Horizontal Sterilizer 20" X 44" Load: 12 KW-** The equipment was supplied by firm M/s 'X' against purchase order of COS/ECR. During check, it was observed that name of make of the machine printed on a plastic sticker as "X" was pasted on the machine. A large steel board was affixed on the body of the machine on which complete instruction for operation of the machine with machine sl. No., specification and other details were mentioned. At the bottom of this steel board it was also mentioned that - "MFD by Y". The firm M/s 'X' was, therefore, not the manufacturer of the machine as mentioned in the PO and Inspection Certificate issued by RITES. This was also confirmed subsequently during further investigation.

A check with independent witness was conducted at the premises of the firm M/s 'X' and it was found that the firm was not a manufacturer of the item Horizontal sterilizer rather it manufactured Vertical Sterilizer and other medical equipments. The equipment was also not mentioned in the product catalogue of the firm. During independent check at the firm's premises, the representative of the firm stated that they did not manufacture the item Horizontal sterilizer but could arrange if order was placed on them.

The equipment was inspected at the consignee's premises by RITES/Kolkata after supply. RITES inspecting Engineer also did not see that on the equipment, manufacturer's name was mentioned as 'Y' instead of 'X' who had to supply the equipment as per PO. In the PO, no embossing clause was also mentioned. No test report

पत्र के साथ कोई जाँच रिपोर्ट संलग्न नहीं था।

राईटस एवं फर्म के साथ सामग्री की संयुक्त जाँच की गयी। संयुक्त जाँच के दौरान फर्म के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने इस मद का निर्माण किया है और मेसर्स 'Y' का नाम सामग्री पर इसलिए अंकित था क्योंकि इस उपकरण का पैनल बॉक्स 'Y' से खरीदा गया था। संयुक्त जाँच में सामग्री स्वीकार कर ली गयी।

इस तथ्य से यह इंकार नहीं किया जा सकता है कि फर्म ने संयुक्त जाँच के समय गलत सूचना दी। इस उपकरण का निर्माण 'Y' के द्वारा किया गया जैसा कि उपकरण के मुख्य भाग में चिपकाये गये स्टील प्लेट, जिस पर मशीन संचालन हेतु अंकित निर्देश से स्पष्ट था और यह फर्म के क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र जाँच के दौरान सत्यापित भी हुआ।

भंडार नियंत्रक और मुख्य चिकित्सा निदेशक/पूमरे से आग्रह किया गया है कि भविष्य में आदेश निर्गत करते समय इस फर्म 'X' के द्वारा दिये गये गलत विश्वसनीयता प्रमाण पत्र को ध्यान में रखा जाए। राईट्स से भी आग्रह किया गया है कि जाँचकर्त्ता के द्वारा उपकरण के गलत निरीक्षण के लिए उसे दंडित किया जाए।

2. ऑटो रिफरेक्टोमीटर विद केराटोमीटर एसीसीयूआरईएफ के-9001, निर्माणकर्ता फर्म- 'A' जापान - यह उपकरण भंडार नियंत्रक के क्रयादेश के विरुद्ध अस्पताल के लिए खरीदा गया था। भंडार नियंत्रक के द्वारा जारी क्रयादेश के अनुसार सामग्री का निर्माणकर्ता फर्म- 'A' जापान था। यद्यपि आदेशित मद आयातित था, परन्तु आयातित मद हेतु आयात संबंधी दस्तावेज यथा कस्टम ऑउट पास बिल ऑफ इंट्री, बिल ऑफ लेडिंग/एयर वे बिल, निर्माणकर्ता का इन्वाईस और एमटीसी/जीसी इत्यादि निरीक्षण और आपूर्ति के समय दिए जाएँ न तो ऐसा निविदा शर्त में वर्णित था और न ही क्रयादेश में अंकित था। न तो जाँचकर्ता के द्वारा जाँच के समय आयात से संबंधित दस्तावेज की माँग की गयी न ही प्रेषिती के द्वारा सामग्री की आपूर्ति के उपरान्त इसकी माँग की गयी।

जाँच के दौरान यह पाया गया कि सामग्री पर निर्माणकर्ता का नाम 'A' जापान अंकित नहीं था बल्कि इसकी जगह पर कोरिया के फर्म 'B' का लोगो सामग्री पर समुद्भरित था। सतर्कता विभाग के द्वारा प्रेषिती को सलाह दी गई कि संयुक्त जाँच बुलायी जाएँ। अनुस्मारक देने के बाबजूद भी संयुक्त जाँच में फर्म उपस्थित नहीं हुआ। राइट्स और प्रेषिती के द्वारा किये गये संयुक्त जाँच

was attached with the inspection certificate either.

A joint inspection was called for with RITES and the firm. During joint inspection, the firm's representative stated that they manufactured this item and the name of firm M/s 'Y' was embossed on the material because they had purchased panel box of the equipment from the firm 'Y'. Material was accepted in JI.

There is no denying fact that the firm gave false information during JI. The equipment was manufactured by the firm 'Y' as was evident from the steel plate affixed predominantly on the body of the equipment enumerating instruction for operation of the machine and as verified during independent check at firm's premises.

COS and CMD/ECR have been requested to take into consideration the matter of giving false credential by the firm while placing future orders. RITES has also been requested to take up the matter of incorrect inspection of the equipment by the in specting official.

2. Auto refractometer with Keratometer ACCUREF K - 9001 Mfg by firm 'A', Japan"- The equipment was purchased for hospital against the PO of COS/ECR. The equipment ordered by COS/ECR was of make 'A', Japan. Though the ordered item was an imported one, tender condition for furnishing import documents like Custom's out passed Bill of Entry, Bill of lading/Air way bill, manufacturer's invoice and MTC/GC, etc at the time of inspection and supply was not mentioned in the PO. Neither the inspecting official asked for these import documents at the time of inspection nor the consignee at the time of supply.

During check it was found that name of the manufacturer 'A', Japan was not mentioned on the equipment instead logo of another firm 'B' of Korea was embossed on the equipment. Vigilance advised the consignee to call for a joint inspection. The firm despite repeated reminders did not attend the JI. During JI with RITES and consignee,

के दौरान मशीन की क्रम सं. जो निरीक्षण प्रमाण पत्र में अंकित थी, मशीन पर नहीं पायी गई। निरीक्षण प्रमाण पत्र में दर्शाई गयी जाँच प्रतिकृति भी उपकरण पर उपलब्ध नहीं थी। सामग्री की आपूर्ति के उपरान्त सामग्री की प्रामाणिकता की जाँच क्रयादेश के अनुरूप करने हेतु कोई दस्तावेज यथा उपकरण पर जाँच प्रतिकृति की उपलब्धता, क्रम सं., निर्माणकर्ता का नाम, अन्य विस्तृत विवरण, आदि उपलब्ध नहीं था। इसलिए राइट्स ने अस्वीकार किया कि उनके द्वारा इस उपकरण को निरीक्षित किया गया और फलत: संयुक्त जाँच के दौरान सामग्री को अस्वीकार कर दिया गया।

भंडार नियंत्रक और मुख्य चिकित्सा निदेशक से आग्रह किया गया है कि दोषी फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। मुख्य चिकित्सा निदेशक से यह भी आग्रह किया गया है कि सामग्री की प्राप्ति एवं प्रामाणिकता का सत्यापन क्रयादेश के अनुसार करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया जाए।

स्क्रैप लेड एसीड/भीआरएलए बेट्री के लौटाये गये भंडार के संज्ञापन नोट बनाने में अनियमितता

- **राजीव कुमार,** मुख्य सतर्कता निरीक्षक/भंडार

एक मंडल के संकेत तथा दूरसंचार विभाग के स्क्रैप के निष्पादन संबंधी मामले के अन्वीक्षण के दौरान पाया गया कि इकाई के द्वारा स्क्रैप लेड एसीड/भीआरएलए बेट्री के वापसीकरण के संज्ञापन नोट में बैटरियों में उपलब्ध लेड की प्रतिशत मात्रा नहीं दिखाई गई। बिक्री के लिए मैट्रिक टन में बनाये गये लॉट में अलग-अलग क्षमता (आम्पीयर-आवर) तथा वोल्टेज के बैटरियों में प्रतिशत लेड की मात्रा तथा प्रत्येक तरह की बैटरी की संख्या नहीं दर्शायी गयी। लेड की मात्रा बैटरियों में नहीं दिखाये जाने का पहलू विभिन्न स्तरों पर यथा एन एस-11 बनाने, डिपो द्वारा लॉट बनाने, सर्वेक्षण शीट को भंडार नियंत्रक कार्यालय द्वारा अनुमोदित करने तथा रिजर्व कीमत के आकलन के समय असूचित रह गया।

रद्दी माल भेजनेवाले कर्मी को बैटरी में उपलब्ध लेड की प्रतिशत मात्रा की कोई जानकारी नहीं थी। उसने गलत ढंग से यह बताया कि बैटरियों को डिपो में भेजने से पहले उसने उनमें उपलब्ध लेड की प्रतिशत मात्रा की जाँच करायी थी जो कि 15 प्रतिशत था। इन्हीं बैटरी की लेड की प्रतिशत मात्रा का आकलन सतर्कता टीम द्वारा कराया गया तथा यह 20 से 35 प्रतिशत तक पाया गया। आगे अन्वीक्षण के दौरान डीजल लोको, विद्युत लोको, ट्रेन प्रदीपन के

machine sl. No. mentioned in the IC was not found on the equipment. Inspection facsimile was also not available on the equipment. No record regarding availability of facsimile marks on the equipment, mentioning of equipment sl. No., name of the manufacturer, other details of the equipment on its receipt was prepared at the time of receipt of the equipment to check the genuineness of the supply as per PO. RITES, therefore, declined that the equipment was in spected by them and finally the material was rejected during JI.

COS and CMD have been requested to take action against the erring firm. CMD has also been requested to issue guidelines for receipt of material and its verification of genuineness as per PO.

Irregularity in preparing of Advise Note for Returned Stores (NS-11) for scrap LA/VRLA batteries

- **Rajeev Kumar,** CVI/S

During investigation of a case pertaining to disposal of scrap Lead Acid/VRLA batteries by S&T department of a division, it was noted that in the Advise Note for Returned Stores (NS-11) of these scrap batteries, percentage of lead content of batteries was not mentioned. Lot for sale in MT was also formed by mixing batteries of different capacities (AH) and voltages without mentioning the percentage of lead content and number of each type of battery. This aspect of not indicating the content of lead in batteries went unnoticed at various levels i.e. at the stage of making NS-11, preparing lot by depot, approving the survey sheet by COS office & fixing the Reserve Price.

The returning official did not have any idea about the percentage lead content of the batteries. He stated falsely that he got the lead content of the batteries determined prior to sending the batteries to stores depot for sale which was found to be 15% for all types of batteries. Percentage lead content of the same batteries was assessed by the vigilance team also which was found to vary

बैटरियों में लेड की प्रतिशत मात्रा बैटरी के कुल वजन के 80 प्रतिशत तक पायी गयी। सभी प्रकार के बैटरी को मिलाकर वजन (मैट्रिक टन) के आधार पर लॉट बनाने में वह भी बिना इनमें उपलब्ध लेड की प्रतिशत मात्रा के आकलन किए तथा बिना उनकी संख्या दर्शाये, से रेल राजस्व की हानि होने की संभावना रहेगी।

बैटरी में लेड की प्रतिशत मात्रा उनकी क्षमता (आम्पीयर-आवर) तथा उनके वोल्टेज पर निर्भर करता है। स्क्रैप बैटरी का मुख्य घटक लेड है। स्क्रैप बैटरी का मूल्य उनमें उपलब्ध लेड की मात्रा पर निर्भर करता है। अत: लॉट मिश्रित अवस्था में बिना प्रतिशत लेड की मात्रा को तथा अलग-अलग प्रकार के बैट्री की संख्या को दर्शाये बिना नहीं बनाना चाहिए था। स्क्रैप वापसी कर्मी को लघु दण्ड प्रावधान के अन्तर्गत दंडित किया गया है। भंडार नियंत्रक तथा मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता को इस दिशा में एक संयुक्त कार्यप्रणाली आदेश जारी करने हेतु प्रणाली सुधार पत्र लिखा गया है।

कर्षण वितरण से संबंधित सामग्री की प्राप्ति में अनियमितता

- **रणजीत कुमार,** मुख्य सतर्कता निरीक्षक/भंडार

एक मंडल के किसी एक कर्षण वितरण इकाई में निवारक जाँच के दौरान यह देखा गया कि सिंगल पोल आइसोलेटर के निर्माण (इरेक्शन) एवं लगाने (इंसटॉलेशन) के लिए की गई कार्य संविदा में, पोस्ट इन्श्यूलेटर की आपूर्ति का प्रावधान था। सामग्री-शिड्यूल के मद सं. 1 के तहत 250 अद्द एवं मद सं. 4 के तहत 250 अद्द पोस्ट इन्श्यूलेटर की आपूर्ति की जानी थी। अत: कुल 500 पोस्ट इन्श्यूलेटरस की आपूर्ति की जानी थी। इकाई में मद के भौतिक जाँच के क्रम में पाया गया कि आपूर्तिकर्ता ने कुल 250 अद्द पोस्ट इन्श्यूलेटरस आपूर्तित किया तथा स्टॉकधारी एवं संबंधित वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। स्टॉकधारी एवं संबंधित वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता दोनों ने कहा कि सामग्री-शिड्यूल के मद सं. 1 के तहत 125 अद्द एवं मद सं. 4 के तहत 125 अद्द पोस्ट इन्श्यूलेटरस की आपूर्ति की गई थी। फिर भी वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता द्वारा शिड्यूल के मद सं. 1 के लिए 'पूरी मात्रा प्राप्त की' (फूल क्वांटिटी रिसीवड) सत्यापित की गई। संबंधित वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता ने कहा कि मात्र 250 अद्द पोस्ट इन्श्यूलेटर ही कार्य हेतु आवश्यक था इसलिए उच्च अधिकारी के सलाह पर उसने शिड्यूल के मद सं. 1 हेतु 'फूल क्वांटिटी रिसीवड' सत्यापित किया।

from 20% to 35%. During further investigation, for various other types of Train lighting batteries, Diesel loco and Electric Loco batteries, the percentage lead content was found to be up to about 80% of the total weight of the battery. Forming a lot by mixing all types of batteries in MT (by weight) without declaring the lead content and number of each type of battery will cause loss of railway revenue.

Percentage lead content in batteries varies depending upon their capacity in AH and also on their voltages. Lead is the main component of scrap batteries. Prices of batteries vary depending upon their lead content and hence lot should not have been prepared in mixed condition without mentioning the percentage of lead content and number of each type of battery. The returning official was taken up and issued minor penalty charge sheet. A System Improvement Letter has been issued to COS and CSTE with the request to make a JPO in this regard.

Irregularity in receipt of material pertaining to TRD

- Ranjeet Kumar, CVI/S

During a Preventive Check conducted in one of the units of TRD of a division, it was observed that in a works contract for Erection and Installation of Single Pole Isolator, provision for supply of Post Insulator was made in the contract. 250 numbers of Post insulators were to be supplied as item no. 1 of the schedule and further 250 nos as item no. 4 of the schedule. Therefore, altogether 500 numbers of Post insulators were to be s0upplied. The contractor supplied total 250 numbers of Post Insulators as found during physical checking of the items in the unit and confirmed by the stock holder and SSE concerned also. Both the stock holder and concerned SSE stated that 125 numbers of Post insulators were supplied against item no. 1 of the schedule and 125 nos against item no. 4 of the schedule. However, for item no. 1 of the schedule "full quantity received" was certified by the SSE. SSE concerned stated that total 250 numbers of Post Insulators only were required for the work and hence as per the advice of higher official he certified for "full quantity received" for item no. 1 of the schedule.

सहायक विद्युत अभियन्ता के द्वारा माप पुस्तक (एम.बी.) में 20 प्रतिशत जाँच इंदराज की गई तथा उन्होंने भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया बल्कि उन्होंने स्पष्टीकरण के दौरान कहा कि कुल 375 अद्‌द पोस्ट इन्श्यूलेटरस प्राप्त किये गए थे, यथा, मद सं. 1 के तहत 250 अद्‌द एवं मद सं. 4 के तहत 125 अद्‌द, जो कि सही नहीं था।

इकाई द्वारा कार्य संविदा के तहत 250 अद्‌द पोस्ट इन्श्यूलेटर प्राप्त करने के बाद 375 अद्‌द की प्राप्ति भुगतान हेतु सत्यापित की गयी तथा प्रतिष्ठान को इतनी राशि का भुगतान भी किया गया। परिणामस्वरूप छः लाख चालीस हजार रुपये का ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान किया गया एवं सतर्कता विभाग द्वारा अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली करने की सलाह दी गई।

केस जाँच के अधीन है।

खाता में अप्रविष्ट एक करोड़ चालीस लाख रुपये के सामग्री की उपलब्धता

- **रणजीत कुमार,** मुख्य सतर्कता निरीक्षक/भंडार

मुगलसराय मंडल में निवारक जाँच के दौरान लगभग रु. 1.40 करोड़ मूल्य के कर्षण वितरण के 340 अद्‌द नए बी सीरिज मास्ट झाड़ियों, जंगलों एवं तालाब में पड़े हुए पाए गए। इन मास्टों का कोई दावेदार नहीं था।

मास्टों को लेखांकन करने की सलाह दी गई तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि जबतक खाता में अप्रविष्ट मास्टों का प्रयोग नहीं हो जाता है तबतक भविष्य में नए मास्टों का क्रय न किया जाए।

खाद्य नमूनों की जाँच में अनियमितता

- **रवीन्द्र कुमार सिंह,** मुख्य सतर्कता निरीक्षक/चिकित्सा

एक परिवाद की जाँच के क्रम में विभिन्न ट्रेनों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों से संग्रह किये गये नमूनों की जाँच में अनियमितताएँ पायी गईं।

संबंधित स्वास्थ्य निरीक्षक/खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रति माह पाँच खाद्य नमूना विभिन्न ट्रेनों, खाद्य प्रतिष्ठानों तथा रेलवे रसोई से संग्रह करना था परन्तु उसने इसका अनुपालन नहीं किया। संग्रह किए गए नमूनों को समय पर जाँच हेतु जाँच प्रतिष्ठानों को नहीं भेजा गया वरन लगातार तीन माह के संग्रहित नमूने जाँच प्रतिष्ठान को एक बार भेजे गए। एक माह का नमूना संग्रह करने के बाद जाँच हेतु भेजा ही नहीं गया।

20% check in MB was endorsed by AEE and he also did not point out this issue rather during clarification he stated that 375 number of Post insulators were received i.e. 250 nos against item no. 1 and 125 nos against item no. 4 which was not correct.

After receiving 250 nos of Post insulators by the unit against the works contract, payment for 375 numbers of the item was certified and made to the firm. Thereby excess payment to the tune of about Rs 6.40 lakh was made to the contractor which was recovered on vigilance advise.

The case is under investigation.

Availability of unaccounted materials worth Rs 1.40 crores

- Ranjeet Kumar, CVI/S

During a preventive check in MGS division, 340 numbers of new B series masts for TRD worth Rs 1.40 crores approx were found lying in bushes, jungles and in pond. There was no claimant of the masts.

It was advised to account for the masts and to ensure that no future procurement of the masts be made till the unaccounted masts are used.

Irregularity in testing of Food Samples

- Ravindra Kumar Singh, CVI/Med

During investigation of a complaint, irregularity in getting the food samples collected from different trains and food stalls tested was noted.

The concerned CHI/FSO was to collect five samples per month from different trains and food stalls including kitchens of railways which he did not comply. The samples collected were not sent to test agency in time rather samples of three consecutive months were sent for testing once. Sample collected for a month was not sent for testing at all.

संबंधित कर्मचारी खाद्य नमूनों को सही समय पर जाँच हेतु नहीं भेजने के संबंध में कुछ भी नहीं बता पाया। इसके पीछे सिर्फ संबंधित कर्मचारी की बीमार मानसिकता थी तथा इस कृत के लिए उसे आरोपित किया गया।

अचल संपत्ति की सूचना में अनियमितता

- **रवीन्द्र कुमार सिंह,** मुख्य सतर्कता निरीक्षक/चिकित्सा

रु. 4600 ग्रेड पे. के एक कर्मचारी द्वारा अचल संपत्ति के लेन देन की सूचना नहीं देने संबंधी एक परिवाद की जाँच की गई। उस कर्मचारी द्वारा एक भूखंड खरीदा गया था तथा बाद में उस भूखंड पर दो मंजिला मकान बनवाया गया।

संबंधित आरोपित कर्मी द्वारा जमीन पर दो मंजिला मकान बनाने से पहले रेल सेवा आचरण नियम 18 (2) के तहत कोई प्रक्रिया नहीं की गई। इस कर्मी द्वारा वार्षिक संपत्ति व्यौरा भी नहीं जमा किया गया। जाँच के क्रम में यह भी पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सोनपुर के कार्यालय में रु. 4600 ग्रेड पे के किसी कर्मचारी द्वारा वार्षिक संपत्ति ब्यौरा नहीं दिया जाता है।

इस मामले की जाँच के क्रम में उक्त कर्मचारी द्वारा जमीन खरीद से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सोनपुर एवं मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/सोनपुर के कार्यालय में दिया गया था। आवेदन के साथ आरोपित कर्मी द्वारा जमीन संबंधित कोई विवरण नहीं दिया गया। इसके बावजूद आवेदन नियंत्रक अधिकारी द्वारा विधिवत् अग्रसारित किया गया। जाँच के दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सोनपुर कार्यालय के फाईल में उक्त आवेदन नहीं पाया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सोनपुर के जिस प्राप्तकर्ता कार्यालयी का उस आवदेन पर हस्ताक्षर था, जाँच के क्रम में उसका देहांत हो चुका था इसलिए आवेदन कहाँ है एवं उस पर मु.चि.अधी. के उक्त कर्मी द्वारा क्या कार्रवाई की गई, कुछ भी सत्यापित नहीं हो सका।

यह आवेदन मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/सोनपुर के कार्यालय में भी उपलब्ध नहीं था, न ही जिस कर्मचारी का उस आवेदन पर हस्ताक्षर था, वैसा कोई कर्मी मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/सोनपुर के कार्यालय में कभी कार्यरत था। मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/सोनपुर के कार्यालय में प्राप्त आवेदन पर आरोपित कर्मचारी द्वारा गलत हस्ताक्षर आवेदन की प्राप्ति स्वरूप दिखाया गया।

संबंधित कर्मचारी को आरोपित किया गया तथा सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/मंडल रेल प्रबंधकों से अनुरोध किया गया कि रु. 4600 ग्रेड पे के सभी कर्मियों का वार्षिक संपत्ति ब्यौरा समय से जमा कराया जाए।

The official concerned could not cite any reason behind not sending the samples collected for test to testing agency in time. It was therefore only his ill motive behind this act for which the official has been taken up.

Irregularity in Intimation of Immovable Property

- Ravindra Kumar Singh, CVI/Med

A complaint pertaining to non-intimation of transaction of immovable property by an official in GP Rs 4600/- was investigated. The official had purchased a piece of land and later on got a two storied building constructed on that land.

Prior to construction of two storied house on the land, the concerned official did not process for noting of the same under Rule 18(2). The official had also not submitted Annual Immovable Property Return (AIPR). It was learnt during the course of investigation that there was no system of submission of AIPR by officials in GP Rs 4600/- in CMS/SEE office.

During investigation of the case, the official produced an application given by him in the office of CMS/SEE and DRM (P)/SEE for purchase of land. The application did not contain any information about the land purchased by the official. Even then, the application was duly forwarded by the controlling officer. The application was not found available in the files of CMS/SEE during investigation. The official of CMS/SEE whose receiving was available on the application had already expired during investigation so where about of the application and course of action taken by that official of CMS/SEE office could not be verified.

The application was also not available in the office of DRM (P)/SEE neither the official whose signature was shown on the application had ever worked in the office of DRM (P)/SEE. The receiving of the official of DRM (P)/SEE was, therefore, shown falsely on the application by the charged official.

Staff concerned has been taken up and all PHODs/DRMs have been requested to ensure the submission of AIPR by officials in GP Rs 4600/- in time.

औषधियों के स्थानीय क्रय में अनियमितता

- **विकास कुमार,** मुसतानि/भंडार
- **रवीन्द्र कुमार सिंह,** मुसतानि/चिकित्सा

एक मंडल अस्पताल में जाँच के क्रम में औषधियों के स्थानीय क्रय में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गई :-

1. बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के ही औषधियों के स्थानीय क्रय की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी।
2. स्थानीय क्रय के प्रत्येक मामले में काफी अधिक संख्या में दवाओं की खरीद की प्रक्रिया की गई। प्रत्येक दवा की मात्रा निविदा में नहीं दर्शाई गई जिसके कारण निविदा का अनुमानित मूल्य नहीं ज्ञात किया जा सका।
3. निविदा पत्र में औषधियों का विवरण और इकाई स्पष्ट एवं सही नहीं दर्शाया गया था। उदाहरण स्वरुप एक औषधि की इकाई 1 'फाइल' दी गयी थी। ऑफर में फर्मों द्वारा 'फाइल' की क्षमता अलग-अलग दर्शाई गई थी। निविदा खुलने के समय 'फाइल' की क्षमता में ओवरराइटिंग कर 100 मिली. को 150 मिली. कर दिया गया। लेखा कार्यालयी जो निविदा खोलने के साक्षी के रुप में थे उनके द्वारा यह कहा गया कि 'फाइल' की क्षमता में कटिंग/ओवरराइटिंग मेरे द्वारा अभिप्रमाणित नहीं किया जाता है, मैं सिर्फ दर को प्रमाणित करता हूँ। तुलनात्मक विवरणी बनाते समय भी फर्मों द्वारा दिये गये ऑफर दर में विभिन्न 'फाइल' क्षमता को एक निश्चित 'फाइल' क्षमता पर अद्यतित नहीं किया गया।
4. निविदा निर्बंधित एवं अनिर्बंधित दोनों फर्मों को दी गई। निविदा प्रपत्र देते समय फर्म निर्बंधित है या नहीं इस पर विचार नहीं किया गया न ही किसी कारण का उल्लेख किया गया कि अनिर्बंधित फर्म को क्यों निविदा दिए जाने वाले फर्मों की लिस्ट में शामिल किया गया।
5. सभी मामलों में कटिंग/ओवरराइटिंग/व्हाइटनर का प्रयोग फर्म द्वारा दिये गये ऑफर के दर/विवरण/ईकाई में पाया गया। अत्यधिक मामलों में पाया गया कि कटिंग/ ओवरराइटिंग/व्हाइटनर का प्रयोग निविदा खोलने वाले कार्यालयी के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया जो निविदा खोलने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित थे। जाँच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि कटिंग/ ओवरराइटिंग/व्हाइटनर का प्रयोग अत्यधिक मामलों में निविदा खुलने के पश्चात् किसी विशेष फर्म को लाभ पहुचाने की नीयत से किया गया था।

Irregularities in local purchase of medicines

- Vikash Kumar, CVI/S
- Ravindra Kumar Singh, CVI/Med

During a check in a divisional hospital regarding local purchase of medicines, following irregularities were noted:

1. Local purchase of medicines was initiated without obtaining approval of competent authority.
2. Tender for local purchase was processed for large number of items in each case. Quantity required for each medicine was not mentioned. It was, therefore, not possible to arrive at the estimated value of the case.
3. Description and unit of the medicines were not mentioned in the tender enquiry clearly and correctly. For example, as for the unit of a medicine, 1 phyle was mentioned for which the firms offered phials of different capacities. During tender opening, there was overwriting in the phial capacity i.e. 100 ml was made 150 ml. Accounts official who witnessed the tender opening said that cutting/overwriting in the capacity of phial was not attested by him as he had to certify the rate only. While preparing the tabulation statement, rates offered by firms for different capacities of phial were not updated to a fixed capacity phial.
4. Tenders were given to both registered and unregistered firms. In the panel of firms considered for giving tender enquiry, it was not mentioned that whether the firms were registered or not neither any reasons for including the names of unregistered firms was mentioned.
5. In all the cases, cutting/overwriting/use of whitener was found in the rates/description/unit offered by the firms. In most of such cases, the cutting/overwriting/use of whitener was not certified by the officials who witnessed the tender opening. It came up during investigation that these cutting/overwriting/ use of whitener had been done in most of the cases after opening of tender with an intention to benefit certain firms.

निविदा अनुभाग में कार्यरत कर्मी द्वारा उच्च दर पर औषधियों का क्रयादेश जारी करने से रेलवे राजस्व की क्षति हुई।

6. इन मामलों के कार्यालयी कर्मी द्वारा यह कहा गया कि ऑफर में कटिंग/ओवरराइटिंग/व्हाइटनर का प्रयोग निविदा खुलने के समय से ही विद्यमान था। निविदा खोलने का कोई रजिस्टर इकाई में उपलब्ध नहीं था न ही कटिंग/ओवरराइटिंग/व्हाइटनर के प्रयोग को निविदा खुलने के समय अभिप्रमाणित किया गया था। अत: संबंधित कर्मी का यह कथन सत्य से परे है। दर के शब्द एवं अंक में कटिंग/ओवरराइटिंग के पश्चात् भिन्नता है। अत: स्पष्ट है कि दर में कटिंग/ओवरराइटिंग निविदा खुलने के पश्चात् किया गया था।

7. कुछ मदों का दर अंक/शब्द में कटिंग/ओवरराइटिंग कर बढ़ाया गया था। इन मामलों की तुलनात्मक विवरणी उच्च दर पर ही विचार कर बनायी गई, जो फर्म के हित में था व क्रयादेश भी उच्च दर पर ही जारी किया गया। निविदा खोलने के साक्षी अधिकारी द्वारा भी तुलनात्मक विवरणी एवं क्रयादेश पर हस्ताक्षर किया गया था। उनके द्वारा यह कहा गया कि तुलनात्मक विवरणी एवं क्रयादेश पर वर्णित दर को ऑफर दर से मिलाया नहीं गया था।

8. कुछ मामलों में फर्म के द्वारा दिये गये ऑफर में कर के अंश को दर के साथ बिना जोड़े तुलनात्मक विवरणी बनाकर क्रेता अधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण तुलनात्मक विवरणी में फर्म को सही ढंग से श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सका। परन्तु इन मामलों में अनुमोदनोपरांत अतिरिक्त कर के साथ क्रयादेश जारी कर दिया गया।

9. कुछ मामलों के निविदा स्वीकृति के समय पुनर्निविदा की सलाह दी गई थी। परन्तु पुनर्निविदा की प्रक्रिया शुरु करते समय कुछ नये मदों को भी सूची में शामिल कर लिया गया तथा पुनर्निविदा की सलाह दी गई मद को निविदा सूची में शामिल नहीं किया गया।

यह मामला जाँच के अधीन है।

This act of the official of tender section caused ordering of medicine at higher rates and loss of railway revenue.

6. Dealer of these cases stated that cutting/overwriting/use of whitener in the offers were present at the time of opening of such quotations/tenders. No tender opening register was being maintained in the unit and neither these cutting/overwriting/use of whitener was attested during tender opening and hence the statement of the dealer did not have any relevance. Rates in words and figures of items also differed after cutting/overwriting which strengthened the fact that cutting/overwriting was done after tender opening.

7. In some cases, rates in figures/words were increased by overwriting/cutting. Tabulation statement in these cases was prepared by considering the higher rates whichever was favorable to the firm. Finally order was placed at higher rates. The officer who witnessed the tender opening also signed on the tabulation statement and purchase order. He stated that he did not tally the rate mentioned in the tabulation statement and purchase order with the offered rate.

8. In some cases, tax element offered by the firm was not considered with rate in the tabulation statement and put up to purchase officer concerned for approval. Ranking of the firms was, therefore, not correct in the tabulation statement. But after approval, Purchase Order was placed with 'tax extra' in these cases.

9. Tender was accepted for some of the items and for other items re-tender was advised. At the time of processing the case for re-tender, other new items were included and the items for which re-tender was advised were not included in the list.

The case is under investigation.

यांत्रिक

- **कुमार करुणेश**
मुख्य सतर्कता निरीक्षक/यांत्रिक

पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत विभिन्न मंडलों के प्राइमरी ट्रेनों में एस्कोर्टिंग एसी कोच परिचारक (ACCA) हेतु संविदा में विसंगतियां

निवारक सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि पूर्व मध्य रेल के विभिन्न मंडल वातानुकूलित कोच परिचर कार्य हेतु अलग-अलग प्रकार से इकाई दर निर्धारण कर रहे हैं।

कुछ मंडल प्रति कोच प्रति घंटे वहीं अन्य मंडल ट्रेन वार प्रति कोच प्रति राउण्ड ट्रिप की इकाई दर प्रयोग में ला रहे हैं। यह पाया गया कि दो अलग-अलग मंडलों के प्राइमरी ट्रेन जिसका यात्रा समय लगभग समान है जहाँ एक मंडल में कोच परिचर की दर 700/- रुपये प्रति कोच है वहीं अन्य मंडल में 1412/- रुपये प्रति कोच है। इतना ही नहीं वातानुकूलित कोच परिचर (ACCA) के संविदा की दर विभिन्न मंडलों में 13.35/- रुपये प्रति कोच से लेकर 31/- रुपये प्रति कोच तक है।

यदि मजदूरी भत्ता प्रति दिन X है तो 8 घंटे प्रतिदिन के अनुसार प्रति घंटे की दर को X/8 करते हुए 31/- रुपये प्रति कोच घंटे की दर निकाली गयी है। अत: एक दिन में लगभग 24 घंटे यात्रा अवधि वाली ट्रेन में रेलवे द्वारा 31x24 यानि 744/- रुपये भुगतान किए जा रहे हैं जबकि संवेदक के कर्मचारियों को किए भुगतान विपत्र के अनुसार कर्मचारियों को किया गया भुगतान 257/- रुपये प्रतिदिन मात्र (वर्तमान मजूदरी दर के अनुसार) है यानि कि बिना यात्रा घंटे को संज्ञान में लिए भुगतान किया जाता है। जिससे प्रकट होता है कि संवेदक द्वारा अपने कर्मचारियों (ACCA) को किए गए भुगतान की तुलना में रेलवे द्वारा **3 गुणा** तक अधिक भुगतान किया जा रहा है।

विश्लेषित दर जो कि 8 घंटे के दर को 3 से गुणा कर 24 घंटे की दर के रूप में निर्धारित किया गया है। यह सरासर गलत प्रतीत होता है क्योंकि इसमें कार्य की प्रकृति के साथ ही वास्तविक कार्य के घंटे इत्यादि को ध्यान में नहीं रखा गया है। संबंधित विभाग को उचित दिशा निर्देश जारी करने की सलाह दी गई है।

MECHANICAL

- Kumar Karunesh
Chief Vigilance Inspector/Mech.

Anomalies observed in the contracts of Escorting ACCA in primary trains of different divisions of ECR.

During Preventive vigilance checks in the contracts of Escorting ACCA of different Divisions of ECR, it is observed that different divisions of ECR are following different units of rate for the work of Escorting ACCA.

Some divisions are using Per Coach-hrs, whereas in some divisions it is train-wise per coach per Round Trip. It has been observed that the trains of two different divisions having almost same journey hours, the rates in one division are Rs 700/-per coach, whereas in another div. rates are Rs 1412/- per coach. In terms of per coach hour the rates for escorting ACCA in the different divisions of ECR are varying from Rs 13.35/- per coach-hr to Rs 31/- per coach-hr.

The rates of Rs 31/- per coach-hr. were justified considering the labour wages per day as “X” and for 8 hrs per day, the rates per hour i.e. X/8 have been calculated. Thus, considering a train having about 24 hrs journey, Railway is paying Rs 31x24 = **Rs. 744/-**. However from the wage sheet of the contractor, It is observed that the staff deployed as ACCA against this contract are being paid Rs 257/- per day only (as per present per day labour rate) irrespective of journey hours. This implies that the railway is paying up to **three times** the rates to that being paid by the contractor to his staff deployed as ACCA.

The analysed rates, which has been arrived at by multiplying 8hr payable rate by 3 to arrive at rates for 24 hrs appears to be patently wrong as it does not consider the nature of duty as well as the actual duty hours etc. Concerned department has been advised to issue suitable guidelines.

महत्वपूर्ण
प्रणाली सुधार पत्र

Important
System Improvement Letters

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं.: ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक: 06.01.2014

मुख्य चिकित्सा निदेशक
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर

विषय : संविदा चिकित्सकों को अनुबंधित करने के लिए करार पर हस्ताक्षर।

दानापुर मंडल में सतर्कता जाँच के दौरान यह संज्ञान में आया कि संविदा चिकित्सकों को अनुबंधित करने में रेलवे प्रशासन (मुचिअधी/दानापुर) और संविदा चिकित्सकों के बीच करार पर हस्ताक्षर नहीं किया गया।

रेलवे बोर्ड ने पत्र सं. 2007/ई(जीआर)II/I/I दिनांक 16.10.2008, पत्र सं. 2007/ई (जीआर) I/I पार्ट दिनांक 13.08.09 तथा पत्र सं. 2008/ई(जीआर)II/I/I दिनांक 16.07.12 के अंतर्गत चिकित्सकों को अनुबंधित करने के लिए दिशा निर्देश, नियम एवं शर्तें जारी किया है।

जाँच के दौरान यह पाया गया कि संविदा पर अनुबंधित चिकित्सकों को जारी नियुक्ति आदेश में रेलवे बोर्ड के वर्तमान निर्देशों के अनुसार नियम एवं शर्तों का विस्तृत विवरण संलग्न नहीं था। संविदा चिकित्सकों को अनुबंधित करने में धनबाद मंडल में रेलवे प्रशाासन (मुचिअधी/धनबाद) और संबंधित संविदा चिकित्सकों के बीच संविदा करार पर हस्ताक्षर किया जाता है।

करार को ठीक प्रकार से निष्पादित नहीं करने और इसे सर्वसंबंधितों को परिपत्रित नहीं करने के कारण एक संविदा चिकित्सक के पक्ष में प्रथम श्रेणी 'ए' का एक तथा प्रथम श्रेणी का एक यथा कुल दो सुविधा पास जारी कर दिया गया जबकि, इन्हें प्रथम श्रेणी का सिर्फ एक मानार्थ पास पूरी संविदा काल के दौरान मिलना चाहिए था। इसके अलावा संविदा चिकित्सक के पारिश्रमिक से संविदा काल में रेलवे आवास के लिए भी कोई कटौती नहीं की गई। संविदा चिकित्सक द्वारा सात दिन से अधिक के लिए सिक-फिट मेमो जारी किए गए और इन पर नियमित रेलवे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर भी नहीं

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig/SystemImprovement/50 Dated:- 06.01.2014

Chief Medical Director
East Central Railway
Hajipur.

Sub : Signing of agreement for engaging Contract Medical Practitioners

During a vigilance check in Danapur Division, it was noted that agreement for engagement of Contract Medical Practitioner (CMP) was not signed between the railway administration (CMS/DNR) and the CMP.

Railway Board vide Letter No:2007/E(GR) II/I/I dated 16.10.2008, Letter no. 2007/E(GR)/I/I Pt dated 13.08.09 and Letter No:2008/E(GR)II/I/I dated 16.07.12 has issued guidelines and terms & conditions for engagement of Medical practitioner on contract basis.

During check it was noted that appointment order of the Contract Medical Practitioner issued by the Personnel department did not contain the detailed terms & conditions as per the existing instruction of Railway Board. For the engagement of CMP's, contract agreement is being executed by Dhanbad division between the Railway Administration (CMS/DHN) and the CMP concerned.

Due to non-execution of the agreement and its circulation to all concerned, two sets of Privilege Passes one 1st class 'A' pass and one 1st class pass were issued to a CMP instead of one set of 1st class complementary pass during the full contract period. No deduction for railway accommodation provided to a CMP was made from the remuneration of the CMP for the whole contract period. Sick-fit memo were issued by the CMP for more than 07 days and

कराया गया। संविदा चिकित्सक को सीयूजी फोन भी दिया गया, जबकि संविदा में इसका कोई प्रावधान नहीं था।

इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह संज्ञान में आई कि संविदा काल की समाप्ति के बाद भी उक्त संविदा चिकित्सक कार्य पर आते रहे। सतर्कता जाँच के पश्चात् मुचिअधि/दानापुर ने तुरंत ही इस संविदा चिकित्सक की सेवा समाप्ति संबंधी पत्र जारी किया।

उपरोक्त मामले में संविदा चिकित्सकों को अनुबंधित करने का कार्य देखने वाले कार्यालयी ने संबंधित नियम एवं शर्तों की जानकारी होने से अनभिज्ञता जाहिर की।

सभी मंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को यह सूचित किया जाना चाहिए कि संविदा चिकित्सकों को अनुबंधित करते समय रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। संविदा चिकित्सकों को सीयूजी फोन उपलब्ध कराने के संबंध में मुचिनि महोदय जारी निर्देशों के तत्वावधान में मुसंदूसंअ और वित्त के साथ विमर्श कर निर्णय लें तथा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करें।

(महेश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

प्रतिलिपि: मुकाधि/पूमरे/हाजीपुर- कृपया सभी संबंधित कर्मियों को यह सलाह दें कि संविदा चिकित्सकों की बहाली के आदेश में रेल प्रशासन तथा संविदा चिकित्सक के बीच करार पर अवश्य हस्ताक्षर करने का निर्देश शामिल करें।

"UPS AND DOWNS IN LIFE ARE VERY IMPORTANT TO KEEP US GOING, BECAUSE STRAIGHT LINE EVEN IN AN ECG MEANS, WE ARE NOT ALIVE."

---

the same were not got countersigned by a regular Railway Medical Officer. CUG Phone was given to the CMP though no provision for the same was there in the contract.

More surprisingly, the CMP continued to work even after the expiry of his contract period. Letter for termination of the services of the CMP was issued with effect from an earlier date by CMS/ DNR after Vigilance check.

Officials dealing with above matters feigned ignorance about the terms & conditions of the engagement of CMPs.

All divisional CMSs should be advised to sign a contract agreement incorporating the guidelines of Rly Bd. for engagement of CMPs. As for providing CUG to the CMPs, CMD may take a decision in consultation with CSTE & finance and issue guidelines in this regard also.

(Mahesh Kumar)
Dy. Chief Vigilance Officer(S)
for GM/Vigilance

Copy to : CPO/ECR/HJP - He is requested to advice the official concerned to incorporate the instruction in the appointment order of CMPs that agreement must be signed between the railway administration and the CMP.

GOALS ALLOW YOU TO CONTROL THE DIRECTION OF CHANGE IN YOUR FAVOUR.

✶

IN THE END ONLY THREE THINGS MATTER : HOW MUCH YOU LOVED, HOW GENTLY YOU LIVED AND HOW GRACEFULLY YOU LET GO OF THINGS NOT MEANT FOR YOU.

BUDDHA

एसआइएल – 02/2014

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
हाजीपुर

सं. इसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक : 06.01.2014

भंडार नियंत्रक,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय: भंडार विभाग की निविदाओं में कीमत परिवर्तन खंड का प्रावधान तथा टी.ए.ए. के अनुमोदन से क्रय आदेश जारी करना।

भंडार विभाग द्वारा इलेक्ट्रीक लोकोमोटिव के लिए 18 के.भी.ए. स्टैटिक कंवर्टर की सरकारी खरीद के निविदा मामले की जाँच में यह पाया गया कि निविदा की शर्तों में पी.वी.सी. (कीमत परिवर्तन खंड) का प्रावधान नहीं था। उपरोक्त मद की सरकारी खरीद आर.डी.एस.ओ. द्वारा अनुमोदित श्रोतों से की जानी थी तथा फर्मों ने आई.ई.ई.एम.ए. फार्मूला के अनुसार इलेक्ट्रीकल मशीनरी के लिए लागू पी.वी.सी. के साथ अपना दर प्रस्तुत किया।

निविदा समिति के सदस्यों नें निविदा समिति के कार्यवृत में निविदा की शर्तों में पी.वी.सी. का प्रावधान नहीं होने के तथ्य पर विचार-विमर्श नहीं किया और एक फर्म के प्रस्ताव को पी.वी.सी. के साथ स्वीकृति के लिए संस्तुत कर दिया। निविदा स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा संस्तुति को स्वीकार भी कर लिया गया। तद्नुसार एल.ओ.ए. जारी किया गया और क्रयादेश को विधिक्षण के लिए मुख्यालय के वित्त विभाग को भेज दिया गया।

मुख्यालय के वित्त विभाग ने क्रयादेश को बिना विधिक्षा के इस आधार पर वापस कर दिया कि पी.वी.सी. निविदा का अंश नहीं था, अत: क्रयादेश में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। वित्त विभाग ने सलाह दिया कि पी.वी.सी. के बिना क्रयादेश बनाया जाय और तब विधिक्षा के लिए भेजा जाय।

वित्त विभाग के प्रेक्षण से टी.ए.ए. सहमत नहीं हुए और क्रयादेश को पी.वी.सी. खंड के साथ पुन: विधिक्षा के लिए भेजा गया। निविदा का यह मामला भंडार नियंत्रक कार्यालय और वित्त विभाग के बीच लगभग छ: माह तक लंबित रहा।

SIL - 02/2014

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig /System Improvement/50 Dated:- 06.01.2014

Controller of Stores
East Central Railway
Hajipur.

Sub : Provision of Price variation clause (PVC) in stores tenders & issue of purchase order with approval of TAA.

During investigation of a tender case pertaining to procurement of 180 KVA static convertor for Electric Locomotives by stores department, it was noted that no provision of PVC (Price Variation Clause) was made in the tender conditions. The item was to be procured from RDSO approved sources and the firms offered their rates with PVC applicable for electrical machinaries as per IEEMA PVC formula.

In the TCM, TC did not discuss the issue of non-provision of PVC in the tender condition and recommended the offer of a firm with PVC for acceptance. Recommendation of TC was accepted by TAA. Accordingly LOA was issued & PO with PVC was sent to HQ finance for vetting.

HQ finance returned the PO without vetting on the ground that PVC was not a part of the tender condition and therefore the same should not be included in the PO. Finance advised that PO should be prepared without PVC and then be sent for vetting.

TAA did not agree to the observation of finance and the PO with PVC clause was again sent for vetting. The tender case kept on shuttling between COS office & HQ finance for about 06 months.

अंततः फाइल पर इस टिप्पणी के साथ कि टी.ए.ए. ने फोन पर वित्त विभाग के प्रेक्षण के अनुपालन के पश्चात् विधिक्षण हेतु क्रयादेश को भेजने के लिए कहा है, क्रयादेश को बिना पी.वी.सी. के विधिक्षा हेतु भेज दिया गया। वित्त विभाग द्वारा क्रयादेश की विधिक्षा कर दी गई। पी.वी.सी. को वापस लेने के पश्चात इस संबंध में निविदा स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को एक नोट प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा फोन पर दी गई सलाह पर क्रयादेश को वित्त विभाग को विधिक्षा हेतु भेजा गया जिसकी विधिक्षा कर दी गई है एवं क्रयादेश जारी करने से पूर्व अवलोकन कर लें। टी.ए.ए. द्वारा इसका अवलोकन नहीं किया गया और पी.ओ. जारी कर दिया गया।

इस प्रकार एतद् द्वारा सर्व संबंधित कार्मिकों को यह सलाह दी जाए कि यदि पी.वी.सी. का प्रावधान लागू हो तो निविदा की शर्तों में इसे अवश्य शामिल करें। क्रयादेश को वित्त विभाग को विधिक्षा हेतु भेजने से पूर्व और क्रयादेश जारी करने से पूर्व निविदा स्वीकृतिकर्त्ता अधिकारी का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लें।

इस क्रयादेश के तहत आपूर्ति की सूचना भी इस कार्यालय को दी जाए।

(महेश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार
कृते महाप्रबन्धक/सतर्कता

प्रतिलिपिः- विसमुलेधि/पूमरे/हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

RAILWAY SERVICE CONDUCT RULE 1966

18(2) NO RAILWAY SERVANT SHALL ACQUIRE/ DISPOSE OF ANY IMMOVABLE PROPERTY WITHOUT PRIOR KNOWLEDGE OF GOVT EITHER IN HIS OWN NAME OR IN NAME OF ANY FAMILY MEMBER.

(PREVIOUS SANCTION IS REQUIRED IF TRANSACTION IS WITH SOMEONE HAVING OFFICIAL DEALINGS).

Finally with the remarks in the file that TAA has asked over phone to send the PO for vetting after complying finance observation, the PO was sent for vetting without PVC. PO was vetted by finance. A note to this effect was put up to TAA for his perusal that after withdrawing PVC, PO was sent to finance for vetting as per his (TAA's) advice over phone, the PO has been vetted & the same may be seen prior to issue of PO. The same was not seen by TAA & PO was issued.

It is hereby requested to advice concerned officials that provision of PVC, if applicable, should be made in the tender condition. Approval of TAA must be taken prior to preparing the PO with deviation from the earlier approval of TAA and sending to finance for vetting of PO.

The status of supply against the contract may please also be intimated.

(Mahesh Kumar)
Dy Chief Vigilance Officer (S)
For General Manager/Vigilance

Copy to : FA&CAO/E.C. Rly/Hajipur: for information and necessary action please.

RAILWAY SERVICE CONDUCT RULE 1966

18(4) GOVT MAY REQUIRE A RAILWAY SERVANT TO FURNISH A FULL STATEMENT OF SUCH MOVABLE/IMMOVABLE PROPERTY HELD/ ACQUIRED BY HIM OR ON HIS BEHALF OR BY HIS FAMILY MEMBER. IT MAY INCLUDE DETAILS OF MEANS BY WHICH SUCH PROPERTY WAS ACQUIRED.

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. : ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रुवमेंट/50 दि. 10/02/2014

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

विषय : पीआरएस/बुकिंग कार्यालय के कर्मचारियों को जारी आईडी के पासवर्ड की गोपनीयता और सेवानिवृत्त/स्थानांतरित कर्मचारी के आईडी को निष्क्रिय करने के संबंध में।

सोनपुर मंडल के काढ़ागोला रोड स्टेशन के बुकिंग कार्यालय (यूटीएस सह पीआरएस) में निरोधक जाँच में यह पाया गया कि ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारी एक वर्ष पूर्व स्थानांतरित हो चुके किसी अन्य कर्मचारी के पीआरएस आईडी पर कार्य कर रहा है। जाँच में आगे यह पता चला कि उक्त लोकेशन से स्थानांतरित कर दिए गए कर्मचारी का आईडी बंद नहीं किया गया है और कार्यरत कर्मचारी का आईडी इसलिए एक्सपायर/समाप्त हो गया क्योंकि उसे सिस्टम में प्रयोग नहीं किया गया। आजकल सतर्कता जाँच में आईडी के दुरुपयोग के कई मामले पाए गए हैं, जो नियम विरुद्ध है।

मंडलों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश पुन: दिए जाएं और पासवर्ड और आईडी की गोपनीयता सुनिश्चित की जाए।

इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराएँ।

(शिखा श्रीवास्तव)
उप मुसताधि (याता.)
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)
पूमरे/हाजीपुर

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No.ECR/Vig/System Improvement/50 Dated: 10/02/2014

Chief Commercial Manager
East Central Railway,
HAJIPUR.

Sub : Regarding confidentiality of Password for ID issued to staff in PRS/ Booking Office & inactivation of IDs of retired/transferred staff.

During a preventive check in booking office (UTS cum PRS) at Karhagola Road station of SEE Division it was detected that on duty staff was working on the PRS ID of another staff, who had been transferred a year ago. Further it was noticed that ID of staff transferred from the location is not closed and the working staff ID had expired due to not being used in the system. Several such cases of misuse of ID have been found during checks in recent times which are highly irregular.

Necessary instructions in this regard may be re-iterated and added to ensure confidentiality of ID & password to the Divisions and compliance ensured.

This office may please be appraised regarding the action taken.

(Shikha Srivastava)
Dy.CVO (T)
For G.M (Vigilance)
ECR/Hajipur

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. : ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रुवमेंट/50 दि. 25/02/2014

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

विषय : केपीजीएम माल शेड में आम नीलामी।
संदर्भ : संलग्न मंरेप्र/सोनपुर का पत्र सं. सी/456/1/06/08/10, दि. 05/12/13.

ऐसा पाया गया कि सोनपुर मंडल में सीमेंट से भरा 04 वैगनों की नीलामी करीब एक वर्ष बीत जाने के बाद की गई जिसमें वर्षा ऋतु की अवधि भी शामिल थी, जबकि समय गुजरने के साथ सीमेंट की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर कमी आती है। अत: सभी नियमों का पालन करते हुए खासकर मानसून के पूर्व त्वरितता के साथ किए जाने की आवश्यकता है ताकि बेहतर मूल्य मिल सके।

दूसरा, यह कि नीलामी की सूचना वेबसाइट पर डालने का प्रावधान किया जाना चाहिए। अखबार में एक छोटी सूचना प्रकाशित की जानी चाहिए जिससे लेवरेजिंग टेक्नॉलोजी के माधयम से विज्ञापन लागत में कमी आएगी। निविदा निष्पादन में सभी विभागों द्वारा इसका अनुपालन किया जाता है।

आपसे आग्रह है कि इस संबंध में सभी मंडलों को आवश्यक निर्देश जारी कर इस कार्यालय को सूचित करें ।

(जे. के. वर्मा)
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
पूमरे/हाजीपुर

प्रतिलिपि- मंडल रेल प्रबंधक/सोनपुर : सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No.ECR/Vig/System Improvement/50 Dated: 25.02.2014

Chief Commercial Manager
East Central Railway,
HAJIPUR.

Sub : Public Auction at KPGM Goods Shed.
Ref : DRM/SEE enclosed letter no. C/456/1/06/08/10, Dated 05/12.13.

It has been observed that auction of Cement contained in 04 Wagons has been done by the Division after lapse of almost one year which also included rainy season. Since Cement quality progressively deteriorates with passage of time, auction needs to be expedited preferably before monsoon while observing necessary formalities with a view to fetch better rates.

Secondly, provision of putting auction notice on website may be explored. A small notice in newspaper may be published, which may further economize the cost of advertisement by leveraging technology. This practice is followed by all departments dealing with tenders.

It is requested that suitable instructions in the matter may be given to the divisions and this office informed.

(J.K.Verma)
Sr. Deputy General Manager
East Central Railway/HJP

Copy to : Divisional Railway Manager/SEE for information & N/A in the matter.

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
हाजीपुर

सं. : ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रुवमेंट/50 दि. 04/03/2014

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
पूर्व मधय रेल, हाजीपुर

विषय : स्टेशनों के लिए सफाई की संविदा का निविदा/संविदा प्रबंधन।

सतर्कता विभाग द्वारा दिनांक 12/12/2013 को बाढ़ स्टेशन पर निरोधक जाँच के दौरान संविदा प्रबंधन में निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गईं :-

(क) सतर्कता जाँच वाले दिन सिर्फ एक सफाईवाला वर्दी में पाया गया। 2 घंटे बाद बिना वर्दी के दो और सफाईवाला उपस्थित हुए। रेलवे द्वारा की गई कार्य विश्लेषण के अनुसार निविदा में प्रतिदिन औसतन 24 सफाईवाला की आवश्यकता बताई गई है।

(ख) शिफ्ट के सहायक स्टेशन मास्टर और ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित झाड़ू-पोछा/सफाई/धुलाई के अनुसूची के मदों के अनुसार रिकॉर्ड शिफ्ट के अनुसार अनुरक्षित नहीं किया गया था। संविदा दो शिफ्ट में सफाई के लिए अनुबंधित था। स्टेशन प्रबंधक माह के अंत में कार्य के मदों के कॉलम में सिर्फ टिक (✓) करके निष्पादन रपट बनाते है जिसके आधार पर ठेकेदार को भुगतान रिलीज की जाती है।

(ग) संविदा कार्य के लिए जिम्मेदार किसी पर्यवेक्षक या अधिकारी द्वारा कोई परीक्षण जाँच नहीं किया गया। बिल पास करते समय लेखा कर्मचारी द्वारा भी इसकी जाँच नहीं की जाती है।

(घ) जाँच की तिथि को निविदा अनुसूची में निर्धारित 23 उपभोज्य वस्तुओं में से सिर्फ 8 मद ही पाए गए। संविदा करार में निर्धारित उपभोज्य वस्तुओं के प्राप्त करने और जारी करने के संबंध में कोई रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं किया गया था। ठेकेदार को किए गए भुगतान में उपभोज्य वस्तुओं की कमी के लिए किसी प्रकार की वसूली के लिए टिप्पणी नहीं की गई थी।

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig./System Improvement/50 March 4, 2014.

Chief Commercial Manager,
East Central Railway,
Hajipur.

Sub : Tender/Contract management of cleaning contract for Stations.

During a preventive check by vigilance on 12.12.2013 at Barh station, following irregularities in contract management were observed:

(a) On the day of vigilance check, only one safaiwala in uniform was found. Later on 2 more safaiwalas without uniform were presented after almost 2 hrs. Job analysis done by railway for calling tender considered requirement of average 24 safaiwalas per day.

(b) Shift wise record of various items of sweeping/cleaning/washing for the items of schedule, duly signed by shift ASM and contractor's representative, were not maintained. Contract stipulated for cleaning in two shifts. Station Manager has simply prepared the performance report ticking all the columns for various items of works at the end of the month based on which payments have been released to the contractor.

(c) No test check either by supervisor or officer as stipulated for the works contracts has been carried out. This aspect has also not been checked by Accounts officials while passing the bill.

(d) Only 8 items of consumables out of 23 stipulated in the tender schedule were found on the date of check. No record of receipt and issue of consumables as stipulated in the contract agreement has been maintained. Further, no recovery for shortage of consumables has been noted in the payments made to the contractor.

निविदा दस्तावेज की जाँच से पता चलता है कि संविदा सफाई कार्य में पुनरावलोकन की आवश्यकता है ताकि सफाई की आवश्यकता को देखते हुए इसके लागत में कमी लायी जा सके। इसके कुछ बिंदु निम्नप्रकार है :-

(क) कार्य के क्षेत्र में पूरे प्लेटफॉर्म क्षेत्र को धुलाई के लिए शामिल किया हुआ है। टाइल्स/कोटा स्टोन लगा हुआ और अन्य सर्फेस एरिया ही इसके के लिए उपयुक्त है।

(ख) जाले की सफाई सप्ताह में दो दिन उपलब्ध कराई गई है।

(ग) रिटायरिंग रूम की सफाई प्रतिदिन 4 बार उपलब्ध कराई गई है।

(घ) कार्यालयों की सफाई दिन में दो बार उपलब्ध कराई गई है।

(ङ) वर्दी मामले को अलग से ध्यान दिया जा सकता है।

(च) पाइन ऑयल, यूराडोन, मॉर्टिन, रैट किलर आदि उपभोज्य वस्तुओं की सूची का पुनरावलोकन की जाए।

(छ) कॉलोनी की सफाई मद में सिर्फ एरिया दर्शाया हुआ है। इसमें क्या सिर्फ सड़क या कॉलोनी का अन्य खुला क्षेत्र शामिल है। कार्यनिष्पादन में कार्य को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे उचित रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

आपसे आग्रह है कि उपरोक्त मुद्दों पर आप अपनी तरफ से जाँच लें और मंडलों को आवश्यक निर्देश जारी करें। मंडलों पर विभिन्न प्रकार के स्टेशनों में एकरूपता लाने के लिए कार्य क्षेत्र और निविदा की अनुसूची को मानकीकृत करें। सफाई की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य की प्रकृति के अनुरूप उच्चाधिकारियों द्वारा वास्तविक समय पर कार्य की देख-भाल की जानी चाहिए।

मंडलों को जारी निर्देश के संबंध में इस कार्यालय को भी सूचित करें।

(जे. के. वर्मा)
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

Examination of tender document reveals that scope of work of cleaning contracts needs review to keep the bare requirement of cleaning to economise the cost. Some of these items are listed below:

(a) Washing of full platform area has been kept in the scope of work. Cleaning & washing of tiled/kota stone area and only cleaning of other surface areas may suffice.

(b) Cob web cleaning has been provided twice a week.

(c) Cleaning of retiring rooms has been provided 4 times a day.

(d) Cleaning of offices twice daily has been provided.

(e) Keeping separate item for uniform may be looked into.

(f) List of consumables which includes pine oil, nuvan, furadon, mortein rat killer etc. may be reviewed.

(g) Cleaning item for colony only mention about area. Whether this includes only roads or other open area of the colony also needs to be mentioned for proper understanding of the work at the execution level.

It is requested that above issues may please be examined at your end and suitable instructions issued to the Divisions. Standarisation of tender schedule and scope of work for different type of stations may be thought of for their uniformity across Divisions. Considering the nature of work, real time monitoring and frequent checking at higher levels is also required to be considered to improve quality of cleaning.

Instructions issued to the Division in this regard may please be advised to this office.

(J.K.Verma)
Sr. Deputy General Manager

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 07.03.14

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
पूमरे/हाजीपुर।

विषय : यूटीएस/पीआरएस के लिए पुराने व उपयोग में नहीं लाए जानेवाले आईटी उपस्करों के लिए लेजर के अनुरक्षण के संबंध में।

यूटीएस/पीआरएस के लिए पुराने व उपयोग में नहीं लाए जानेवाले आईटी उपस्करों के निपटान से संबंधित मामले की जाँच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित स्टेशन इकाई मशीनों की संख्या दर्शाते हुए इन उपस्करों की पंजिका अनुरक्षित नहीं कर रहा है। इन उपस्करों को निपटान के लिए मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक/धनबाद को भेजा गया परंतु उन्होंने भी इन सामग्रियों के लिए कोई लेजर अनुरक्षित नहीं किया।

वाणिज्य विभाग के परिपत्रित परिपत्र सं. ईसीआर/सीआरएम/पीआरएस एवं यूटीएस/जेपीओ-कन्डम/001/09 दिनांक 04.03.10 के अनुसार यूटीएस/पीआरएस के कम्प्यूटर से जुड़ी सामग्रियों के निपटान की प्रक्रिया के प्रावधानों के तहत् स्टेशन इकाई हजारीबाग ने कुछ पुराने व प्रयोग में नहीं आनेवाले उपस्करों को मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक धनबाद को निपटान के लिए भेजा। मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक/धनबाद ने इनके निपटान के लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की बल्कि इन्होंने आज की तिथि तक इस प्रकार के किसी उपस्कर के निपटान के लिए कोई प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की है।

उपरोक्त प्रक्रिया आदेश के अनुसार पुराने व उपयोग में नहीं आनेवाले उपस्करों का दर मुख्य वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय द्वारा मंडलों को उपलब्ध कराया जाना है, किन्तु अभी तक मुख्य वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय ने भी ऐसा कोई दर परिपत्रित नहीं किया गया है।

स्टेशन इकाई के साथ-साथ मंडलों द्वारा पीआरएस/यूटीएस के लिए पुराने/प्रयोग में नहीं लाए जानेवाले आईटी उपस्करों के लिए लेजर का अनुरक्षण नहीं किये जाने से इन उपस्करों और इनके पुर्जों के गलत प्रयोग की संभावना

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig /System Improvement/50 Dated:- 07.03.2014

CCM
East Central Railway
Hajipur.

Sub : **Maintenance of ledger for old unserviceable IT equipment for UTS/PRS.**

During investigation of a case pertaining to disposal of old/unserviceable IT equipments for UTS/PRS, it was noted that the station unit did not maintain ledger for these equipments duly indicating the respective machine numbers. These equipments were sent to CBS/DHN for disposal but CBS/DHN also did not maintain any ledger for these stores.

As per the provision of procedure order for disposal of UTS/PRS peripherals of commercial department circulated vide no. ECR/CRM/PRS & UTS/JPO- Condemn/001/09 dated 04.03.10, the station unit HZD sent some old/unserviceable equipments to the divisional office CBS/DHN for disposal. CBS/DHN did not process for their disposal. Rather till date, he has not disposed any such equipment.

As contained in the above mentioned procedure order, rates of old/unserviceable equipments will be provided by CCM office to division but till date CCM office has also not circulated any rate for these items to divisions.

Non-maintenance of ledger for old/unserviceable IT equipments for PRS/UTS by station units as well as by divisions, leaves room for misappropriation of these equipments and their

बनी रहती है। अत: सर्वसंबंधित को सलाह दी जाए कि इन मदों के लिए मशीन द्वारा चिन्हित पेज संख्या वाली पंजिका का अनुरक्षण करें।

पुराने व प्रयोग में नहीं आनेवाले उपस्करों का दर उपलब्ध कराया जाए और संबंधित कर्मियों को इन उपस्करों के निपटान के लिए त्वरित कारवाई करने के निर्देश दिए जाएँ।

इन पुराने व प्रयोग में नहीं आनेवाले उपस्करों का स्टॉक सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है। वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के साथ परामर्श कर इनका स्टॉक सत्यापन भी कराया जाना चाहिए।

(महेश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

प्रतिलिपि :- वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/हाजीपुर को सूचनार्थ एवं स्टेशन इकाई के साथ-साथ मंडल में पुराने व प्रयोग में नहीं आनेवाले यूटीएस/पीआरएस उपस्करों के स्टॉक सत्यापन करने हेतु सर्व संबंधितों को सलाज देने हेतु।

THE FOUNDATION STONES FOR

A BALANCED SUCCESS ARE

HONESTY, CHARACTER,

INTEGRITY, FAITH,

LOVE AND LOYALTY.

-ZIG ZIGLAR

spares. All concerned may, therefore, be advised to maintain record of these items in machine sl. numbered register.

Rates for old/unserviceable equipments may be arranged and concerned officials may be advised for immediate disposal of these equipments.

Stock verification of these old/unserviceable equipments is also not being done. The same may be arranged in consultation with FA&CAO.

(Mahesh Kumar)
DY. Chief Vigilance Officer(S)
For GM/Vigilance

Copy to : FA&CAO/ECR: for information & advising concerned officials to arrange for stock verification of old/ unserviceable UTS/PRS equipments at stations as well as at divisions.

STANDING ALONE

DOESN'T MEAN

I AM ALONE.

IT MEANS I'M STRONG ENOUGH

TO HANDLE THINGS

ALL BY MYSELF.

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 11.03.14

भंडार नियंत्रक
पूमरे/हाजीपुर।

विषय : संयुक्त निरीक्षण के आह्वान के पश्चात भी सामग्री का निर्गमण किया जाना।

सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में भंडार डिपो/गढ़हरा में एक सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि 16 x 50 एमएम आकार के हेक्सागोनल हेड वोल्ट और नट के अनुपयुक्त होने से संबंधित शिकायत वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर/सोनपुर की ओर से डिपो को प्राप्त हुई थी। उक्त मद की आपूर्ति राइट्स/कोलकाता द्वारा पूर्व निरीक्षण किए जाने पर भंडार नियंत्रक/पूमरे के क्रयादेश के आधार पर की गई थी।

वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर/सोनपुर से शिकायत प्राप्त होने पर एक संयुक्त जाँच बुलाई गई। जाँच बुलाई जाने के बाद भी संबंधित डिपो के द्वारा सामग्री को वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर/सोनपुर के अधीन उसी परेषिती को निर्गमण किया जाता रहा। फिर संयुक्त जाँच हुई किन्तु तब तक आपूर्ति की गई सामग्री का 50 प्रतिशत निर्गमण किया जा चुका था। संयुक्त जाँच में यह बात कही गई कि चूँकि 50 प्रतिशत सामग्री का प्रयोग हो चुका है, अतः सामग्री को स्वीकार कर लिया जाए।

सामग्री के संबंध में शिकायत करने और संयुक्त जाँच बुला लिए जाने के बावजूद उसी परेषिती को सामग्री निर्गम किये जाते रहने की प्रथा अनुचित है। एक बार संयुक्त जाँच का आह्वान हो जाने के बाद सामग्री के निर्गमण को रोक दिया जाना चाहिए ताकि संयुक्त जाँच के दौरान सामग्री के निर्गमन को सामग्री की स्वीकार्यता का आधार न बनाया जाए। साथ ही इन घटिया/निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग वैगन/कोच में करने के कारण चलती गाड़ियों की सुरक्षा से समझौता करना होगा।

सभी डिपो अधिकारियों को उचित निर्देश दिए जाएँ।

(महेश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

प्रतिलिपि : मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/पूमरे/हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig /System Improvement/50 Dated:- 11.03.2014

Controller of Stores
East Central Railway
Hajipur.

Sub : Issue of material after calling for Joint Inspection.

During a vigilance check at Stores Depot GHZ on the aspect of checking of quality of material, it was noted that a complaint for non-suitability of item Hexagonal Head Bolts & Nuts of size 16x50mm was received by the depot from Sr. DME/SEE for the item. The item was supplied at the depot against P.O. of COS/ECR duly pre-inspected by RITES/Kolkata.

On receipt of complaint from Sr. DME/SEE, a joint inspection was called for. Even after calling for JI, the depot continued to issue material to the same consignee under Sr DME/SEE. By the time, the joint inspection was held, about 50% of the material supplied by firm was issued. During joint inspection, it was mentioned that as more than 50% of the material supplied was consumed, the material is accepted.

The practice of issuing material to the same consignee, from whom complaint for material has been received, even after calling for joint inspection, is not correct. Once JI with inspecting agency has been called for, issue of material should be stopped so that during JI the aspect of regular consumption of material is not made the basis of acceptance of material. Further use of sub standard/ inferior quality material may also compromise safety of running train if the same is used in wagons/coaches.

All depot officers may be advised suitably.

(Mahesh Kumar)
DY. Chief Vigilance Officer(S)
For GM/Vigilance

Copy to : CME/E.C. Rly/Hajipur: for information and necessary action please.

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. इसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक: 25.03.2014

मुयाइं
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय : निपटान के पूर्व पावर केबल के इंसुलेशन का जलाया जाना।

एक सतर्कता केस की जाँच के दौरान यह देखा गया कि लोकोमोटिव सं. 17284 WDM2 तथा 17277WDM2 से निकाले गए पॉवर केबल (कॉपर) के तापावरोधन को वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/डीजल/पतरातू द्वारा जलाने के पश्चात् कॉपर वायर को निपटान के लिए समस्तीपुर डिपो भेजा गया। वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/डीजल/पतरातू ने बताया कि इंसुलेशन के साथ केवल को समस्तीपुर डिपो द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। इस संबंध में यह प्रकाश में आया कि अन्य डीजल शेड भी इसी प्रक्रिया का पालन करते हैं, अर्थात केबुल को समस्तीपुर डिपो भेजने के पूर्व उसके तापावरोधन को जलाते हैं।

यह प्रथा ठीक नहीं है। पावर केबल साइज (250 वर्ग एमएम एवं 300 वर्ग एमएम) का तापावरोधन (इंसुलेशन) जलाया जाना जटिल व खतरनाक है और इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनायी जानी चाहिए। इंसुलेशन सहित स्क्रैप कॉपर केबल एवं स्क्रैप कॉपर वायर दोनों का पीएल सं. समस्तीपुर डिपो में उपलब्ध है।

अत: सभी शेड को यह निर्देश दिए जाएं कि केबल को समस्तीपुर डिपो भेजने के पूर्व कॉपर/अल्युमिनीयम एवं इंसुलेशन की मात्रा का प्रतिशत स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। अलग-अलग साइज के केबल को भी आपस में नहीं मिलाया जाए।

(महेश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी(भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

प्रतिलिपि : भंडार नियंत्रक, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर- कृपया तद्नुसार डिपो को निर्देश दें।

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig /System Improvement/50 Dated:- 25.03.2014

CME
East Central Railway
Hajipur.

Sub:- Burning the insulation of power cables prior to disposal.

During investigation of a vigilance case, it was noted that Power cable (Cu) removed from the locomotive nos. 17284WDM2 & 17277 WDM2 was burnt by SSE/Diesel/PTRU and then Cu wire was sent to SPJ depot for disposal. SSE/Diesel/PTRU told that cables with insulation are not accepted by SPJ depot. However, no written refusal by SPJ depot could be produced by SSE/Diesel/PTRU in this regard. It was also gathered that other diesel sheds also follow the same practice i.e. burn the insulation of cables prior to sending to SPJ depot.

This is not a correct practice. Burning of insulation of power cables (size 250sq mm & 300sq mm) is cumbersome as well as hazardous and should not be resorted to. PL Nos. for scrap Cu wire and scrap Cu cable with insulation are available at SPJ depot.

Sheds, therefore, may be instructed to send cables with insulation to SPJ depot clearly indicating the % of Cu/Al and insulation. Cables of different sizes should also not be mixed.

(Mahesh Kumar)
DY. Chief Vigilance Officer(S)
For GM/Vigilance

Copy to : COS/ECR/HJP: May kindly advice the stores depots accordingly.

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. इसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांकः 15.04.2014

प्रमुख मुख्य इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय : फील्ड इकाई से कार्य की मात्रा सत्यापित किए बगैर स्वीकृत कार्य के विरुद्ध निविदा बुलाया जाना।

एक शिकायत जाँच के दौरान यह पाया गया कि सीटीआर(एस) कार्य को बिना फील्ड इकाई से कार्य की मात्रा का विवरण प्राप्त किये मंडल स्तर से ही पीडब्ल्यूपी में शामिल कर दिया गया। इस मामले में बाद में पता चला कि पीडब्ल्यूपी में शामिल प्रस्ताव के पूर्व ही कार्य के अधिकांश भाग को विभिन्न संविदा के माध्यम से पूरा किया जा चुका था। आगे यह भी पता चला कि कार्य का विस्तृत विवरण बनाते समय और निविदा बुलाते समय निष्पादित किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र का सत्यापन कार्य स्थल से नहीं किया गया।

आग्रह है कि इस संबंध में प्रत्येक स्तर पर फील्ड इकाई से पूर्ण विवरण प्राप्त करने हेतु सिस्टम इम्प्रूवमेंट पत्र जारी करें जैसे- निविदा बुलाते समय और विस्तृत आकलन तथा पीडब्लयूपी प्रस्ताव तैयार करते समय खासकर ट्रैक नवीनीकरण कार्य के मामले में क्योंकि संरक्षा के ख्याल से इस अंतरिम अवधि में इन कार्यों के निष्पादन की हमेशा संभावना रहेगी।

इस संबंध में सिस्टम इम्प्रूवमेंट पत्र जारी कर इस कार्यालय को भी सूचित करें।

(जे.के. वर्मा)
वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated: 15.04.2014

Principal Chief Engineer,
East Central Railway,
Hajipur.

Sub : Calling of tender against sanctioned work without verifying the quantities of work from field units.

During investigation of a complaint, it has been observed that a proposal of CTR(S) works for inclusion in PWP was initiated at divisional level without getting details of quantum of work from field units. In the instant case, major portion of work had already been executed through various contracts much before the work was proposed for inclusion in PWP. Further, it was also observed that at the stage of preparation of detailed estimate and calling of tender, the scope of work proposed to be executed was also not got verified from the site.

It is requested that, a system improvement letter may be issued for obtaining details from field units at every stage i.e. at the time of preparation of PWP proposal & detailed estimate and calling of tender specially in case of track renewals works, as there is every possibility of execution of these works in the intervening period on safety consideration.

A copy of system improvement letter may be sent to this office for information.

(J.K.Verma)
Sr. Deputy General Manager

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज./सिस्टम इम्प्रूवमेंट पत्र/50 दि. 25. 04.2014

विसमुलेधि
पूमरे/हाजीपुर

विषयः- एन ई एफ टी आदान-प्रदान की विफलता के कारण भुगतान में देरी से बचना

समस्तीपुर मंडल के एक ग्रुप सी कर्मचारी के वेतन भुगतान में देरी एवं बार-बार वेतन के भुगतान नहीं होने से संबंधित शिकायत की जाँच की गई। जाँच में यह पता चला कि 2-5 माह की देरी के बाद कर्मचारी के बैंक खाते में वेतन जमा किया गया था। भुगतान की प्रक्रिया एन ई एफ टी के माध्यम से संचालित की गई थी। शिकायतकर्त्ता कर्मचारी के अलावा सभी कर्मचारियों का वेतन समय पर जमा हो गया था, किन्तु शिकायतकर्त्ता कर्मचारी के बैंक खाते से संबंधित लेन-देन की विफलता के कारण उसके खाते में पैसा जमा नहीं हो पाया। जो राशि जमा नहीं हुई वह बैंक के पास 5 माह तक रह गया और रेलवे को इसकी जानकारी तब हुई जब संबंधित कर्मचारी से इस संबंध में शिकायत मिली। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें एक रेलवे कर्मचारी को परेशानी हुई और साथ ही रेलवे की राशि बैंक के पास जमा भी रह गई। इस प्रकार एन. ई.एफ.टी के माध्यम से होने वाले भुगतान में विफलता के एकल मामलों को जल्द से जल्द पता लगाये जाने की आवश्यकता है ताकि वेतन भुगतान में देरी की शिकायत से बचा जा सके।

ऐसा देखा गया है कि एन ई एफ टी के अंतर्गत किये गए ट्रांजैक्शन में जिस राशि का भुगतान नहीं हो पाता है, उसकी सूचना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मापदंड के अंतर्गत तय समय-सीमा के भीतर बैंकों द्वारा रेलवे को नहीं दी जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मापदंड यह स्पष्ट करते हैं कि यदि बैच का कोई भी भुगतान संबंधित खाते में किसी कारणवश जमा नहीं किया जा सका हो तो इस राशि को दो घंटे के भीतर गंतव्य बैंक द्वारा भेजने वाली शाखा को वापस कर दिया जायेगा। वापस की गई राशि प्राप्त हो जाने पर मूल बैंक इस राशि को मूल उपभोक्ता (रेलवे) के खाते में वापस कर देगा।

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig./System improvement/50 Dated 25-04-2014

FA&CAO,
ECR/Hajipur

Sub : Avoiding delay in payments due to failure of NEFT transactions

A complaint related to repeated non payment and exceptional delay in salary payment to a Gr C staff of SPJ division was investigated. It came to notice that salary was credited into employee's bank account after delay of 2-5 months. The payment was processed through NEFT. Salary of all other employees except the complainant was credited in time but transaction w.r.t. the complainant employee's account failed and his account was not credited. The amount which was not credited remained with Banks for upto 05 months and Railway became aware of this only after receipt of complaint from the employee concerned. This is an undesirable situation wherein apart from hardship to Railway employee, Railway's revenue too was blocked with Bank. Thus, there is a need for early detection of individual cases of failed transactions under NEFT mode of payment so as to avoid complaints of delay in receiving payments.

It has been observed that presently Banks are not informing Railway within the time specified under RBI norms about uncredited transactions under NEFT. RBI norms specify that if it is not possible to afford credit to the account of the beneficiary for whatever reason, destination banks are required to return the transaction (to the originating branch) within two hours of completion of the batch in which the transaction was processed. On receiving such a returned transaction, the originating bank has to credit the amount back to account of the originating customer (Railway). RBI norms were not followed by the Bank and it also came to notice that in the concerned

बैंक द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मापदंडों का पालन नहीं किया गया। यह भी जानकारी में आया कि संबंधित मंडल के पास एन ई एफ टी के तहत विफल ट्रांजैक्शन की जानकारी के लिए कोई प्रणाली भी नहीं है। मंडल के पास यह सुनिश्चित करने के लिए भी कोई तंत्र नहीं है कि जिन पार्टियों को भुगतान किया जाना था, उन सभी पार्टियों को वास्तव में एन.ई.एफ.टी के माध्यम से समय पर भुगतान प्राप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में एक बड़ी ही विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें कि रेलवे के खाते से राशि तो निकल जाती है लेकिन भुगतान की वास्तविक देयता महीनों तक लंबित रह जाती है।

इस संबंध में ई-भुगतान योजना से संबंधित रेलवे बोर्ड का दिशा-निर्देश यथा आर बी ए 51/2005 और आर टी जी एस/एन ई एफ टी के लागू करने से संबंधित दिशा-निर्देश यथा आर बी ए 12/2010 को देखा जा सकता है। ईसीएस से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-आर बी ए 51/2005 में उपलब्ध है। आर बी ए 51/2005 के अनुच्छेद VI के अनुसार प्रायोजक बैंक द्वारा जमा नहीं हो पाये मदों के संबंध में एक रपट प्रेषित किया जाना है। जमा नहीं हो पाये मदों की राशि को रेलवे को वापस कर दिया जाना चाहिए जो कि चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से पुनः भुगतान की व्यवस्था करेगा। आर बी ए 51/2005 के अनुच्छेद 3 के अनुसार इस योजना के क्रियान्वयन में शामिल तौर-तरीकों को स्थानीय तौर पर प्राधिकृत बैंक के साथ सलाह-मशविरा करके अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त के आलोक में यह सलाह दी जाती है कि एन.ई.एफ.टी के तहत होने वाले ट्रांजैक्शन में विफलता के एकल मामलों का अविलंब पता लगाने के लिए संबंधित बैंक के साथ विचार विमर्श कर एक समुचित रिपोर्टिंग प्रणाली को तैयार किया जाना चाहिए ताकि इस संबंध में होनेवाली शिकायतों से बचा जा सके और बैंकों के पास रेलवे की राशि महीनों तक लंबित न रह सके। आप अपने अधीन के सभी लेखागत इकाइयों को इस संबंध में आवश्यक दिशा/निर्देश जारी करने की व्यवस्था करें।

इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाए।

संलग्न/यथोक्त

(जे. के. वर्मा)
व.उ.म.प्र

division there was no system in place regarding reporting of failed transactions under NEFT. Division also had no mechanism to ensure that all the parties to whom payment was to be made had actually received payments through NEFT in time. This leads to a very peculiar situation where Railway's account is debited but actual payment liability remains undischarged for months.

In this regard, instructions issued by Railway Board related to e-payment scheme i..e RBA 51/2005 and instructions related to implementation of RTGS/NEFT i.e. RBA 12/2010 were looked into. Detailed instructions w.r.t. ECS are available in RBA 51/2005. Para vi of RBA 51/2005 mentions that sponsor bank has to submit reports on un-credited items. The amount of un-credited item has to be paid back to railways which will arrange payment through cheque/ draft. Para 3 of RBA 51/2005 also advises that modalities involved for implementation of scheme may be finalised locally in consultation with authorized banks.

In view of the above, it is advised that a suitable reporting arrangement be worked out with the banks to facilitate immediate detection of individual cases of failed transactions under NEFT as per RBI norms so as to avoid complaints and also to prevent blockage of Railway revenue with the banks for months. Necessary guideline/instruction on the above may please also be issued to all accounting units under your control.

Action taken may please be intimated to this office.

DA: As above

(J.K. Verma)
SDGM

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. इसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 03.07.2014

प्रमुख मुख्य इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर

विषयः- प्लेटफार्म के मुंडेर पर चेक्ड्र टाइल्स लगाया जाना।

एक स्टेशन पर निवारक जाँच में यह पाया गया कि प्लेटफार्म के मुंडेर पर 2.71 मीटर चौड़ा चेक्ड्र टाइल्स लगा दिया गया है। सतर्कता जाँच में यह पाया गया कि अलग-अलग चौड़ाई के चेक्ड्र टाइल्स उपयोग में लाए गए हैं।

अतः आग्रह है कि सभी मंडलों में एकरूपता के मद्देनजर निर्धारित चौड़ाई के चेक्ड्र टाइल्स प्लेटफार्म के मुंडेर पर लगाए जाये।

(जे.के. वर्मा)
वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक

LIFE IS LIKE RIDING A BICYCLE.

TO KEEP YOUR BALANCE, YOU MUST

KEEP MOVING.

ALBERT EINSTEIN

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated:- 03.07.2014

Principal Chief Engineer,
East Central Railway,
Hajipur

Sub:- Execution of chequered tiles over the platform coping.

In course of a preventive check conducted at one of the station, it was found that chequered tiles have been fixed on the platform coping in a width of 2.71m. Use of chequered tiles in varying width has been found during vigilance check.

It is requested that standard width for provision of chequered tiles over the platform coping may be specified for uniform adoption by all Divisions.

(J.K.Verma)
Sr Deputy General Manager

"IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE

UNTILL ITS DONE"

NELSON MANDELA

✶

"TAKE RISKS IN YOUR LIFE"

IF YOU WIN, YOU CAN LEAD!

IF YOU LOOSE, YOU CAN GUIDE!

SWAMI VIVEKANANDA...

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 07.07.2014

मुख्य यॉंत्रिक इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर

विषयः- ओ.बी.एच.एस. ठेके के निष्पादन के संबंध में फीडबैक।

पूर्व मध्य रेल के विभिन्न प्राइमरी ट्रेनों में ओ.बी.एच.एस. नामित ट्रेन में अनुरक्षित साफ-सफाई के पहलू पर सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि साफ-सफाई की गुणवत्ता, संविदा करार के अनुरूप नहीं है और इसका निष्पादन भी संतोषजनक नहीं है। विभिन्न ट्रेनों में की गई जाँच से यह स्पष्ट है कि संविदा करार की तुलना में कम व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जा रहा है। यह भी देखा गया कि सफाई के लिये उपयोग में लाए जाने वाले रसायनों की गुणवत्ता करार के अनुरूप नहीं थी तथा सफाई के उपकरण भी कम मात्रा में थे या बिल्कुल ही नहीं थे। यात्रियों द्वारा भरे जानेवाले अपेक्षित फीडबैक फार्मों का परीक्षण करने पर यह देखा गया कि फीडबैक फार्मों से ओ.बी.एच.एस. सेवाओं के निष्पादन की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि यात्रियों द्वारा फार्म अनौपचारिक ढंग से भरे जा रहे हैं और वे इस बात से संभवतः अनभिज्ञ हैं कि ठेकेदार को भुगतान उनके फीडबैक के आधार पर किया जा रहा है।

यात्रियों में जागरूकता लाने के लिए रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या 2006/एम (सी)/165/09 दिनांक 01.10.2007 के 'अन्य नियम एवं शर्तों के अधीन पैरा 24 के द्वारा सूचित किया है कि इस योजना के तहत प्रत्येक कोच के दरवाजों पर उपयुक्त स्थान पर एक स्टीकर लगाए जाए।' यही दिशा-निर्देश पूर्व मध्य रेलवे के सभी निविदा दस्तावेजों में अंतर्विष्ट है। जबकि, सतर्कता जाँच में यह भी देखा गया कि ओ.बी.एच.एस. योजना के तहत ठेकेदार द्वारा कोचों में विनिर्दिष्ट स्टीकर नहीं लगाए गए हैं। ठेकेदार द्वारा इस पहलू पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए और रेलवे एक्जीक्यूटिव द्वारा इस पर सम्यक रूप से निगरानी रखी जानी चाहिए।

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/VIG/System Improvement/50 July 07, 2014

Chief Mechanical Engineer
East Central Railway,
Hajipur.

Sub:- Feedback of execution of OBHS contracts.

During vigilance checks in different primary trains of ECR on the aspect of cleanliness maintained in the OBHS nominated train, it was observed that the quality of cleanliness is generally not being maintained as per contract agreement and execution is not satisfactory. This is evident from the different checks in various trains as each time either less manpower or less material along with poor/non-specified quality of consumables and non-use of specified cleaning material / tools has been found in comparison to contract agreement. On going through the feedback forms supposed to be filled by passengers, it is observed that these feedbacks are not giving the true picture of the performance of the OBHS services. It appears that the passengers are filling the forms in casual manner and are probably unaware of the fact that the payment to the contractor is being made only on the basis of their feedback.

To create awareness among passengers, Railway Board has advised vide letter No.2006/M(C)/165/9 dated 01.10.2007 in para 24 under 'Other Terms and Conditions' that "A sticker shall be pasted at suitable locations at the doorways of each coach under the scheme". The same guideline is included in all the tender documents over ECR. However, in the vigilance checks it was also observed that the specified sticker has not been provided by contractor in the coaches under OBHS scheme. This aspect must be followed by contractors and properly monitored by the Railway executives.

अतः, यात्रियों के फीडबैक को और सार्थक बनाने के लिए स्टीकरों, फीडबैक फॉर्मों में उचित संशोधन किया जाए ताकि इसमें ट्रेन में ओ.बी.एच. एस. सेवाएं उपलब्ध कराने वाले फर्म के नाम के साथ इस पहलू को विशेष रूप से उजागर किया जाए कि यात्रियों का फीडबैक ही संबंधित फर्म के भुगतान का आधार है ताकि यात्री इस तथ्य से अवगत होकर तद्नुसार फीडबैक दें।

अतएव, निवेदन है कि स्टीकर और फीडबैक फार्म में उचित संशोधन के पश्चात सर्व संबंधित को इसका कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश जारी किया जाए। साथ ही, यह भी निर्देश हो कि स्टीकर और फीडबैक फार्म को स्पष्ट कलेवर में एक ऐसी जगह प्रदर्शित किया जाए जहां अधिकतम संख्या में यात्री इसका लाभ उठा सकें। कृपया उक्त निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचनार्थ भेजी जाए।

(एस.पी.एस. यादव)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/विद्युत
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर

"WHAT COMES EASY WONT LAST LONG, AND WHAT LASTS LONG WONT COME EASY."

✶

IF YOU ARE NOT WILLING TO LEARN,
NO ONE CAN HELP YOU;
IF YOU ARE DETERMINED TO LEARN,
NO ONE CAN STOP YOU.

Further, in order to make the feedback of passengers more fruitful, it is advised to make suitable modifications in stickers and feedback form in a way that it contains Name of the firm providing OBHS services in the train with highlighting the aspect that passenger's feedback is the only basis of payment to the concerned firm. So that travelling passengers will be aware of this fact and will give the feedback accordingly.

Therefore, it is requested that after suitable modification in the sticker and feedback form, an instruction may be issued to all concerned for strict compliance with a direction that the modification on stickers and feedback form should be displayed in the bold text and at a location so that maximum no. of passengers can go through it. A copy of instruction may be sent to this office for information.

(S P S Yadav)
Dy.Chief Vigilance Officer/Elect.
East Central Railway/Hajipur

AGREED LIST & SECRET LIST

What are the Agreed & Secret List?

To maintain a watch on the activities of Gazetted Officials who are of doubtful integrity, two lists are maintained - Agreed list and Secret list. The lists are prepared by Railway Board Vigilance as per the directives of DOPT & CVC.

The Secret List includes:-

a) Officers convicted in a Court of Law on a charge of lack of integrity or moral turpitude.
b) Officers awarded a major penalty on charge of lack of integrity or gross dereliction of duty in protecting the Government's interest.

Agreed list is prepared annually by Vigilance Department in consultation with CBI and contains names of such officers whose integrity and honesty is under a cloud.

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. इसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 जुलाई 10, 2014

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/उत्तर एवं दक्षिण
पूर्व मध्य रेल
महेन्द्रूघाट।
एवं
प्रमुख मुख्य इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय : मिट्टी कार्य के लिए मूल भूमि-तल दर्ज करने के संबंध में सतर्कता संगठन को सूचित करना।

निवेदन है कि मिट्टी कार्य के लिए कम-से-कम एक माह पूर्व मूल भूमि-तल दर्ज करने के संबंध में उप मुसताधि/इंजी. को सूचित करने के लिए वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) को उचित निर्देश जारी किये जायें जिससे कि आवश्यक समझे जाने पर सतर्कता संगठन जाँच करा सके।

कृपया क्षेत्र इकाइयों को जारी किये गए निर्देश की प्रति इस कार्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित की जाए।

(जे.के. वर्मा)
वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक

IT DOESENT MATTER HOW SLOW YOU GO,

AS LONG AS YOU DONT STOP.

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No.ECR/Vig. System Improvement/50 July 10, 2014.

CAO/Con/N & S
E.C.Railway
Mahendrughat.
&
Principal Chief Engineer,
East Central Railway,
Hajipur.

Sub : Intimation regarding recording of original ground level for earth work to vigilance organisation.

It is requested that suitable instructions be issued to Sr.DENs/ Dy.CE(Con)s to intimate Dy.CVO/Engg regarding recording of original ground level, for earth work at least a month in advance to enable vigilance organization to make checks if considered necessary.

Copy of instructions issued to field units may please be forwarded to this office for information.

(J.K.Verma)
Sr.Dy.General Manager

Life's real failure is
when you do not realize
How close you were to success
when you gave up.

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. : ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रुवमेंट/50 दि. 14/07/2014

मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

विषय : कार्ड पास का दुरुपयोग।

एक मामले की जाँच के दौरान यह पाया गया कि रेसुब संघ के पदाधिकारी के पक्ष में बिना पदनाम या नाम के चार कार्ड पास एआईआरएफ संघ/पूमरे/हाजीपुर को जारी किए गए थे जबकि परिपत्र सं. ई(एलआर)III/2001/यूटीएफ-I, दि. 24.6.2003 में अन्य प्रकार से इसका उल्लेख है। यह भी पाया गया कि पदाधिकारियों के दौरे के संबंध में संघ द्वारा कोई रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है जिससे कि यात्रा के दौरान पास के अभिरक्षण का निर्धारण किया जा सके।

अतः आग्रह है कि विभाग के पदाधिकारी के पक्ष में जारी किए कार्ड पासों के अभिरक्षक की पहचान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएँ ताकि कार्ड पास के दुरुपयोग के मामले में जबावदेही तय की जा सके। इस संबंध में यूनियन पदाधिकारियों के दौरे के संबंध में अभिलेखों के रख-रखाव करने के लिए दिशा-निर्देश इस कार्यालय को सूचित करते हुए जारी किए जाएँ।

(शिखा श्रीवास्तव)
उप मुसताधि (याता.)/पूमरे
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)

प्रतिलिपि - मुख्य सुरक्षा आयुक्त/पूमरे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No.ECR/VIG/System Improvement/50 Dated: 14.07.2014

Chief Personnel Officer
East Central Railway
Hajipur.

Sub : Misuse of card pass.

During investigation of a case it was found that four card passes were issued in favour of AIRPF Association/ECR/HJP in favour of office bearer of RPF Association without designation or name though the circular no E(LR)III/2001/UTF-1 dt. 24.06.2003 stipulates otherwise .It was also found that no register is being maintained by the association regarding movement of office bearers and to pinpoint the custodian of the passes during journeys.

It is, therefore, requested to issue necessary guidelines for identification of custodian of card passes issued in favour of office bearer without name so that onus of liability can be fixed in case of misuse. Also guidelines regarding up keep of records regarding movement of office bearer in this regard may be issued under advise to this office.

(Shikha Srivastava)
Dy.CVO(T)/ECR
for General Manager(Vigilance).

Copy To : Chief Security Commissioner/ECR for kind information & necessary action please.

for General Manager(Vigilance).

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

पत्रांक : ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/ 50 दिनांक : 04.08.2014

मुख्य विद्युत अभियंता,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय : टॉवर वैगन को निर्गत की जाने वाली सामग्रियों का लेखाकरण।

वरीय प्रशाखा अभियंता, टी.आर.डी., धनबाद की इकाई में निवारक जाँच के क्रम में, कॉपर कंटेक्ट तार एवं कंटेनरी तार 65 वर्ग मि.मी. क्रमश: 1802 मीटर एवं 120 मीटर कम पाए गए। इकाई प्रभारी ने बताया कि उक्त सामग्री टॉवर वैगन को निर्गत की गई थी, अत: जाँच के दौरान यह कमी पाई गई। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि टॉवर वैगन को निर्गत की गई सामग्री एकाएक खाते से घटाई नहीं जाती है।

ए.सी. ट्रेक्शन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार ''टॉवर वैगन में आवश्यक औजार एवं जरूरी सामग्री की पर्याप्त मात्रा रखी जाएगी (इन्सुलेटर, कंटेक्ट/कैटेनरी तार)। नियमावली में यह भी अंकित है कि औजार एवं उपकरण की अनुमोदित सूची मंडल विद्युत अभियंता, टी.आर.डी. द्वारा जारी की जाएगी।'' मैनुअल में प्रत्येक टॉवर कार में रखी जाने वाली सामग्रियों की न तो मात्रा स्पष्ट है और न ही औजार एवं उपकरण की अनुमोदित सूची में इनको समायोजित करना अंकित है।

सभी वरिष्ठ विद्युत अभियंता को आपातकाल में मरम्मति कार्य की आवश्यकता हेतु औजार एवं उपकरण के सभी एवं जरूरी सामग्रियों की मात्रा की सूची निर्गत करने का सुझाव दिया जाय एवं इन्हें निरीक्षक कार्यालयी के निरीक्षण एवं सत्यापन हेतु टावर वैगन में रखा जाय। टॉवर वैगन को निर्गत की जाने वाली सामग्री की मात्रा लेजर से निर्गत किए जाते समय ही घटाया जाय, बाद में नहीं।

आपके स्तर से मंडल को निर्गत किए गए निर्देश की प्रति इस कार्यालय को भी सूचनार्थ प्रेषित की जाय।

(महेश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी(भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig /System Improvement/50 Dated:- 04 .08.2014

Chief Electrical Engineer
East Central Railway
Hajipur.

Sub: Accountal of materials issued to Tower Wagon.

During a preventive check conducted in the unit of SSE/TRD/ DHN, Copper Contact wire and Catenary wire 65 sq.mm were found short to the tune of 1802 mtrs and 120 mtrs. In-charge of the unit intimated after check that these items were issued to Tower Wagon and therefore appeared short during check. He also intimated that materials issued to T/Wagons are not debited at once from the ledger.

As per the provision for material in T/Wagon in AC Traction Mannual "T/Wagon should carry necessary tools and adequate stock of items required (insulators, contact/catenary wires). The manual also mentions that an approved list of tools & equipments to be carried in each car should be issued by DEE/TRD". The manual neither specifies the quantity of materials to be kept in each car nor does it mention its inclusion in the approved list of tools & equipments.

All Sr.DEE/TRDs may be advised to issue a list of tools & equipment & their nos and materials with their quantities required for emergency maintenance work may be issued and kept in the T/ Wagon for inspection and verification by inspecting officials. The quantities of materials issued to the T/Wagons should be debited from the ledger at the time of issue and not later on.

Compliance of instruction issued by you to divisions may please be advised to this office for information.

(Mahesh Kumar)
Dy. Chief Vigilance Officer(S)
for GM/Vigilance

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक 11.08.14

भंडार नियंत्रक
पूमरे/हाजीपुर।

विषय : लीड एसिड (LA)/व्हीआरएलए (VRLA) बैटरियों में निहित लीड की प्रतिशत मात्रा इंगित करने हेतु संयुक्त कार्यपद्धति आदेश (JPO) जारी करना।

दानापुर मंडल के दूरसंचार विभाग में विभिन्न क्षमताओं वाले स्क्रैप 2 वोल्ट लेड एसीड/व्हीआरएलए बैटरियों के निष्पादन संबंधी मामलों के अन्वीक्षण के दौरान पाया गया कि इकाई के द्वारा स्क्रैप लेड एसीड/व्हीआरएलए बैट्री के वापसीकरण के संज्ञापन नोट में बैटरियों में उपलब्ध लेड की प्रतिशत मात्रा नहीं दिखाई गई।

इन स्क्रैप बैटरियों की बिक्री के लिए बनाये गये लॉट के विवरण में भी लेड की प्रतिशत मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया था। उक्त स्क्रैप बैटरियों के सर्वेक्षण शीट मुख्यालय द्वारा अनुमोदित करने तथा रिजर्व कीमत के आकलन के समय भी लेड की प्रतिशत मात्रा को ध्यान में नहीं रखा गया।

लेड एसिड/ व्हीआरएलए बैटरियों में लेड एक प्रधान घटक होता है और इसकी प्रतिशत मात्रा विभिन्न बैटरियों की क्षमता (आम्पीयर-आवर) एवं उनके वोल्टेज के साथ परिवर्तनशील होती है। लेड एसिड बैटरियों का निपटान मुख्य तौर पर संकेत एवं दूरसंचार, यांत्रिक एवं विद्युत विभाग द्वारा किया जाता है।

विभिन्न इकाई के द्वारा जारी बैट्री के वापसीकरण के संज्ञापन नोट में स्क्रैप बैटरियों में लीड की प्रतिशत मात्रा के उल्लेख के पहलू पर संकेत एवं दूरसंचार, यांत्रिक एवं विद्युत विभाग के साथ एक संयुक्त कार्य पद्धति (JPO) जारी किए जाने की आवश्यकता है। चूँकि बैटरियों में लेड की प्रतिशत मात्रा, बैटरियों की क्षमता एवं वोल्टेज के साथ परिवर्तनशील होता है, अतः विभिन्न क्षमता एवं वोल्टेज के अनुसार प्रत्येक प्रकार की बैटरियों की संख्या एवं

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No. ECR/Vig /System Improvement/50 Dated:- 11.08.2014

Controller of Stores
East Central Railway
Hajipur.

Sub : Issue of JPO for indicating percentage of lead content in LA/VRLA batteries.

During investigation of a case pertaining to disposal of lead Acid & VRLA Batteries 2V of different capacities of S&T department of DNR division, it was observed that in the NS-11 (advice notes for sending scrap batteries to depots), percentage of lead content for each type of batteries was not indicated.

Lot of these scrap batteries was formed for auction sale and in the description of the lot % of lead content was not mentioned. It was also not mentioned on the survey sheet which was approved at HQs. While fixing the Reserve Price (RP) of the batteries, % lead content was not considered.

Lead is one of the major components of scrap LA/VRLA batteries and its content varies for different capacities (AH) as well as voltages of the batteries. LA batteries are disposed of by S&T, Mech & Elect deptt.

A JPO with S&T, Mech & Elect deptt on this aspect is, therefore, required to be made for indicating % of lead content of the batteries in NS-11s (advice notes for returned stores) by the sending units. As the lead content varies with capacities & voltage,

प्रतिशत लीड की मात्रा का उल्लेख वापसीकरण के संज्ञापन नोट में अवश्य किया जाना चाहिए। बैटरियों के लॉट के निर्माण के दौरान यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बैटरियाँ खंडित न हो। न टूटी हुई बैट्री के लॉटों की बिक्री संख्या के आधार पर होनी चाहिए न कि वजन के आधार पर।

कृपया इस कार्यालय को संयुक्त कार्य पद्धति आदेश (JPO) जारी करने के संबंध में एवं इनके कार्यान्वयन के संबंध में की गई कृत कारवाई से अवगत कराया जाए।

(जे.के. वर्मा)
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

प्रतिलिपि : मुख्य विद्युत अभियंता, मुख्य संकेत एवं दूर संचार अभियंता एवं मुख्य याँत्रिक अभियंता को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

IF EVERYONE IS HAPPY WITH YOU THEN SURELY YOU HAVE MADE MANY COMPROMISES IN YOUR LIFE.

IF YOU ARE HAPPY WITH EVERYONE. SURELY YOU HAVE IGNORED MANY FAULTS OF OTHERS

in the lot for auction sale, the quantity of each type of battery capacity wise & voltage wise should be indicated. Lots of intact batteries should be formed and sold in nos and not in MT.

Action taken in regards to making of JPO & its implementation may be intimated to this office.

(J.K. Verma)
Sr. Dy. General Manager

Copy to : CEE, CSTE, CME/E.C. Railway/Hajipur : for necessary action pl.

DEAL WITH DAR

Unduly long suspension, while putting the concerned employee to undue hardship, involves payment of subsistence allowance without the employee performing any useful service to the organization.

As per Railway Board's letter No. E(D&A)2004 RG6-8 dated 20-10-2006, an order of suspension will be reviewed before expiry of 90 days from the date of order and shall not be valid after 90 days. Such extension of suspension shall be for a period not exceeding 180 days at a time, with the exception of judicial/criminal cases.

The review of suspension is to be made by the competent authority on the recommendation of the review committee constituted for the purpose. The review committee will be constituted by the Appellate Authority, and comprise of three members, the suspending authority and two other officers not lower in rank to him.

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक सतर्कता
हाजीपुर

सं. : ईसीआर/विज/सिस्टम इम्प्रुवमेंट/50 दि. 25/08/2014

मंडल रेल प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, दानापुर

विषय : एफटी कोटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रणाली सुधार।

आरक्षण कार्यालय/पटना जं. में विदेशी पर्यटक कोटा के अंतर्गत बर्थ रिलीज करने के संबंध में सतर्कता टीम/पूमरे द्वारा एक निवारक जाँच के दौरान यह देखा गया कि प्रचलित प्रक्रिया के तहत आवेदन स्वीकार किए जाते थे और यात्रियों के विजा और पासपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत करने पर एफटी कोटे के लिए शायिकाएं विभिन्न ट्रेनों और श्रेणियों में आवंटित की जाती है। जाँच करने पर यह पाया गया कि एफटी कोटे के तहत कई पीएनआर शायिकाओं के लिए आवंटित की गई है जिसके लिए कोई अपेक्षित आवेदन या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार, आरक्षण कर्मचारी द्वारा बिना उचित प्रक्रिया और प्राधिकार का पालन किए एफटी कोटे के तहत शायिकाएं आवंटित की गई। रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देश का इस संबंध में उल्लंघन किया गया जो 2011 के वाणिज्य परिपत्र सं. 10 दि. 09.02.2011 के पैरा (xi) में उल्लिखित है ।

अत: अनुरोध है कि बोर्ड के निर्देश के आलोक में प्रक्रिया की जाँच करें जिससे भविष्य में इस कोटे के दुरुपयोग से बचा जा सके। इस संबंध में अधिकारी स्तर पर समय-समय पर निरीक्षण भी किए जाएं।

कृपया कृत कार्रवाई की रिपोर्ट यथाशीघ्र इस कर्यालय को भेजी जाए ।

(शिखा श्रीवास्तव)
उप मुसताधि (याता.)
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager(Vig.)
Hajipur.

No.ECR/VIG/System Improvement/50 Dt. 25.08.14

Divisional Railway Manager
East Central Railway
Danapur

Sub: System Improvement to check misuse of FT Quota .

During preventive check, conducted by Vig. Team/ECR at Reservation office/Patna Jn with regard to release of berths under Foreign Tourist Quota, it was noticed that there was a system wherein applications were accepted and against which FT quota berths were allotted in different trains & classes on production of Photocopy of Visa and Passport of passengers.

On investigation, it was found that several PNRs have been allotted berths under FT quota for which no relevant application or record was produced. Thus, reservation staff released berths under FTQ without following due procedure & authority. Railway Board's guidelines have vide Commercial Circular No.10 of 2011 dt. 09.02.11 para (xi) in this regard have been violated.

It is, therefore, requested to check the system in light of Board's instruction so that misuse of this quota may be avoided in future. Inspections in this regard should also be carried out from time to time at officer level.

An action taken report may please be sent to this office early.

(Shikha Srivastava)
Dy. CVO (T)
For GM(Vigilance)/ECR

सतर्कता बुलेटिन
VIGILANCE BULLETIN

प्रतिज्ञा

हम भारत के लोक सेवक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे। हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे। हम अपने सामूह्कि प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। हम अपने कर्त्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे।

PLEDGE

We, the public servants of India, do hereby solemnly pledge that we shall continuously strive to bring about integrity and transparency in all spheres of our activities. We also pledge that we shall work unstintingly for eradication of corruption in all spheres of life. We shall remain vigilant and work towards the growth and reputation of our organisation. Through our collective efforts, we shall bring pride to our organisations and provide value based service to our countrymen. We shall do our duty conscientiously and act without fear or favour.

Carrying the perils of 'Desire'

In a certain place, fishermen were catching fish. A kite swooped down and snatched a fish. At the sight of the fish, about a thousand crows chased the kite and made a great noise with their cawing. Which-ever way the kite flew with the fish, the crows followed it. The kite flew to the south and the crows followed it there. The kite flew to the north and still the crows followed after it. The kite went east and west, but with the same result. As the kite began to fly about in confusion, lo, the fish dropped from its mouth. The crows at once let the kite alone and flew after the fish. Thus relieved of its worries, the kite sat on the branch of a tree and thought: 'That wretched fish was at the root of all my troubles. I have now got rid of it and therefore I am at peace.'

As long as a man has the fish, that is, worldly desires, he must perform actions and consequently suffer from worry, anxiety, and restlessness. No sooner does he renounce these desires than his activities fall away and he enjoys peace of soul.

- Sri Ramkrishna Paramahansa

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.